




गोपनीय अफ्रीका मैगजीन

OCTOBER
2024



OUR COURSES

1. CGPSC MAINS CLASSES
2. UPSC PRELIMS 3 MONTHS BOOSTER CLASSES
3. 3 YEARS UPSC CIVIL SERVICES FOUNDATION + ADVANCE COURSES
4. UPSC PRELIMS TEST SERIES (35 OFFLINE+ 192 ONLINE)
5. LIVE + RECORDED LECTURES ON GEO IAS MOBILE APP

WHY ARE WE BEST?

- Personal Mentorship
- Free Study Material
- 24x7 Doubt Sessions
- Assistance from Bureaucrats
- Daily Newspapers & Editorial Analysis
- India's Best Offline & Online Classes
- Video Recording Backup
- Unlimited Test Series

JOIN US TODAY!!



INDIA'S BEST
MENTORSHIP
PLATFORM FOR
CIVIL SERVICES
EXAMS

Stay Connected
For Instant Updates



Call For Online/Offline Batches

+91 9477560002/01

Subscribe To **GEO IAS**



Download **GEO IAS** Mobile App



अक्टूबर- 2024

कर्ट अफेयर मैगज़ीन

विषय सूची

विषय

पृष्ठ संख्या

इतिहास

1-2

- रेमन मैग्सेसे पुरस्कार
- रेमन मैग्सेसे पुरस्कार म्यूनिक समझौता
- लोथल
- कोन्याक जनजातियाँ

दार्शनिक स्थान

3-9

- बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री
हिरासत में मौत का फैसला
- असम समझौते का खंड 6
कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने को मंजूरी दी
- लोक लेखा समिति (PAC) का विक्षेपण
- न्यायाधीशों की पदोन्नति पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

भूगोल

10-11

- चक्रवात असना
- ग्लोशियल इंटील विस्फोट बाढ़ (GLOF)
- गैलेथिया बे
- जनगणना में देरी: सरकार ने सांख्यिकी पर स्थायी समिति को भंग कर दिया

पर्यावरण

12-20

- वायु प्रदूषण
- शहरी बाढ़
- प्रोजेक्ट चीता
- आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) के 5 वर्ष पूरे हुए
- अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA)
- ग्लोबल अलायंस फॉर बिग कैट्स के बारे में:
- रिपोर्ट: वैधिक EV बाजार में होने वाले बदलावों से बचने के लिए भारत की रणनीति
- जलवायु परिवर्तन में मीथेन की भूमिका
- चक्रवात असना

विज्ञान और तकनीक

21-26

- कैबिनेट ने चंद्रयान-4 मिशन को मंजूरी दे दी है
- न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग
- ज्ञारावर

केंद्र की बायोईड नीति: आर्थिक विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग
विश्वास्य-ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

27-39

दक्षिण चीन सागर
LAC मुद्दा
SCO
भविष्य का संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 2024
FATF ने भारत के लिए पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट (MER) लॉन्च की
सीमा प्रबंधन: सरकार म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाएगी
सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) में संशोधन का आह्वान
तुर्की का ब्रिक्स में शामिल होने का प्रयास
भारत-यूएई संबंध

पीआईबी

40-56

पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल
ब्रिक्स
पंडित दीनदयाल उपाध्याय
CSIRT-Power
FATF ने भारत पर पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की
खाद्य आयात अस्वीकृति चेतावनी पोर्टल
बायो-राइड योजना
सुभद्रा योजना
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान
वीनस ऑर्बिटर मिशन
जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित
SPICED योजना
पीएम ई-ड्राइव योजना
अभ्यास वरुण
मिशन मौसम
ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार
भारत में सुगम्यता में सुधार: सुगम्य भारत ऐप का प्रभाव
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024
इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपभोक्ता अधिकारों में प्रगति

अर्थव्यवस्था

57-65

1. PLFS रिपोर्ट, 2023-24
चीन शॉक 2.0
US फेड ने ब्याज दरों में कटौती की और इसका भारत पर प्रभाव
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को जारी रखने की मंजूरी दी
भारत में जूट उत्पादन में गिरावट
निधि कंपनियाँ
भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की व्यवहार्यता
सरकार नैनो-उर्वरक को बढ़ावा दे रही है

आतंकिक सुरक्षा

66-67

सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार उपयोग (आरईएआईएम): युद्ध में एआई का जिम्मेदार उपयोग

सामाजिक विज्ञान

पश्चिम बंगाल का अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024

68-69

प्रीलिम्स स्पेशल

70-76

पिलबॉक्स
पूसा-2090
न्यूट्रिनो फॉग
ब्रह्मोस एयरोस्पेस
उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन
DRDO डीप टेक्नोलॉजी पहल
गैंडे
बायो-राइड योजना
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन
सारागढ़ी की लड़ाई
मिनी-मून
भास्कर
एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस
PM ई-ड्राइव योजना
मिशन मौसम
भारत ग्राफीन इंजीनियरिंग और नवाचार केंद्र (IGEIC) का शुभारंभ
विवाद समाधान योजना (e-DRS)
प्रोजेक्ट नमन

योजना अक्टूबर 2024

77-82

केंद्रीय बजट 2024-25
प्राथमिकता 1: कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
प्राथमिकता 2- रोजगार और कौशल
प्राथमिकता 3: समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
प्राथमिकता 4: विनिर्माण और सेवाएं
प्राथमिकता 5- शहरी विकास
प्राथमिकता 6- ऊर्जा सुरक्षा
प्राथमिकता 7- बुनियादी ढांचा
प्राथमिकता 8- नवाचार, अनुसंधान और विकास
प्राथमिकता 9- अगली पीढ़ी के सुधार

कुलक्षेत्र अक्टूबर 2024

83-87

- 1- ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति
- 2- ग्रामीण विकास के लिए योजनाएँ
- 3- जनजातीय विकास के लिए योजनाएँ
- 4- बजट 2024-25 में महिला विकास के लिए योजनाएँ

ऐमन मैसेसे पुरस्कार


टैग: GS1, कला और संस्कृति, पुरस्कार, ऐमन मैसेसे पुरस्कार

संदर्भ:

- प्रसिद्ध जापानी फिल्म निर्माता और स्टूडियो घिबली के सह-संस्थापक हयाओ मियाज़ाकी ने 2024 ऐमन मैसेसे पुरस्कार जीता है, जो विभिन्न युगों में नृजने वाली एनिमेटेड फिल्मों में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है।
- उनका काम अपने सौम्य, हाथ से खींचे गए दृश्यों और गहरे विषयों, जिसमें शांतिवाद, पर्यावरणवाद और मजबूत महिला चरित्र शामिल हैं, के लिए जाना जाता है।
- स्पिरिटेड अवे और प्रिंसेस मोनोनोके जैसी मियाज़ाकी की फिल्में आधुनिक समाज, युद्ध और प्रकृति के विनाश के बारे में उनकी चिंताओं को दर्शाती हैं।

ऐमन मैसेसे पुरस्कार के बारे में:

- 1957 में स्थापित ऐमन मैसेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च सम्मान और प्रमुख पुरस्कार है, जो एशिया के लोगों की सेवा करने के लिए असाधारण समर्पण वाले व्यक्तियों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सम्मानित करता है।
- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 31 अगस्त को दिया जाता है, जो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति ऐमन मैसेसे के जन्मदिन के अवसर पर दिया जाता है।
- पुरस्कार पाने वालों को एक प्रमाण पत्र, मैसेसे की छवि वाला एक पढ़क और नकट पुरस्कार मिलता है।
- इस पुरस्कार को अवसर एशिया के नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है।



ऐमन मैसेसे पुरस्कार म्यूनिक अवार्ड समझौता

टैग: GS1, विश्व इतिहास, म्यूनिक अवार्ड समझौता

संदर्भ:

- म्यूनिक अवार्ड समझौता जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रेट ब्रिटेन के बीच एक समझौता था, जिसके तहत नाजी जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के एक क्षेत्र सुडेटेनलैंड पर कब्जा करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में जातीय जर्मन आबादी थी।
- यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए एडॉल्फ हिटलर को खुश करने के उद्देश्य से किए गए इस समझौते का ब्रिटिश प्रधानमंत्री लेविल चेम्बरलेन ने पुरजोर समर्थन किया था।
- हालांकि, चेकोस्लोवाकिया, सीधे तौर पर प्रभावित होने के बावजूद, वार्ता में शामिल नहीं था और उस पर इस समझौते को रवीकार करने के लिए दबाव डाला गया था।
- म्यूनिक अवार्ड समझौते को व्यापक रूप से तुष्टिकरण के एक विनाशकारी कार्य के रूप में देखा जाता है जो आगे की आक्रमकता को रोकने में विफल रहा।
- हिटलर ने छह महीने के भीतर चेकोस्लोवाकिया के बाकी हिस्सों पर आक्रमण करके समझौते का उल्लंघन किया, जिससे यह संकेत मिला कि विस्तारादी अधिनायकवाद को शांत नहीं किया जा सकता।
- घटनाओं के इस क्रम ने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए मंच तैयार किया, जो 1 सितंबर, 1939 को शुरू हुआ, जब नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।

लोथल

टैग: GS1, कला और संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, लोथल


संदर्भ:

- IIT गांधीनगर द्वारा किए गए एक नए अध्ययन ने छड़पा सभ्यता के दौरान गुजरात के लोथल में एक डॉक्यार्ड के अस्तित्व का समर्थन करते हुए नए सबूत प्राप्त किए हैं।
- शोध से पता चलता है कि साबरमती नदी, जो अब 20 किमी दूर बहती है, एक बार लोथल के करीब बहती थी, जिससे एक प्रमुख व्यापार मार्ग के रूप में इसका महत्व बढ़ गया।

- अध्ययन से पता चलता है कि लोथल जलमार्गों के माध्यम से धोलावीरा जैसे अन्य हड्डपा स्थलों से जुड़ा हुआ था, जिससे मेरापोटा-मिया तक के क्षेत्रों के साथ व्यापार में सुविधा हुई।

लोथल के बारे में:

- गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक था, जिसका निर्माण लगभग 2200 ईसा पूर्व हुआ था।
- यह एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, जो पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ मोतियों, रत्नों और आभूषणों के व्यापार के लिए जाना जाता था। गुजराती में "लोथल" नाम का अर्थ "मृतकों का टीला" है, जो सिंधी में "मोठनजो-दारो" के अर्थ के समान है। लोथल दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गोदी के लिए उल्लेखनीय है, जो इसे साबरमती नदी से जोड़ती थी, जिससे हड्डपा शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच व्यापार में सुविधा होती थी।



कोन्याक जनजातियाँ

संदर्भ:

- नागालैंड में कोन्याक जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले कोन्याक संघ ने Google मानवित्र पर नागालैंड के मौन जिले और असम के वराईदेव जिले के बीच सीमा विभाजन में त्रुटियों को दूर करने का अनुरोध किया है।
- उन्होंने बताया कि छह दशक से अधिक पहले स्थापित नागालैंड के दो गाँव, होता-होती और टेकुन, असम के भीतर गलत तरीके से दिखाए गए हैं।
- कोन्याक जनजाति के बारे में: मंगोल मूल के कोन्याक लोग ऐतिहासिक रूप से जीववाट का पालन करते थे, ईसाई धर्म अपनाने से पहले वे प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते थे। उनकी भाषा सिनो-तिब्बती परिवार की उत्तरी नाग उप-शाखा से संबंधित है। पूर्वोत्तर भारत में हेडहंटर्स के रूप में जाने वाले वे पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना का पालन करते हैं।



1. बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री

पाठ्यक्रम: कमज़ोर वर्ग - बच्चे

संदर्भ:

- लेख में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले का वर्णन किया गया है, जिसमें बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) के कब्जे, भंडारण और उपयोग के लिए दंडात्मक परिणामों को स्पष्ट किया गया है, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के विवादास्पद फैसले को पलट दिया गया है।

फैसले का अवलोकन:

- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) को संबंधीत करना, देखना या रखना POCSO अधिनियम के तहत एक अपराध है, मद्रास उच्च न्यायालय के एक पूर्व फैसले को पलट दिया, जिसमें केवल ऐसी सामग्री रखने के लिए एक व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया गया था।
- न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि "बाल पोर्नोग्राफी" एक मिथ्या नाम है और अपराध की गंभीरता को दर्शाने के लिए "बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री" (CSEAM) शब्द बढ़ा।
- इसने माना कि CSEAM का कब्जा, भंडारण और यहाँ तक कि देखना भी आपराधिक दायित्व के अंतर्गत आता है, चाहे व्यक्तिगत उपयोग के लिए हो या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "रचनात्मक कब्जा", जहाँ व्यक्ति सीएसईएएम पर भौतिक रूप से कब्जा किए बिना उस पर नियंत्रण रखता है, कानून के तहत दंडनीय है।

भारत में बाल संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 15 (3): राज्य को बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें शोषण और दुर्व्यवहार से बच्चों की सुरक्षा शामिल है।
- अनुच्छेद 39 (ई) और (एफ): राज्य को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार न हो और उन्हें स्वस्थ तरीके से विकसित होने के अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिससे उनकी गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा हो।
- अनुच्छेद 47: सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें बाल शोषण को रोकना और उनका कल्याण सुनिश्चित करना शामिल है।

POCSO अधिनियम, 2012 के तहत प्रमुख कानूनी प्रावधान:

- धारा 13: बाल पोर्नोग्राफी (अब CSEAM) को परिभासित करता है और इसके उत्पादन, वितरण और कब्जे को दंडित करता है।
- धारा 14: पोर्नोग्राफिक उद्देश्यों के लिए बच्चे का उपयोग करने पर दंड लगाया जाता है, बार-बार अपराध करने पर अधिक गंभीरता बरती जाती है।
- धारा 15: व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बाल यौन शोषण सामग्री के भंडारण पर दंड लगाया जाता है, तथा इसे रखने या भंडारण करने पर कठोर परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं।
- धारा 19: POCSO अधिनियम के तहत अपराधों की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाता है, जिससे तकनीकी कंपनियों सहित नागरिकों के लिए किसी भी संदिग्ध CSEAM-संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट करना अनिवार्य हो जाता है।

निर्णय का महत्व:

- CSEAM कानूनों की व्यापक व्याख्या: केवल कब्जे को ही अपराध घोषित किया जाता है, तथा न्यायालय के निर्णयों में पहले से शोषण किए गए कानूनी खासियों को समाप्त किया जाता है।
- बाल संरक्षण कानूनों को मजबूत किया जाता है: POCSO अधिनियम को ऑनलाइन बाल शोषण से निपटने के लिए एक उपकरण के रूप में सुनिश्चित किया जाता है, तथा कठोर दंड सुनिश्चित किया जाता है।
- पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण: पीड़ित संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिसका उद्देश्य सामग्री को तेजी से हटाना तथा बाल पीड़ितों के मनोवैज्ञानिक कल्याण की तकालत करना है।
- टेक कंपनियों की भूमिका: निर्णय में टेक प्लेटफॉर्म को CSEAM मामलों की रिपोर्ट करने के लिए कठा गया है, जिससे कानून प्रवर्तन और ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं के बीच सहयोग बढ़ेगा।

निर्णय की सीमाएँ:

- किशोर व्यवहार की उपेक्षा: निर्णय में सहमति से किशोर आदान-प्रदान और शोषणकारी सामग्री के बीच अंतर नहीं किया गया है, जिससे किशोर व्यवहार के अपराधीकरण का जोखिम है।

- कानून प्रवर्तन पर अत्यधिक गोड़ा: स्थानीय पुलिस बड़े हुए केस लोड को संभालने के लिए सुरक्षित है या नहीं, इसका आकलन किए बिना टेक प्लेटफॉर्म को मामलों की रिपोर्ट करने के लिए कठा गया है।
- सामग्री हटाने की प्राथमिकता को अनदेखा करता है: निर्णय छानिकारक सामग्री को समय पर हटाने पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहता है, जो अक्सर पीड़ितों की तत्काल आवश्यकता होती है।
- मूल मुद्दों को संबोधित करने में विफल: अपने सरकार रख के बावजूद, निर्णय अपराधियों, विशेष रूप से नाबालिगों के पुनर्वास और शिक्षा में सूक्ष्म चुनौतियों को नजरअंदाज करता है।

गुरुव्य सिफारिशें:

- शब्दावली में बदलाव: न्यायालय ने सभी न्यायिक आदेशों और विधानों में "बाल पोर्नोग्राफी" को "बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री" (CSEAM) से बदलने की सिफारिश की।
- यौन शिक्षा: न्यायालय ने छानिकारक यौन व्यवहार को शोकने और सहमति की समझ को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक, आयु-उपयुक्त यौन शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, जिससे सीएसईएम के उपभोग और वितरण को शोकने में मदद मिली।
- तकनीकी प्लेटफॉर्म का दायित्व: सोशल मीडिया मध्यस्थीयों को न केवल सीएसईएम को हटाना चाहिए, बल्कि पोकसो अधिनियम के तहत स्थानीय अधिकारियों को ऐसी सामग्री की रिपोर्ट भी करनी चाहिए। केवल आईटी अधिनियम का अनुपालन ही उनकी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है।
- सार्वजनिक जागरूकता: न्यायालय ने रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने और सामुदायिक सतर्कता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से सीएसईएम के बारे में जागरूकता बढ़ाने का सुझाव दिया।
- सहायता सेवाएँ: इसने पीड़ितों और अपराधियों दोनों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श और पुनर्वास सेवाओं की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सीएसईएम में शामिल लोगों के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार थेपी (शीबीटी) शामिल है।

निष्कर्ष:

- इस निर्णय का उद्देश्य सीएसईएम के खिलाफ कानूनी ढंगे को मजबूत करना है, शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता के माध्यम से निवारक उपायों की आवश्यकता को संबोधित करते हुए पीड़ित-केंद्रित विकास को सुनिश्चित करना है।

हिंसत में मौत का फैसला

पाठ्यक्रम: शासन: आपराधिक न्याय प्रणाली

संदर्भ:

- सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 1995 में पुलिस हिंसत में एक व्यक्ति की कथित यातना और मौत के लिए दशकों पुराने हिंसत में मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या और अन्य अपराधों के लिए दोषी पुलिस अधिकारियों की अपील पर एक विभाजित फैसला सुनाया है।

निर्णय सारांश:

- सुप्रीम कोर्ट ने हिंसत में मौत के एक मामले में एक विभाजित फैसला सुनाया, जिसमें आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत दोषसिद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- मुख्य मुद्दा शब्द की पहचान के इट-गिर्ट घूमता था, इस बात पर अलग-अलग विचार थे कि क्या अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित किया कि मृतक पीड़ित था।
- एक राय ने हिंसत में यातना के लिए दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन निर्णयक पहचान की कमी के कारण गैर इरादतन हत्या के आरोपी को बरी कर दिया।
- फैसले ने पुलिस के कदाचार और हिंसत में दुर्व्यवहार से जुड़े मामलों में जवाबदेही की आवश्यकता के बारे में चिंताओं को उजागर किया।

हिंसत में मौत के बारे में अवलोकन और डेटा:

हिंसत में मौतों के नकारात्मक पहलू:

- मानवाधिकार उल्लंघन: हिंसत में मौतों संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) का घोर उल्लंघन दर्शाती है, जैसा कि मथुरा हिंसत में बलात्कार मामले (1972) जैसे मामलों में देखा गया है।
- कानून प्रवर्तन में विश्वास का क्षण: जयराज और बेनिकस की हिंसत में मौत (2020) जैसी घटनाएँ न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करती हैं।
- अत्यधिक बल: पूछताछ के दौरान थर्ड-डिश्री विधियों के उपयोग से शारीरिक और मानसिक आघात होता है, अक्सर जवाबदेही की कमी के कारण सजा नहीं मिल पाती।
- वैश्विक प्रतिष्ठा: भारत के प्रत्यर्पण प्रयासों में बाधा आती है क्योंकि देश हिंसत में यातना (जैसे, विजय माल्या का मामला) पर चिंता जताते हैं।

हिंसत में मौतों से निपटने के उपाय:

- कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (जैसे, प्रकाश सिंह मामला, 2006) के अनुसार हिंसत में यातना को अपराध घोषित करने वाले व्यापक कानून बनाना।

- पुलिस सुधार: जांच कार्यों से कानून और व्यवस्था को अलग करना, और पुलिस अधिकारियों के लिए मानवाधिकार प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन: बेहतर निगरानी के लिए बॉडी कैमरे का उपयोग करें और सभी पुलिस स्टेशनों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाएं।
- निगरानी तंत्र: सशस्त्र बलों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली हिंसा में मौतों की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करें।
- संवेदनशीलता कार्यक्रम: कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए नैतिक उपचार और हिंसा में अधिकारों पर नियमित कार्यशालाएं।

निष्कर्ष:

- हिंसा में मौतें मानवीय गरिमा और कानूनी विष्वास को खत्म करती हैं पुलिस व्यवस्था में सुधार, मजबूत निगरानी और मानवाधिकार सिद्धांतों का पालन न्याय को बनाए रखने और हिंसा में व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

असम समझौते का खंड 6

संदर्भ:

- बुधवार को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम समझौते के खंड 6 के संबंध में न्यायमूर्ति बिप्लब सरमा समिति की 52 सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए काम शुरू कर दिया।

खंड 6 की मुख्य विशेषताएं:

- असमिया पहचान की सुरक्षा: इसमें असमिया लोगों की विशिष्ट पहचान और सांस्कृति की सुरक्षा के लिए उपाय करने का आह्वान किया गया है।
- विधायी सुरक्षा: असमिया सांस्कृतिक और सामाजिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधायी कर्दमों का प्रावधान।
- सांस्कृतिक और भाषाई संरक्षण: यह विशेष रूप से आप्रवासन के कारण राज्य के जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की पृष्ठभूमि के खिलाफ असमिया भाषा और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने पर जोर देता है।
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व: सुझाए गए उपायों में राज्य विधानमंडल, संसद और स्थानीय निकायों में असमिया लोगों के लिए आरक्षण शामिल हैं।

न्यायमूर्ति बिप्लब सरमा समिति

- स्थापना: 2019 में, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बिप्लब सरमा की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था।
- उद्देश्य: असम समझौते के खंड 6 को लागू करने के लिए विशिष्ट उपायों की सिफारिश करना।

समिति की मुख्य सिफारिशें:

- “असमिया लोगों” की परिभाषा: समिति ने “असमिया लोगों” को खटेशी जनजातियों, 1 जनवरी, 1951 को या उससे पहले असम में रहने वाले नागरिकों और उनके वंशजों के रूप में परिभाषित करने की सिफारिश की।
- भूमि और भाषा सुरक्षा: कुछ क्षेत्रों में असमिया लोगों तक भूमि स्वामित्व सीमित करना और असमिया को अनिवार्य आधिकारिक भाषा बनाना।
- आरक्षण: असमिया लोगों के लिए सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और राजनीतिक सीटों में 80-100% आरक्षण की सिफारिश।
- सांस्कृतिक विरासत: असम की विविध सांस्कृतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक परिसरों और प्राधिकरणों की स्थापना।

कार्यान्वयन की स्थिति:

- जबकि असम सरकार ने 52 सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं, इनका प्रयोग और आरक्षण जैसी प्रमुख राजनीतिक सिफारिशों के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है और उन्हें अभी के लिए छोड़ दिया गया है।

फैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने को मंजूरी दी

पार्षदता: राजनीति: चुनाव

संदर्भ:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के कदम को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव कोविंद समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

एक साथ चुनाव प्रस्ताव के मुख्य बिंदु:

1. एक साथ चुनाव: लोकसभा, राज्य विधानसभाएं और स्थानीय सरकारी निकाय एक साथ चुनाव कराएंगे।

2. दो चरण:

- चरण 1: लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना।
- चरण 2: पहले चरण के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराना।

3. संवैधानिक संशोधन:

- संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किए जाने वाले दो संशोधनों की आवश्यकता है।
- राज्य अनुसमर्थन: कम से कम आधे राज्यों को संशोधनों का अनुसमर्थन करना होगा।
- 4. मध्यावधि चुनाव: यदि कोई राज्य विधानसभा या लोकसभा समय से पहले भंग हो जाती है, तो नया कार्यकाल अगले निर्धारित एक साथ चुनाव तक ही चलेगा।
- 5. एकत मतदाता सूची: राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से सभी चुनावों के लिए एक एकीकृत मतदाता सूची बनाई जाएगी।
- 6. विधानसभाओं का विघटन: एक साथ चुनाव कार्यक्रम के साथ सेरेखित करने के लिए कुछ राज्य विधानसभाएँ अपने पाँच साल के कार्यकाल से पहले ही भंग हो जाएंगी।
- 7. चुनाव आयोग की भूमिका: चुनाव आयोग कुछ राज्य चुनावों को स्थगित करने की सिफारिश कर सकता है, लेकिन उन्हें भविष्य में एक साथ होने वाले चुनावों के साथ जोड़ना होगा।

एक राष्ट्र एक चुनाव (ONE) क्या है?

- एक राष्ट्र एक चुनाव भारत में सभी चुनावों के समय को एक साथ करने का प्रस्ताव है, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव शामिल हैं। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, अभियान व्यय को कम करना, शासन में व्यवहारों को कम करना और नियमित अंतराल पर एक साथ सभी चुनाव आयोजित करके राजनीतिक रिश्वता को बढ़ाना है, आमतौर पर हर छह साल में एक बार। ONE 1967 तक आदर्श था, लेकिन उसके बाद चक्र टूट गया। इससे पहले विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में ONE के विचार की सिफारिश की थी।

शामिल संवैधानिक अनुच्छेद:

अनुच्छेद	विवरण	संशोधन आवश्यक है
अनुच्छेद 324A	संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनावों की निगरानी, निर्णय और नियंत्रण का अधिकार देता है।	
समिति ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 324A शामिल करने का सुझाव दिया है।	यह नया अनुच्छेद संसद को यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देना कि नगरपालिका और पंचायत चुनाव आम चुनावों (लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए) के साथ-साथ आयोजित किए जाएं, इसके लिए राज्य की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।	
अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172	अनुच्छेद 83(2) और अनुच्छेद 172(1) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए क्रमशः पाँच साल का कार्यकाल निर्धारित करते हैं, जो उनके पहले बैठने से शुरू होता है जब तक कि उन्हें पहले भंग न कर दिया जाए।	समिति ने विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनावों के साथ समन्वयित करने के लिए एक संशोधन की सिफारिश की, जिसमें राज्य की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होने का सुझाव दिया गया।

HOW THE NUMBERS STACK UP IN PARLIAMENT

WHAT PARTIES TOLD PANEL

32 OF THE 47 parties that gave their opinion to the Kovind panel supported the idea; 15 opposed it. NDA ally TDP didn't give its opinion, but told *The Indian Express* that it backed One Nation, One Election in principle. The BSP was initially against it, but now has come out in support.



Kovind presents report to President Murmu in the presence of Home Minister Amit Shah. File

PARLIAMENT PICTURE NOW

PARTIES THAT BACKED the idea of simultaneous elections before the Kovind panel have 271 members in Lok Sabha now. This number includes the 240 MPs from the BJP.

THE NDA, including TDP and others who neither supported nor opposed simultaneous polls before the Kovind panel, has 293 MPs in Lok Sabha.

NUMBERS GAME IN LOK SABHA

AT TWO-THIRDS majority of members present and voting is needed for the required constitutional amendment to go through – in the full House of

543, that works out to 362 MPs.

NDA HAS 293 MPs – so there is a possibility of passage of the amendment only if 439 MPs vote on the Bill, and the remaining 104 abstain. Alternatively, the government will have to convince non-NDA parties to back it.

ARITHMETIC IN RAJYA SABHA

NDA HAS 121 MPs, including the six nominated members. The opposition INDIA bloc has 85 MPs.

IF ALL 250 members are present, a simple majority would be 125 and two-thirds would be 164 MPs. Currently, there are 234 MPs in RS.

अनुच्छेद 325	अनुच्छेद 325 धर्म, नस्ता, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को विशेष मतदाता सूची से बाहर करने पर शोक लगाता है।	समिति ने एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र के लिए संशोधन का सुझाव दिया, जिसके लिए गज्य की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
अनुच्छेद 328 और 327	अनुच्छेद 328: किसी गज्य के विधानमंडल की ऐसी विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति।	समिति के अनुसार, संविधान संसद को विधानसभा चुनाव कराने का अधिकार देता है, न कि राज्यों को, जिसका अर्थ है कि एक साथ चुनाव कराने के संशोधन के लिए राज्य की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

“एक राष्ट्र, एक चुनाव” के लाभ:

लाभ	विवरण
चुनाव खर्च में कमी	सभी चुनाव एक साथ कराने से रसद, सुरक्षा और प्रचार पर होने वाले खर्च कम हो जाते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने पर 4,500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया था। इसकी तुलना में, 2014 के लोकसभा चुनावों में सरकारी खजाने पर 3,870 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जबकि 2015 के बिहार चुनावों में अकेले सरकार को 300 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े थे।
बेहतर प्रशासन	एक साथ चुनाव कराने से शासन में व्यवधान कम होता है और निर्वाचित सरकारें विकास और कल्याणकारी नियमिति पर ध्यान केंद्रित कर पाती हैं।
मतदाताओं की सुविधा	मतदाताओं को साल भर में कई बार मतदान करने से छुटकारा मिलता है, जिससे मतदान में बेहतर भागीदारी और सुविधा सुनिश्चित होती है।
सुरक्षा संबंधी चिंताओं में कमी	एक साथ चुनाव कराने से देश भर में एकीकृत सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएँ कम होती हैं।
समान अवसर	सभी दलों और उम्मीदवारों को समान अवसर मिलते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।
शिक्षा पर कम प्रभाव	एक साथ चुनाव कराने से चुनावी प्रक्रिया में शिक्षकों की भागीदारी कम होने से शिक्षा क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव कम होते हैं।

“एक राष्ट्र, एक चुनाव” की सीमाएँ:

चुनौतियाँ	विवरण
राज्यों द्वारा अनुसर्वर्णन	समिति का प्रस्ताव कि अधिकांश संशोधनों के लिए राज्यों द्वारा अनुसर्वर्णन की आवश्यकता नहीं है, केंद्र और राज्यों के बीच तनाव बढ़ा सकता है और न्यायिक समीक्षा द्वारा भी खारिज किया जा सकता है किछोटों छोलोहन बनाम जापिट्टु (1992) में, सर्वोच्च न्यायालय ने सांसदों की अद्यता से संबंधित एक कानून को अमान्य कर दिया त्योहार इसमें राज्यों द्वारा अनुसर्वर्णन की कमी थी।
संवैधानिक चुनौतियाँ	“एक राष्ट्र, एक चुनाव” को लाने करने के लिए लंबे और जटिल संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए राजनीतिक दलों और राज्यों के बीच आम सहमति की आवश्यकता होती है।
संघवाद विशेषी	विधानसभा चुनावों को आम चुनावों के साथ मिलाने से राष्ट्रीय मुद्रों के राष्ट्रीय आख्यान के तहत दबने का जोखिम है, जो संभावित रूप से राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व को कमज़ोर कर सकता है।
लॉजिस्टिक्स की जटिलता	एक साथ चुनाव कराने के लिए सुरक्षा तैनाती, मतदाता सूची तैयार करना और मतदान केंद्र प्रबंधन सहित मठवटपूर्ण रसद व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसके लिए अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और मतदाता-सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों की आवश्यकता होगी।
राष्ट्रीय दलों का प्रभुत्व	एक साथ चुनाव कराने से अधिक संसाधनों वाली राष्ट्रीय पार्टियों को लाभ हो सकता है, जो संभावित रूप से क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकता है और क्षेत्रीय मुद्रों का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
लोकतंत्र पर प्रभाव	एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं की सभी मुद्रों से जुड़ाव सीमित हो सकता है, संभवतः सूचित निर्णय लेने और समग्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया से समझौता हो सकता है।
मतदाता की पसंद और रुचियाँ	एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं का ध्यान राष्ट्रीय मुद्रों पर चला जाएगा, जिससे संभावित रूप से क्षेत्रीय दलों की तुलना में बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को फ़ायदा होगा। इससे क्षेत्रीय दल छाशिए पर जा सकते हैं और मतदाताओं की रुचि कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग चुनाव राजनेताओं को अधिक बार चुनावी जांच के अधीन करके जवाबदेही बढ़ाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव:

- दक्षिण अफ्रिका: राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानमंडल चुनाव पांच साल के लिए एक साथ होते हैं, नगरपालिका चुनाव दो साल बाद होते हैं।
- स्वीडन: राष्ट्रीय विधानमंडल (स्टिक्सडान), प्रांतीय विधानमंडल/काउंटी परिषद (लैंडस्टिंग) और नगरपालिका विधानसभाओं (कोमुनफुलमिंग) के चुनाव हर चौथे साल सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं।
- ब्रिटेन: निश्चित अवधि संसद अधिनियम, 2011 7 मई, 2015 से शुरू होकर हर पांचवें साल मई के पहले गुरुवार को चुनाव कराकर इथरता सुनिश्चित करता है।

आगे का रास्ता

- कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने दो-वर्षीय चुनाव कार्यक्रम की सिफारिश की, जिसके अनुसार कुछ विधान सभाओं के चुनाव जिनका कार्यकाल चुनाव तिथि से छह महीने से एक साल पहले या बाद में समाप्त होता है, लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के दौरान हो सकते हैं बाकी राज्यों के लिए, लोकसभा के आम चुनावों के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं।
- उमीदवारों के खर्च पर कानूनी सीमा का पालन सभी दलों द्वारा सुनिश्चित करके लागत को नियंत्रण में लाया जा सकता है।
- एक वर्ष, एक चुनाव की अवधारणा ONOE की तुलना में आसान होगी, और इसके लाभ भी समान होंगे।

निष्कर्ष:

- जबकि एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य काफ़ी अवसर प्रदान करते हैं, इसमें शामिल चुनौतियाँ और व्यावहारिक सीमाएँ व्यापक राजनीतिक समर्थन और विधायी संशोधनों की आवश्यकता को उजागर करती हैं। इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए, कार्यान्वयन के लिए विस्तृत विचार-विमर्श और आम सहमति आधारित तंत्र आवश्यक हैं।

लोक लेखा समिति (PAC) का विश्लेषण

पाठ्यक्रम: राजनीति: संसदीय समिति

संदर्भ:

- नवगठित लोक लेखा समिति (PAC) ने मुख्य रूप से CAG रिपोर्टों के आधार पर बैंकिंग सुधार और ऊर्जा संक्रमण जैसे पांच प्रमुख क्षेत्रों सहित समीक्षा के लिए 161 विषयों का व्यापक करके एक संक्रिया कदम उठाया है।
- कांग्रेस संसद के सी.सी.वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली PAC का उद्देश्य औपचारिकताओं से परे सरकार के व्यय की जांच करना है, जो इसकी प्रभावशीलता और अखंडता पर ध्यान केंद्रित करता है। छाल के वर्षों में क्रोनी कैपिटलिजम और जवाबदेही की कमी के आरोपों को देखते हुए यह निरीक्षण महत्वपूर्ण है।

लोक लेखा समिति (PAC) के बारे में:

पहला	विवरण
भूमिका	सरकारी राजस्व और न्याय का लेखा-जोखा रखता है, संसद में प्रस्तुत किए जाने के बाद C&AG की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की जांच करता है।
सहायता	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C&AG) जॉर्ड में सहायता करता है।
कार्य	यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी खर्च संसद के अनुदान के दायरे में हो।
उत्पत्ति	1921 में स्थापित, 1950 में अध्यक्ष के नियंत्रण में एक संसदीय समिति बन गई।
सदस्यता	22 सदस्य (लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7), प्रतिवर्ष चुने जाते हैं।
अध्यक्ष	लोकसभा से नियुक्त, 1967-68 से पारंपरिक रूप से विपक्ष योगी।
बहिष्करण	मंत्री सदस्य नहीं हैं; यदि किसी सदस्य को मंत्री नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें अपनी सीट खाली करनी होगी।
मुख्य कार्य	<ol style="list-style-type: none">सरकारी खातों और C&AG रिपोर्टों की जांच करता है।व्यय की वैधता, अधिकार और विवेक की समीक्षा करता है।
परीक्षा फोर्म	यह सुनिश्चित करता है कि स्वीकृत उद्देश्य के लिए विनियोग खर्च किया जाए, अधिकार का पालन किया जाए और मितव्याधिता और दक्षता बनाए रखी जाए।

PAC और वित्तीय जवाबदेही - भूमिकाएँ और चिंताएँ:

1. CAG रिपोर्ट की जांच:

- PAC नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करती है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

2. व्यय की जांच:

- न केवल तकनीकी अनियमिताओं के लिए बहिक मितव्याधिता, विवेक और औचित्य के लिए भी सार्वजनिक व्यय की समीक्षा करता है।
- अपव्यय, हानि, श्रष्टाचार और अकुशलता को उजागर करता है।
- सीमाएँ: पोस्ट-मॉर्टम जांच करता है और खर्चों को पहले से नियंत्रित करने में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है।

3. सरकारी नियन्त्रितों को सुव्यवस्थित करना:

- सरकारी व्यय की निगरानी के लिए सार्वजनिक अनुमान और सार्वजनिक उपक्रम समितियों के साथ काम करता है।
- दक्षता और वित्तीय औवित्य को बढ़ावा देता है।
- सीमाएँ: दिन-प्रतिदिन के ठस्टक्षेप के लिए शक्ति का अभाव है और इसकी सिफारिशें सलाहकार हैं, बाध्यकारी नहीं।

4. आवश्यकता-आधारित नीति-निर्माण:

- संसाधनों के इष्टतम उपयोग और सरकारी नीतियों में निष्क्रिय सुधारों के लिए रचनात्मक सुझाव प्रदान करता है।
- सीमाएँ: नीति-निर्माण में इसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, और यह आदेश जारी नहीं कर सकता है - संसद इसके निष्कर्षों पर निर्णय लेती है।

निष्कर्ष

- आगे बढ़ते हुए, पीएसी को क्षमता निर्माण, विशेषज्ञों के इनपुट और सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से खातों की जांच और व्यय के ऑडिट की जटिलता को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने के लिए खुद को फिर से तैयार करना चाहिए।

न्यायाधीशों की पदोन्नति पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

संदर्भ:

- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि न्यायाधीशों की पदोन्नति का फैसला सामूहिक रूप से उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा किया जाना चाहिए, न कि किसी एक मुख्य न्यायाधीश द्वारा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि 'परामर्श' की सामग्री न्यायिक समीक्षा से परे है, 'प्रभावी परामर्श' इसके दायरे में आता है।

मामले की पृष्ठभूमि:

- अदालत ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कॉलेजियम को जिला न्यायाधीश विभाग भानु सिंह और अरपिंद मल्होत्रा की पदोन्नति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। इसने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रक्रिया में सामूहिक विचार-तिमर्श शामिल होना चाहिए और इसे केवल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तय नहीं किया जा सकता है।

कॉलेजियम के बारे में:

- कॉलेजियम प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय (SC) और उच्च न्यायालय (HC) के न्यायाधीशों की नियुक्तियों की सिफारिश करती है।
- सर्वोच्च न्यायालय: कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और SC के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- उच्च न्यायालय: HC कॉलेजियम में HC के मुख्य न्यायाधीश और HC के दो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियाँ की जाती हैं।

Collegium System

How are the Judges in India Appointed?

• What is Collegium System?

It is a system of transfer and appointment of judges that has evolved through judgments of the Apex court.

• When was it Introduced?

Introduced in 1993 – The Second Judges Case.
Formed in the consultation with the 2 senior-most judges in the SC.

• How many Judges are comprised?

In 1998 – Supreme Court expanded the Collegium into 5 member body.

- Supreme Court Collegium headed by CJI & 4 other senior most judges of Apex Court

- High Court Collegium Chief Justice & 4 other Senior most judges of that court

• Problems addressed

In 1998 – Supreme Court expanded the Collegium into 5 member body..

• Appointment of CJI

Step 1: The senior most just of SC is considered to hold the office.
Step 2 : Recommendation of Outgoing CJI is considered
Step 3 : The Union Minister of Law sends the recommendation to the PM who advises President to matter of appointment.

• Transfer of Judges

- In the matter of Transfer – the opinion of the CJI is deemed "determinative".
- The consent of other is judges is not required
- There can be acting CJ in High court for not more than a month

• Why the System Drawn Criticism?

- Due to lack of transparency
- Lawyers too remain unaware of their names in elevation
- Critics also cite the scope of nepotism



चक्रवात असना

संदर्भ:

- गुजरात के कच्छ तट पर बना चक्रवात असना क्षेत्र में कोई खास प्रभाव डाले बिना ओमान की ओर बढ़ गया।
- गहरे अवसाद से उत्पन्न चक्रवात ने कुछ बारिश और तेज़ हवाएँ लाई, लेकिन कोई बड़ी क्षति या हताहत नहीं हुआ।

चक्रवातों के बारे में:

- चक्रवात कम दबाव वाले केंद्र के चारों ओर वायु परिसंचरण की तीव्र प्रणाली है, जिसकी विशेषता हिंसक तूफान और प्रतिकूल मौसम की स्थिति है।
- उत्तरी गोलार्ध में, चक्रवात वामावर्त घूमते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, वे दक्षिणावर्त घूमते हैं।
- "चक्रवात" शब्द ग्रीक शब्द "σαϊκ्लोस" से आया है, जिसका अर्थ है सौंप की कुँडलियाँ, हेनरी पेडिंगटन द्वारा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय तूफानों की उपस्थिति के कारण गढ़ा गया एक संदर्भ जो कुँडलित सौंपों जैसा दिखता है।


चक्रवातों को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात: ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं और इनमें तूफान और टाइफून शामिल हैं।
- अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात: इन्हें समशीतोष्ण, मध्य-अक्षांश या ललाट चक्रवात के रूप में भी जाना जाता है, ये मध्य-अक्षांशों में होते हैं और मौसम के मोर्चों और कम दबाव प्रणालियों से जुड़े होते हैं।

How tropical storms are formed

High humidity and ocean temperatures of over 26°C are major contributing factors


Water evaporates from the ocean surface and comes into contact with a **mass of cold air**, forming **clouds**



A **column of low pressure** develops at the centre. Winds form around the column




As pressure in the central column (the eye) weakens, the **speed of the wind around it increases**



ज्लोशियल झील विस्फोट बाढ़ (GLOF)

संदर्भ:

- GLOF (ज्लोशियल झील विस्फोट बाढ़) प्रारंभिक घेतावनी प्रणाली मिशन के द्विसे के रूप में एक केंद्रीय टीम ने सिविकम में तेनवुंगराया झील का दौरा किया, जो इस क्षेत्र में 16 नियोजित आकलनों में से पहला था।
- NDMA (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) ने भारतीय हिमातरी क्षेत्र में 188 महत्वपूर्ण झीलों की पहचान की है, जो GLOF घटनाओं के लिए संवेदनशील हैं, और प्रारंभिक घेतावनी प्रणाली और जोखिम शमन रणनीतियों को लान् करने के लिए ISRO वैज्ञानिकों सहित राज्य सरकारों और विशेषज्ञों के साथ काम कर रहा है।



- ब्लॉशियल झीलों ब्लॉशियरों के पिघले पानी से बने पानी के बड़े निकाय हैं, जो पिघलते ब्लॉशियरों के सामने, ऊपर या नीचे स्थित हैं।
- वे ब्लॉशियर के शूथन के पास विकसित होते हैं क्योंकि पिघला हुआ पानी जमा होता है खतरा: जैसे-जैसे ये झीलों बढ़ती हैं, वे अक्सर अस्थिर बर्फ या ठीली तलछट से बंध जाती हैं, जिससे वे खतरनाक हो जाती हैं।
- GLOF (ब्लॉशियल लेक आउटबर्स्ट पलड़): यह तब होता है जब ब्लॉशियल झील के चारों ओर बांध या सीमा टूट जाती है, जिससे अचानक पानी निकलता है जो नीचे के इलाकों में बाढ़ ला सकता है।
- ट्रिगर: भूकंप, भारी बारिश या हिमस्खलन के कारण GLOF हो सकते हैं।

गैलेथिया बे

संदर्भ:

- केंद्र ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गैलेथिया बे को 'प्रमुख बंदरगाह' के रूप में नामित किया है, जो ₹44,000 करोड़ की परियोजना की शुरुआत है।
- गैलेथिया बे में 20 मीटर की गहराई वाला ब्रेट निकोबार आइटॉड इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (GNIICCTT), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में \$9 बिलियन की परियोजना है। यह विजिन-जाम इंटरनेशनल सीपोर्ट के बाद भारत का दूसरा डीप-वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट हब को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया जाएगा और इसका उद्देश्य वर्तमान में विदेशी में संभाले जाने वाले कार्गो को शामिल करना है।
- भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनमें प्रमुख बंदरगाहों को प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 द्वारा विनियमित किया जाता है, और गैर-प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन राज्य समुद्री बोर्ड द्वारा किया जाता है।



जनगणना में देशी सरकार ने सांख्यिकी पर स्थायी समिति को भंग कर दिया

संदर्भ:

- सरकार ने राष्ट्रीय जनगणना के संचालन में देशी के बारे में विंताओं के बीच सांख्यिकी पर 14-सदरस्यीय स्थायी समिति (SCoS) को भंग कर दिया है, जो सांख्यिकीय सर्वेक्षणों की देखरेख कर रही थी। पूर्व मुख्य सांख्यिकीय विद् प्रणाल सेन के नेतृत्व वाली समिति ने पहले आर्थिक और जनसंख्या जनगणना दोनों में देशी पर मुद्दे उठाए थे। पिछली जनगणना 2011 में की गई थी, अगली जनगणना 2021 में होनी है।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने कहा कि समिति का काम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों के लिए नवगठित संचालन समिति के काम से ओवरलैप हो गया, जिसके कारण इसे भंग कर दिया गया।

आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति (SCES)

- स्थापना: 2019 MoSPI द्वारा
- प्रकृति: महत्वपूर्ण सांख्यिकीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए अस्थायी समिति
- वित्त पोषण: भारत सरकार (MoSPI के माध्यम से)
- उद्देश्य:
 - सर्वेक्षण पद्धति (नमूनाकरण, डिजाइन, उपकरण) पर सलाह देना
 - सर्वेक्षण सारणीकरण योजनाओं को अंतिम रूप देना

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के लिए संचालन समिति

- स्थापना: जुलाई 2023
- उद्देश्य: NSC की सिफारिशों के आधार पर NSSO के सर्वेक्षण-संबंधी मामलों की देखरेख करना

वायु प्रदूषण

पाठ्यक्रम: वायु प्रदूषण

संदर्भ:

- दिल्ली में वायु गुणवत्ता जून के मध्य के बाद पहली बार 'खराब' श्रेणी (AQI 200-300) में पहुँच गई, जो उत्तर भारत में खराब वायु मौसम के आने का संकेत है।

New WHO Global Air Quality Guidelines

Pollutant	Time	2005 levels	New 2021 levels
PM _{2.5} Particulate matter < 2.5 microns	Annual	10	5
	24-hour	25	15
PM ₁₀ Particulate matter < 10 microns	Annual	20	15
	24-hour	50	45
O ₃ Ozone	Peak season	-	60
	8-hour	100	100
NO ₂ Nitrogen dioxide	Annual	40	10
	24-hour	-	25
SO ₂ Sulfur dioxide	24-hour	20	40
	24-hour	-	4
CO Carbon monoxide			

वायु प्रदूषण डेटा:

IT's about quality

- वैश्विक रैंकिंग: IQAir की 2023 रिपोर्ट के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे प्रदूषित देश है।
- 5 सांदर्भता: भारत में औसत PM_{2.5} सांदर्भता 54.4 g/m³ है।
- आर्थिक प्रभाव: वायु प्रदूषण के कारण सालाना ₹2.7 लाख करोड़ का अनुमानित आर्थिक नुकसान होता है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.36% है।

वायु प्रदूषण के कारण:

प्राकृतिक कारण:

- जंगल की आग और धूल के तूफान: जंगल की आग और धूल के तूफान जैसी प्राकृतिक घटनाएँ हवा में कण पदार्थ के प्रसार में योगदान करती हैं।
- ज्वालामुखीय गतिविधि: ज्वालामुखी विरफोट से स्टफर डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं, जो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।

मानवजनित कारण:

- गाढ़ों से होने वाला उत्सर्जन: कार और औद्योगिक परिवहन नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और पार्टिकुलेट मौटर (PM) के मुख्य स्रोत हैं।
- औद्योगिक उत्सर्जन: फैक्ट्रियाँ स्टफर ऑक्साइड (SOx) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) जैसे प्रदूषक छोड़ती हैं, जो रसानीय और वैश्विक वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं।

3. पराती जलाना: पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आम बात है, यह प्रथा प्रदूषण को बढ़ाती है, खासकर सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में।
4. अपशिष्ट जलाना: ठोस अपशिष्ट को खुले में जलाने से हवा में हानिकारक रसायन निकलते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता और खराब होती है।
5. कोयला आधारित बिजली संयंत्र: ये संयंत्र भारत में SO2 उत्सर्जन के आधे से ज्यादा और NOx उत्सर्जन के 30% में योगदान करते हैं।

वायु प्रदूषण का प्रभाव:

1. स्वास्थ्य: यह श्वसन संबंधी समस्याओं, हृदय रोग और समय से पहले मृत्यु का कारण बनता है, जिसमें PM2.5 सबसे हानिकारक प्रदूषक है।
2. पर्यावरण: वायु प्रदूषण के कारण अमरीका वर्षा होती है, जो फसलों और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाती है, और जलवायु परिवर्तन में योगदान देती है।
3. आर्थिक नुकसान: विश्व बैंक के अनुसार, वायु प्रदूषण कार्यबल उत्पादकता, जीडीपी वृद्धि और स्वास्थ्य सेवा लागत में उल्लेखनीय कमी का कारण बनता है।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय:

1. तकनीकी हस्तक्षेप:

- वायु गुणवत्ता निगरानी: वास्तविक समय वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने से प्रारंभिक चेतावनियों और लक्षित कार्रवाइयों में मदद मिल सकती है।
- उत्सर्जन मानदंड: वाहनों के लिए भारत स्टेज VI मानदंडों को मजबूत करना और विस्तारित करना, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देना, उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग: कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय स्रोतों में संक्रमण हानिकारक उत्सर्जन को कम कर सकता है।

2. नीतिगत हस्तक्षेप:

- राष्ट्रीय रवाना वायु कार्यक्रम (NCAP): 2026 तक PM2.5 के स्तर को 20-40% तक कम करने के उद्देश्य से, NCAP राज्यों और क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों पर जोर देता है।
- ब्रेड रिपांस एक्शन प्लान (GRAP): विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर के लिए, GRAP गंभीर प्रदूषण प्रकरणों के दौरान आपातकालीन उपायों को लागू करता है।
- पराली प्रबंधन कार्यक्रम: किसानों को जलाने के बजाय बायो-डीकंपोजर का उपयोग करने जैसे वैकल्पिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, मौसमी प्रदूषण में वृद्धि को कम कर सकता है।

3. सामुदायिक और व्यवहारिक परिवर्तन:

- जन जागरूकता: वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों पर जागरूकता अभियान और नागरिकों को कारपूलिंग और अपशिष्ट पृथक्करण जैसी रवाना प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- छरित शहरी स्थान: शहरी क्षेत्रों में छरित पट्टियों का विस्तार करने से प्रदूषकों को अवशोषित करने और समग्र वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

सर्वोत्तम वैश्विक अभ्यास:

1. सिंगापुर की छरित योजना: रसायी शहरी नियोजन, इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन और मजबूत सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के माध्यम से शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने और वायु प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य।
2. लंदन का अल्ट्रा-लो एमिशन ज़ोन (ULEZ): एक प्रणाली जो उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों को चार्ज करती है, जिससे शहर के प्रदूषण को काफी हट तक कम करने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष:

- भारत के वायु प्रदूषण संकट के लिए एक सतत, बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो अल्पकालिक दृष्टिकोणों की तुलना में दीर्घकालिक समाधानों को प्राथमिकता देता है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरणा लेते हुए, भारत को वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वैज्ञानिक तरीकों, तकनीकी समाधानों और सार्वजनिक भागीदारी को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

शहरी बाढ़

पाठ्यक्रम: प्राकृतिक आपदा

संदर्भ:

- गुवाहाटी, कई बढ़ते शहरी केंद्रों की तरह, शहरी बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति से जूँझ रहा है। कई नगर नियोजन पहलों के बावजूद, शहर का बुनियादी ढांचा और जल निकासी प्रणाली अपर्याप्त बनी हुई हैं, जो अक्सर तेजी से शहरीकरण, वनों की कटाई और खराब नियोजन से और भी बदतर हो जाती हैं।



शहरी बाढ़ के कारण:

प्राकृतिक कारण:

- भारी वर्षा:** मानसून के दौरान गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश होती है, जिससे सतही अपवाह होता है जो जल निकासी प्रणालियों को प्रभावित करता है।
- स्थलाकृति:** शहर के पहाड़ी इलाके और निचले इलाके उचित जल निकासी को शोकते हैं, खासकर जब प्राकृतिक आउटलेट अवरुद्ध होते हैं।
- नदी का अतिप्रवाह:** ब्रह्मपुत्र नदी के निकट होने से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि भारी बारिश के दौरान या नेशनलियों के पिघलने पर नदी उफान पर आ जाती है।

मानव निर्मित कारण:

- अनियोजित शहरीकरण:** पर्याप्त योजना के बिना वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों का तेजी से, अनियंत्रित विकास प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों को अवरुद्ध करता है।
- आर्द्धभूमियों पर अतिक्रमण:** प्राकृतिक जल सिंक के रूप में कार्य करने वाली आर्द्धभूमियों पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे जल अवशोषण क्षमता कम हो जाती है।
- अपर्याप्त जल निकासी अवशंकना:** 1970 के दशक में डिजाइन की गई जल निकासी प्रणालियाँ पुरानी, अधूरी और वर्तमान जल स्तर को संभालने में असमर्थ हैं, जिससे बाढ़ आती है।
- पारगम्य सतहों का नुकसान:** सीमित हरित रसानों के साथ अत्यधिक कंक्रीटीकरण, भूजल पुनर्भरण को कम करता है और अपवाह को बढ़ाता है, जिससे जलभराव होता है।

शहरी बाढ़ के प्रभाव/परिणाम

- दैनिक जीवन में व्यवधान:** बाढ़ से परिवहन, बिजली आपूर्ति और बुनियादी सेवाएँ बाधित होती हैं, जिससे निवासियों को असुविधा होती है और आर्थिक नुकसान होता है।
- स्वास्थ्य संबंधी खतरे:** इधर पानी डैंगू, मलेरिया और हैंजा जैसी बीमारियों के लिए प्रजनन स्थल बनाता है।
- आर्थिक नुकसान:** बाढ़ से संपत्ति, बुनियादी ढांचे और व्यापार को नुकसान होता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ता है।
- पर्यावरण क्षरण:** जलभराव से मिट्टी का क्षरण होता है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं और जल निकाय दूषित होते हैं।
- लोगों का विस्थापन:** लंबे समय तक बाढ़ के कारण अक्सर निवासियों का विस्थापन होता है, खासकर निचले इलाकों से।

शमन उपाय

1. व्यापक शहरी नियोजन:

- अतिरिक्त पानी को अवशोषित करने के लिए ऐन गार्डन और पारगम्य फुटपाथ जैसे हरित बुनियादी ढांचे के साथ संपर्ज स्टी अवधारणाओं को अपनाएं।
- आर्द्धभूमि और जल निकासी पर आगे अतिक्रमण से बचने के लिए स्थायी भूमि-उपयोग प्रथाओं को लानू करें।

2. जल निकासी प्रणाली उन्नयन:

- आधुनिक जल निकासी प्रणालियों को डिजाइन करने के लिए NDMA (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) दिशानिर्देशों का पालन करें जो अत्यधिक वर्षा की घटनाओं को संभाल सकें।
- पुरानी जल निकासी योजनाओं को पुनर्जीवित करें और भोरोलू नदी जैसे प्राकृतिक जल चैनलों की सफाई और विस्तार पर ध्यान केंद्रित करें।

3. वाटरशेड प्रबंधन:

- आर्द्धभूमि, झीलों और तालाबों को बढ़ावा करें और उनकी रक्षा करें, अपवाह को कम करने के लिए प्राकृतिक जल प्रतिधारण सुनिश्चित करें।
- भूजल पुनर्भरण के लिए समुदाय और घेरेलू स्तर पर वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दें।

4. लचीला बुनियादी ढांचा:

- सुनिश्चित करें कि सभी नए निर्माण, विशेष रूप से बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में, जलभराव को शोकने के लिए भवन संषिता का पालन करें।
- निचले इलाकों में बेसमेंट निर्माण पर शोक लगाएं और जोखिम भरे विकास से बचने के लिए ढलान विश्लेषण लानू करें।

5. प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और संकट प्रबंधन:

- बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में नागरिकों को सवेत करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करें।
- कुशल बाढ़ प्रतिक्रिया के लिए गैर सरकारी संगठनों, सीबीओ और स्थानीय हितधारकों को शामिल करते हुए स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों की स्थापना करें।

निष्कर्ष:

- पारंपरिक जल प्रबंधन तकनीकों को हरित बुनियादी ढंगे और सख्त नियामक उपायों जैसे नए युग के समाधानों के साथ एकीकृत करके, शहर बाढ़ के प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारणों को कम कर सकते हैं व्यापक शहरी शासन और भागीदारी टटिकोण लचीला, भविष्य-प्रूफ शहरी विकास सुनिश्चित करेंगे।

प्रोजेक्ट चीता

संदर्भ: इंडियन एक्सप्रेस

संदर्भ:

- प्रोजेक्ट चीता, जिसके तहत भारत में जंगली बिल्ली की अफ्रीकी उप-प्रजातियों को लाया गया, ने 17 सितंबर को दो साल पूरे कर लिए।

प्रोजेक्ट चीता की पृष्ठभूमि:

- भारत में चीता विलुप्ति: 1952 में अत्यधिक शिकार और आवास के कारण भारत में चीतों को आधिकारिक तौर पर विलुप्त होप्रियत कर दिया गया था।
- पुनः परिवाय का लक्ष्य: इस परियोजना का उद्देश्य भारत में घास के मैदानों और सवाना जैसे पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल करते हुए एक व्यवहार्य चीता आबादी स्थापित करना है।
- अफ्रीका से स्थानांतरण: 2022 में, नामीबिया से 8 चीतों का पहला बैच आया, उसके बाद 2023 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए।
- चीता प्रजनन और विस्तार: इस परियोजना का उद्देश्य भारत में विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में प्रजनन को बढ़ावा देना और एक मेटापॉपुलेशन स्थापित करना है।
- पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली: चीतों को खुले पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए एक छत्र प्रजाति के रूप में उपयोग किया जाता है, जो इन आवासों पर निर्भर अन्य प्रजातियों के संरक्षण में योगदान देता है।

दो वर्षों के प्रदर्शन का विश्लेषण:

सकारात्मक:

- सफल स्थानांतरण: शावकों सहित 24 चीते प्रारंभिक स्थानांतरण और भारत के पर्यावरण के अनुकूल होने से बच गए हैं।
- प्रजनन सफलता: दो वर्षों के भीतर 17 शावकों का जन्म हुआ है, जो जनसंख्या विस्तार की संभावना दर्शाता है।
- अनुकूली नतिविधियों: वीरा जैसे कुछ चीतों ने व्यापक नतिविधियों प्रदर्शित की हैं, जो चीतों के मुक्त-शेणी के जीवन के अनुकूल होने की संभावना को दर्शाता है।
- बहु-स्थान स्थानांतरण: जनसंख्या को फैलाने के लिए परियोजना को गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य तक विस्तारित करने की योजनाएँ चल रही हैं।

चुनौतियाँ:

- उच्च मृत्यु दर: 8 चीते (स्थानांतरित वर्षकों का 40%) और 5 शावक (29%) संक्रमण, संभोग घोटों और पर्यावरणीय तनाव जैसे मुद्दों के कारण मर गए हैं।
- सीमित जंगली रिहाई: अधिकांश चीते अभी भी बाड़ों में हैं, जिससे जंगल में खतंत्र रूप से पनपने की उनकी क्षमता के बारे में विंताएँ बढ़ रही हैं।
- शिकार की कमी: शिकार की घटती आबादी, विशेष रूप से चीतल, कुनों नेशनल पार्क में चीतों और तेंदुओं दोनों का समर्थन करने में एक बड़ी चुनौती है।
- अंतरराज्यीय समन्वय: राज्यों में चीतों की आवाजाही परिवृत्ति-स्तरीय संरक्षण रणनीतियों और क्षेत्रों में सहयोग की आवश्यकता को उजागर करती है।

आगे की राह:

- शिकार आधार वृद्धि: चीता आबादी को सहारा देने के लिए कुनों और गांधी सागर में शिकार घनत्व बढ़ाने के लिए तत्काल प्रयास की आवश्यकता है।
- आवास बहाली: संरक्षण प्रयासों को कई जिलों और राज्यों में फैले घास के मैदानों और सवाना को बहाल करने और उनकी रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- क्रमिक जंगली रिहाई: चीतों को मुक्त-शेणी के आवासों में सफलतापूर्वक अनुकूलित करने के लिए मानसून के बाद की रिहाई योजनाओं को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जाना चाहिए।
- पारदर्शी परियोजना प्रबंधन: विशेषज्ञों और जनता के साथ बेहतर संचार दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से चुनौतियों और रणनीतियों के संबंध में।

निष्कर्ष:

- जबकि प्रोजेक्ट चीता ने प्रजनन सफलता और अनुकूलन के माध्यम से वादा दिखाया है, उच्च मृत्यु दर और देशी से जंगली रिहाई इसकी स्थिता के बारे में चिंताएं बढ़ाती हैं। आवास बढ़ाती, शिकार प्रबंधन और प्रभावी समन्वय पर ध्यान केंद्रित करना परियोजना की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) के 5 वर्ष पूरे हुए

पाठ्यक्रम: आपदा प्रबंधन

संदर्भ:

- आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) ने अपनी पांचवीं वर्षगांठ मनाई।
- साथ ही, CDRI ने भारत सहित 30 निम्न और मध्यम आय वाले देशों के शहरों को सहायता देने के लिए \$2.5 मिलियन के कोष की घोषणा की। इस शहरी अवसंरचना लचीलापन कार्यक्रम (UIRP) का उद्देश्य जलवायु लचीलापन को अवसंरचना में एकीकृत करने के लिए जागरूकता, योजना और वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना है।
- इससे पहले, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार (GoI) और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) के बीच मुख्यालय समझौते (HQA) के अनुसर्थन के लिए अपनी स्वीकृति दी थी।

CDRI के बारे में:

के बारे में:	सीडीआरआई राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों की एक वैयिक साझेदारी है।
उद्देश्य:	इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए बुनियादी ढांचे की प्रणालियों के लचीलापन को बढ़ावा देना है, जिससे सतत विकास सुनिश्चित हो सके।
द्वारा लॉन्च किया गया:	इसे 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाई शिखर सम्मेलन (न्यूयॉर्क) के दौरान भारत के प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे जलवायु परिवर्तन और आपदा लचीलापन मामलों में वैयिक नेतृत्व की भूमिका ग्राप्स करने के भारत के प्रयास के रूप में देखा जाता है।
संचालित:	नई दिल्ली
संदर्भ	इसके लॉन्च के बाद से, 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र के संगठन सीडीआरआई के संदर्भ बन गए हैं।
उन्नयन:	2022 में, मंत्रिमंडल ने सीडीआरआई को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता देने और संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 के तहत सीडीआरआई को छूट, प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।
मुख्यालय समझौते का महत्व:	अनुसर्थन से सीडीआरआई को एक खतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व मिलेगा, ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कारों को अधिक कुशलता से कर सके।

सीडीआरआई बुनियादी ढांचे की पहुंच और लचीलापन बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है

- आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) सरकारों और अन्य एजेंसियों की एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है जो आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

पहुंच में सुधार

- CDRI दूरदराज और कमज़ोर समुदायों तक पहुंच बढ़ाने के लिए ग्रामीण सड़कों और दूरसंचार जैसे कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने की वकालत करता है।
- यह ADB जैसे विकास बैंकों के साथ साझेदारी करता है ताकि पहुंच बढ़ाने वाली परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण जुटाया जा सके, जिन्हें सरकारें मामूली रिटर्न के कारण अनदेखा कर सकती हैं।
- CDRI इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे अंतिम मील तक पहुंचने से निकासी, निगरानी और सेवा वितरण की सुविधा के द्वारा आपदा जोखिम और दीर्घकालिक लागत कम हो जाती है।
- यह पहुंच के लिए निवेश प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन करने के लिए आपदाओं से ग्रस्त कम सेवा वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भू-स्थानिक मॉडल विकसित कर रहा है।

लचीलापन बढ़ाना

- CDRI ने जोखिम जोखिमों और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर देशों के लिए अनुकूलन योज्य 10 लचीलापन मानक और दिशानिर्देश तैयार किए हैं।
- यह आपदा प्रतिरोधी डिजाइन, निर्माण और संरक्षण परिसंपत्ति प्रबंधन को शामिल करते हुए जीवन चक्र लचीलापन समाधानों पर बुनियादी ढांचे एजेंसियों को प्रशिक्षित करता है।
- CDRI ढालान स्थिरीकरण के लिए जैत-इंजीनियरिंग और लचीले पारिस्थितिकी-बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए विकेन्ड्रीकृत अक्षय ऊर्जा प्रणालियों जैसे लागत प्रभावी इंजीनियरिंग नवाचारों को बढ़ावा देता है।

- यह बिजली ब्रिड, संचार नेटवर्क और परिवहन प्रणालियों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए आपदा तबीलापन योजनाएँ विकसित करने के लिए देशों के साथ काम करता है।
- CDRI देशों को विस्तृत निदान उपकरणों और सिमुलेशन के माध्यम से बुनियादी ढांचे के जोखिमों और लचीलापन अंतराल का आकलन करने में मदद करता है।

निष्कर्ष

- इस प्रकार CDRI दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे की वकालत करके और लचीले डिजाइन, वितरण और संचालन के लिए एंड-टू-एंड समाधानों पर देशों की क्षमता का निर्माण करके समावेश और लचीलापन को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है, इस प्रकार समावेशी और लचीले की दिशा में नीति को आगे बढ़ाता है।

अंतर्राष्ट्रीय बिंग कैट अलायंस (IBCA)

संदर्भ:

- भारत आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल बिंग कैट अलायंस (IBCA) में शामिल हो गया है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 अप्रैल, 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान शुरू की गई एक वैष्णविक पहल है।
- IBCA का उद्देश्य बाघ, शेर और चीते जैसी बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है भारत निकारागुआ, इत्तिहासिक और सोमालिया के साथ चार संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत में मुख्यालय के साथ, यह गठबंधन बड़ी बिल्लियों और उनके आवासों की रक्षा करने, संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने और जलवायु चुनौतियों का समाधान करने के लिए 24 देशों और नौ संगठनों के साथ सहयोग करेगा।

ग्लोबल अलायंस फॉर बिंग कैट्स के बारे में:

संदर्भ:

- भारत ने बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए एक मेगा ग्लोबल अलायंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है और 100 मिलियन डॉलर (800 करोड़ रुपये से अधिक) की गारंटीकृत फंडिंग के साथ पांच वर्षों में समर्थन का आश्वासन दिया है।

इंटरनेशनल बिंग कैट अलायंस (IBCA) के बारे में




International Big Cat Alliance (IBCA)



Tiger **Lion**

Context: India has proposed to launch a mega global alliance to protect big cats and assured support over five years with guaranteed funding of \$100 million (over Rs 800 crore)



Leopard **Snow Leopard** **Jaguar** **Puma** **Cheetah**

About International Big Cat Alliance (IBCA)

	Description
Purpose	Protection and conservation of the 7 major big cats- tiger, lion, leopard, snow leopard, puma, jaguar and cheetah
Member countries	97 range countries and other interested nations and organs.
Activities	Advocacy, partnerships, knowledge portal, capacity building, eco-tourism, expert groups and finance tapping
Governance structure	General Assembly, Council, and Secretariat
Funding	\$100 million grant assistance by India for the first 5 years; later through membership fees, contributions from bilateral and multilateral institutions, and the private sector
Previous initiatives	India had in 2019 called for an Alliance of Global Leaders to curb poaching and illegal wildlife trade in Asia.
Importance of saving the tiger	India is the only country in the world to have 5 big cats in wild (all except pumas and Jaguars). Big cats are umbrella and flagship species whose loss can set off a "trophic cascade," (prey populations may explode, resulting in overgrazing and degrading the health of the landscape). India is home to 75% of global tigers.

Visit Insights IAS Daily Current Affairs

टिपोर्ट: वैश्विक EV बाज़ार में होने वाले बदलावों से बचने के लिए भारत की रणनीति

पाठ्यक्रम: पर्यावरण संरक्षण / ऊर्जा

संदर्भ:

- ब्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट, “वैश्विक EV बाज़ार में होने वाले बदलावों से बचने के लिए भारत की रणनीति,” भारत से आग्रह करती है कि वह बाज़ार की ताकतों को अपने EV फ़ोट्रो के विकास का मार्गदर्शन करने दे और अपनी रणनीति विकसित करें।

पृष्ठभूमि:

- 2023 में, चीन ने 1.6 मिलियन EV निर्यात करके वैश्विक EV बाज़ार पर अपना ढबदबा बनाया। पश्चिमी देशों ने चीनी EV आयात पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है, जिससे चीन को उत्पादन को आसियान देशों और भारत में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। भारतीय EV उत्पादन बैटरी सहित चीनी घटकों पर निर्भर है।
- बिजली उत्पादन के लिए कोयाते पर भारत की निर्भरता इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के पर्यावरणीय लाभों को काफ़ी कम कर देती है, जिससे स्वच्छ परिवहन में सोनदान देने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त, भारत में EV की 80% से अधिक लागत चीन से आयात किए जाने वाले घटकों, तिशेष रूप से बैटरी से जुड़ी हैं, जिससे देश की चीनी आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता बढ़ जाती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि भारत शॉलिड-स्टेट बैटरी और हाइड्रोजन ईंधन सेल जैसी उन्नत बैटरी प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करें, साथ ही मजबूत रीसाइकिलिंग बुनियादी ढाँचा भी स्थापित करें। इसके अलावा, EV चार्जिंग के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का समर्थन करना और EV के पर्यावरणीय प्रभावों का व्यापक आकतन करना दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

इलेक्ट्रिक वाहन क्या हैं?

- इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पारंपरिक आंतरिक दृष्टि इंजन के बजाय प्रणोदन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करते हैं। ईंधन आधारित वाहनों से कार्बन उत्सर्जन पर विनाशकों के कारण EV में लंबे बढ़ी है। EV के तीन मुख्य प्रकार हैं:
 - बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV):** शून्य उत्सर्जन के साथ पूरी तरह से बैटरी द्वारा संचालित।
 - प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (PHEV):** एक इलेक्ट्रिक मोटर और गैसोलीन इंजन दोनों का उपयोग करें; बाहरी रूप से चार्ज किया जा सकता है।
 - ठाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (HEV):** इलेक्ट्रिक और गैसोलीन पावर को मिलाते हैं, लेकिन बाहरी रूप से चार्ज नहीं किए जा सकते; बैटरी को इंजन या रीजनरेटिव ब्रॉकिंग के माध्यम से चार्ज किया जाता है।
- इससे पहले, केंद्र सरकार ने ई-वाहन नीति को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य भारत को अत्याधुनिक तकनीक वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

पहलू:	विवरण
नीति का उद्देश्य:	भारत को उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना।
कार्यान्वयन:	परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने और भारत सरकार (जीआरआई) द्वारा सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होनी।

मंत्रालय: भारी उद्योग मंत्रालय

पात्रता मानदंड:	न्यूनतम निवेश आवश्यकता: 4150 करोड़ रुपये (लगभग 500 मिलियन अमरीकी डॉलर) अधिकतम निवेश: अधिकतम निवेश पर कोई सीमा नहीं विनिर्माण समरयेरेखा: 3 वर्षों के भीतर विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करें विनिर्माण के टौरेन घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) मानदंड: 3 वर्षों की अवधि के भीतर 25%, और भारी उद्योग मंत्रालय/पीएमए द्वारा अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से 5 वर्षों के भीतर 50% बैंक गारंटी के बाद भी वापस की जाएगी जब 50% डीवीए प्राप्त हो जाए और कम से कम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। या लूटे हुए शुल्क की सीमा तक 5 वर्ष, जो भी अधिक हो। प्रदर्शन मानदंड: सभी इलेक्ट्रिक यात्री वाहन उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) ऑटो योजना के प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करेंगे।
नीति की अवधि:	5 वर्ष या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित।
मुख्य लाभ:	ईवी विनिर्माण में तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करता है; मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देता है; ईवी खिलाड़ियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है; कच्चे तेल के आयात और व्यापार घाटे को कम करता है; वायु प्रदूषण को कम करता है, खासकर शहरी क्षेत्रों में; स्वास्थ्य और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव।

<p>ईवी को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहल:</p>	<p>ईवी को तेजी से अपनाना और विनिर्माण करना (फेम) इंडिया योजना: चरण I को 2015 में और चरण II को 2019 में लॉन्च किया गया था। ईवी की तैनाती के लिए ईवी 30@30 पहल और 2030 तक नई ईवी बिक्री का कम से कम 30 प्रतिशत लक्ष्य 2021 में ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स (पीएलआई-ऑटो) के लिए पीएलआई योजना, धरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण उद्योग की मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में।</p>
--	--

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के उपाय:

1. बैटरी लीज़-टू-ओन प्रोग्राम: बैटरी को टीज़ पर देकर शुरुआती ताज़ात करें।
2. बैटरी तकनीक में निवेश करें: उन्नत, उच्च घनत्व वाली बैटरी विकसित करें।
3. चार्जर घनत्व बढ़ाएँ: पार्किंग मीटर का विस्तार करें और उन्हें चार्जिंग पॉइंट में बदलें।
4. मानकीकरण: अंतर-संचालन के लिए मानक प्रोटोकॉल विकसित करें।
5. ईवी ग्रामीण उद्यमी कार्यक्रम: ग्रामीण चार्जिंग स्टेशन सेटअप का समर्थन करें।
6. हाईवे बैटरी स्वैप कॉरिडोर: प्रमुख मार्गों पर स्वैप स्टेशन बनाएँ।
7. ईवी और हाइब्रिड के लिए समान सब्सिडी: दोनों प्रौद्योगिकियों के लिए समान समर्थन प्रदान करें।
8. शेकंड-लाइफ बैटरी बाज़ार: विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त बैटरियों का पुनः उपयोग करें।

अन्य देशों से सबक:

- यूरोप: वित्तीय प्रोत्साहन अपनाने को बढ़ावा देते हैं।
- चीन: सरकारी समर्थन और प्रतिस्पर्धा बाजार की वृद्धि को बढ़ावा देती है।
- अमेरिका: नवाचार और रणनीतिक वित्तपोषण महत्वपूर्ण हैं।

जलवायु परिवर्तन में मीथेन की भूमिका

पाठ्यक्रम: पर्यावरण संरक्षण

संदर्भ:

- मीथेन, हालांकि अल्पकालिक (12 वर्ष) है, 20 वर्षों में CO₂ की तुलना में 84 गुना अधिक गर्मी को अतशोषित करता है, जिससे यह एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस बन जाती है।

मीथेन क्या है?

- यह एक गंधघीन, रंगहीन और ज्वलनशील गैस है; कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ज्लोबल वार्मिंग में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता और ब्राउंड-लेवल ओजोन के निर्माण में प्राथमिक योगदानकर्ता।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने अपनी वार्षिक ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिपोर्ट जारी की

<p>रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:</p>	<p>2023 में, ऊर्जा क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन रिकॉर्ड ऊर्वाई के करीब रहा। जीवायम ईंधन उत्पादन और उपयोग, जैव ऊर्जा के साथ, लगभग 120 मिलियन टन (Mt) उत्सर्जन में योगदान दिया, जिसमें से लगभग 70% शीर्ष 10 उत्सर्जक देशों से उत्पन्न हुआ।</p>
<p>रिपोर्ट की संस्तुतियाँ:</p>	<p>2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 75% की कमी लाने के लिए लगभग 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित निवेश की आवश्यकता है।</p>
<p>मीथेन को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक पहल:</p>	<p>उत्सर्जन ट्रैकिंग के लिए उपग्रह इमेजरी जैसे बेहतर उपकरणों ने पारदर्शिता को बढ़ाया है, फिर भी ऊर्जा को कम करने के लिए व्यवस्थित और पारदर्शी डेटा उपयोग आवश्यक है।</p>
<p>भारतीय पहल:</p>	<p>अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला, वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा (भारत इसका छिरसा नहीं है), वैश्विक मीथेन पहल, मीथेनसैट</p>
<p>IEA के बारे में:</p>	<p>आईईए (मुख्यालय: पेरिस; 1974 में स्थापित) तेल आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वायत्त अंतर-सरकारी संगठन है। सदस्यता: 31 देश विश्व ऊर्जा आउटलुक छर साल प्रकाशित होता है और ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के रुझानों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।</p>

जलवायु परिवर्तन में मीथेन की भूमिका:

पहला	विवरण	उदाहरण
गर्मी को रोकने की क्षमता	मीथेन 20 साल की अवधि में CO ₂ की तुलना में लगभग 84 गुना अधिक गर्मी को अवशोषित करता है।	मीथेन का अल्पकालिक ताप-फँसाने वाला प्रभाव वैश्विक तापमान में उल्लेखनीय योगदान देता है।
वायुमंडल में अवधि	मीथेन नष्ट होने से पहले लगभग 12 साल तक वायुमंडल में रहता है।	अपने छोटे जीवन के बावजूद, इसकी उपस्थिति के दौरान इसका तीव्र ताप-फँसाने वाला प्रभाव काफ़ी अधिक होता है।
ग्लोबल वार्मिंग में योगदान	औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान में लगभग एक टिहाई वृद्धि के लिए मीथेन जिम्मेदार है।	इसका बढ़ते वैश्विक तापमान और बदलते जलवायु पैटर्न पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।
स्रोत	मानव गतिविधियाँ और प्राकृतिक स्रोत वायुमंडल में पहुँचने वाली 60% मीथेन मानवीय गतिविधियों से आती है।	मानव: कृषि (जैसे, गाय का डकारना), लैंडफिल और जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण। प्राकृतिक: आद्रभूमि पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना।
ऊर्जा क्षेत्र उत्सर्जन	मीथेन तेल और गैस उत्पादन, परिवहन और भंडारण के दौरान बाहर निकलती है।	मीथेन का रिसाव जंग लगे उपकरणों से या गैस प्लेटरिंग और वेंटिंग प्रक्रियाओं के दौरान होता है।

आगे की राह

- मीथेन उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए, कई रणनीतियों को नियोजित किया जा सकता है। सटीक खोती और संरक्षण जुटाई जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने से कृषि से उत्सर्जन कम हो सकता है। पशुधन संचालन और लैंडफिल में मीथेन कैप्चरिंग तकनीक मीथेन को कैप्चर कर सकती है और उसे उपयोगी ऊर्जा में बदल सकती है। सिर्टम ऑफ राइस इंटेसिफिकेशन (एसआरआई) और डायरेक्ट सीडेड शईस (डीएसआर) जैसी वावल की खोती की तकनीकों को लाना करने से वावल के खोतों से मीथेन को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जैविक कचरे से बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने से अक्षय ऊर्जा स्रोत मिलता है और कचरे के अपघटन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है।

चक्रवात असना

संदर्भ:

- गुजरात में कच्छ तट पर बना चक्रवात असना क्षेत्र में कोई खास प्रभाव डाले बिना ओमान की ओर बढ़ गया।
- गहरे ढबाव से उत्पन्न चक्रवात ने कुछ बारिश और तेज हवाएँ लाई, लेकिन कोई बड़ी झाति या हताहत नहीं हुआ।

चक्रवातों के बारे में:

- चक्रवात कम दबाव वाले केंद्र के चारों ओर वायु परिसंचरण की तीव्र प्रणालियाँ हैं, जो हिस्सक तूफानों और प्रतिकूल मौसम स्थितियों की विशेषता रखते हैं।
- उत्तरी गोलार्ध में, चक्रवात वामावर्त धूमते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, वे दक्षिणावर्त धूमते हैं।
- शब्द "चक्रवात" ग्रीक शब्द "σαϊκ्लोस" से आया है, जिसका अर्थ है सॉप की कुंडलियाँ, हेनरी पेडिंगटन द्वारा गढ़ा गया एक संदर्भ बंगल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय तूफानों की उपस्थिति के कारण कुंडलित सॉपों जैसा दिखता है।

चक्रवातों को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात: ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं और इनमें तूफान और टाइफन शामिल हैं।
- अतिरिक्त-उष्णकटिबंधीय चक्रवात: इन्हें समशीतोष्ण, मध्य-अक्षांश या लोताट चक्रवात के रूप में भी जाना जाता है, ये मध्य अक्षांशों में होते हैं और मौसम के मोर्चों और कम दबाव प्रणालियों से जुड़े होते हैं।

How tropical storms are formed

High humidity and ocean temperatures of over 26°C are major contributing factors

Water evaporates from the ocean surface and comes into contact with a mass of cold air, forming clouds

A column of low pressure develops at the centre. Winds form around the column

As pressure in the central column (the eye) weakens, the speed of the wind around it increases



कैबिनेट ने चंद्रयान-4 मिशन को मंजूरी दे दी है

पाठ्यक्रम: विज्ञान और प्रौद्योगिकी: अंतरिक्ष

संदर्भ:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान-4 मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर उतरने के बाद पृथ्वी पर लौटने और विश्लेषण के लिए चंद्र नमूने एकत्र करने की तकनीकों का प्रदर्शन करना है।
- यह मिशन चंद्रयान-3 के बाद है और 2040 तक भविष्य में भारत के चंद्र लैंडिंग के लिए प्रमुख तकनीकों को विकसित करने में महत्व करेगा। इस परियोजना का नेतृत्व इसरो द्वारा किया जाएगा, जिसमें उद्योग और शिक्षा जगत की मजबूत भागीदारी होगी और इसके 36 महीनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। यह मिशन भारत के व्यापक अंतरिक्ष इक्टिकोण का समर्थन करता है, जिसमें 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की योजनाएँ शामिल हैं।


इसके प्रमुख कार्यक्रमों - उपग्रह, प्रक्षेपण यान और ग्रह अन्वेषण का ऐतिहासिक अवलोकन:

कार्यक्रम	मुख्य सफलताएँ
उपग्रह कार्यक्रम	
आर्यभट्ट (1975)	अंतरिक्ष युग में भारत के प्रवेश को चिह्नित किया; एकस-रेखगोल विज्ञान, एरोनॉमिक्स और सौर भौतिकी में प्रयोग किए।
भास्कर-1 एवं भास्कर-2	भारतीय रिमोट सेंसिंग (आईआरएस) सैटेलाइट सिस्टम के लिए आधार तैयार करने वाले पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया।
आईआरएस-1ए (1988)	कृषि, वानिकी आदि जैसे भूमि-आधारित अनुप्रयोगों में सहायता करने वाले पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया।
इन्सैट शृंखला	संचार क्रांति की शुरुआत की, गष्टव्यापी कनेक्टिविटी, प्रसारण, मौसम संबंधी जानकारी आदि प्रदान की।
आईआरएनएसएस (NavIC) (2013)	स्थानीय, हवाई, समुद्री नेविगेशन, स्थान-आधारित सेवाओं आदि के लिए शुरुआत की।
लॉन्च वाहन कार्यक्रम	
1963 नाइके अपाचे	प्रारंभिक रॉकेट प्रक्षेपण; 'साउंडिंग रॉकेट' प्रयोग।
एसएलवी-3 (1980)	भारत का पहला प्रक्षेपण यान; अंतरिक्ष-यात्रा करने वाले देशों में प्रवेश।
पीएसएलवी	तिथ्वसनीय और बहुमुखी कार्यवाहक; महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों को सक्षम बनाया।
जीएसएलवी	PSLV की सीमाओं को संबोधित किया; क्रायोजेनिक इंजन पेश किए।
जीएसएलवी एमके-III	सबसे भारी प्रक्षेपण यान; चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 मिशनों के लिए उपयोग किया गया।
ग्रहों की खोज	
चंद्रयान -1 (2008)	चंद्रमा पर पानी का पता लगाया; चंद्रमा की सतह पर पहुँचने वाला पाँचवाँ देश।
मंगलयान (2013)	पहला अंतरग्रहीय मिशन; मंगल की कक्षा में पहुँचकर अंतरग्रहीय प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया।
चंद्रयान-2 (2019)	चंद्रमा की खोज के लिए लक्ष्य बनाया गया, लैकिन लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के कारण उसे झटका लगा।
चंद्रयान-3 (2023)	चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे भारत की चंद्र क्षमताओं में योगदान मिला।

Chandrayaan-3 mission



Chandrayaan-3 mission's successful soft landing on the Moon marks India becoming the fourth nation in history to reach the lunar surface and 1st one to land on Moon's South Pole



Comparision of Chandrayaan-1, 2 and 3

Instruments

Aspect	Chandrayaan-1	Chandrayaan-2	Chandrayaan-3
Launch Year	2008	2019	2023
Objectives	Study lunar surface	Study lunar surface and land rover on lunar South Pole	Demonstrate landing capabilities for Lunar Polar Exploration Mission
Components	Orbiter, Moon Impact Probe	Orbiter, Lander (Vikram), Rover (Pragyan)	Propulsion module, Lander, Rover
Findings	Confirmed lunar water, caves, activity	Built upon Chandrayaan-1's water evidence	—
Communication	Communication issues after 312 days	Lander crash-landed, rover unable to operate	Successfully landed on moon and will operate for 1 lunar day (14 Earth days)
Launch Vehicle	PSLV	GSLV-Mk 3	LVM3
Landing Site	—	Lunar South Pole	Lunar South Pole
Major Partners	—	—	Japan (for Lunar Polar Exploration Mission); support from NASA and ESA (European Space Agencies)

Visit Insights IAS Daily CA for more News


भारत के लिए चंद्रयान-4 मिशन का महत्व:

- तकनीकी उन्नति: लैंडिंग के बाद चंद्रमा से सुरक्षित वापस लौटने की भारत की क्षमता को दर्शाता है।
- चंद्र नमूना संग्रह: वैज्ञानिक विज्ञेयण के लिए चंद्रमा से नमूने वापस लाने वाला पहला मिशन।
- मानवयुक्त मिशनों की नींव: 2040 तक भविष्य के मानवयुक्त चंद्र मिशन के लिए आधार तैयार करता है।
- स्वदेशी विकास: महत्वपूर्ण अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है।
- अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा: इसमें भारतीय उद्योग शामिल हैं, रोजगार और प्रौद्योगिकी रिपन-ऑफ पैदा करते हैं।
- वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व: अंतरिक्ष यात्रा करने वाले कुलीन देशों के बीच भारत की स्थिति को मजबूत करता है।

न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग

संदर्भ:

- भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बैंगलुरु के वैज्ञानिकों ने न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जो मानव मरिटाक की संरचना और कार्यप्रणाली की नकल करता है।
- उन्होंने एक एगालॉग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो 16,500 कंडक्टेंस स्टेट्स का उपयोग करके डेटा को प्रोसेस और स्टोर कर सकता है, जो दो स्टेट्स तक सीमित पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में एक बड़ी प्रगति है।
- यह प्लेटफॉर्म जटिल AI कार्यों, जैसे कि ChatGPT जैसे प्रशिक्षण मॉडल के लिए दक्षता में सुधार करता है और ऊर्जा की खपत को कम करता है।
- टीम ने बहुत कम ऊर्जा के साथ NASA की "पिलर्स ऑफ क्रिएशन" छवि को फिर से बनाकर सिस्टम की क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया।



- यह नवाचार कंप्यूटिंग में क्रांति लाने का वादा करता है, जो तेज़ डेटा प्रोसेसिंग और अधिक कुशल मशीन लर्निंग सिस्टम को समर्पित करके AI, वित्त और तकनीक जैसे उद्योगों को प्रभावित करता है।


ज़ोरावर

संदर्भ:

- डीआरडीओ ने ज़ोरावर लाइट टैंक के लिए विकासात्मक क्षेत्र परीक्षणों के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसे विशेष रूप से लाहाख जैसे क्षेत्रों में उच्च ऊर्जा पर तैनाती के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- रेगिस्तानी इलाके में किए गए परीक्षणों में टैंक की फायरिंग स्टीकता का परीक्षण किया गया, जिसमें टैंक ने सभी प्रदर्शन लक्ष्यों को पूरा किया है।
- लार्सन एंड ट्रिबो (एलएंडटी) के सहयोग से कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेलिशमेंट (सीवीआरडीई) द्वारा विकसित, ज़ोरावर भारत की बढ़ती स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का प्रमाण है, जिसमें एमएसएमई सहित कई भारतीय उद्योगों का योगदान शामिल है।
- 25 टन वजनी, यह टैंक अत्यधिक मोबाइल और बहुमुखी है, जिसे एसी-17 विमान द्वारा ले जाया जा सकता है। यह मानव रहित प्रणालियों और लोडिंग रिंग म्यूनिशन जैसी तकनीकों को एकीकृत करता है, जो रूस-यूक्रेन युद्ध से शीर्षे गए सबक हैं।

Indigenous Zorawar Light Tank: Why is It Called 'Brave and Strong'?

Developed by L&T in collaboration with DRDO



Source: DRDO

SPUTNIK

केंद्र की बायोईड नीति: आर्थिक विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग

पाठ्यक्रम: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ:

- हाल ही में लॉन्च की गई बायोईड (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति का उद्देश्य प्राकृतिक जैविक प्रणालियों की नकल करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण प्रक्रियाओं को अधिक टिकाऊ और कम अपन्यासी बनाना है।
- यह संभावित आर्थिक प्रभावों के साथ "जीव विज्ञान के औद्योगिकीकरण" की शुरुआत का प्रतीक है।

बायोईड नीति:

- इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में जैव विनिर्माण और जैव-आधारित उत्पादों को बढ़ावा देना है, जो नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था और सुरक्षित बायोइकोनॉमी जैसे लक्ष्यों के साथ सेरेंसित है। यह अनुसंधान और विकास नवाचार, जैव विनिर्माण केंद्र, कुशल कार्यबल विकास और नैतिक जैव सुरक्षा पर केंद्रित है। मुख्य क्षेत्रों में जैव-रसायन, स्मार्ट प्रोटीन, स्टीक जैव विकित्सा और जलवायु-लवीला कृषि शामिल हैं।

विज्ञान धारा योजना:


- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुसंधान और विकास को बढ़ाने, शोधकर्ताओं की संख्या बढ़ाने और विज्ञान में लौंगिक समानता में सुधार करने के लिए एक एकीकृत योजना। यह स्थायी ऊर्जा, पानी पर ध्यान केंद्रित करता है और शिक्षा और उद्योग में नवाचार को बढ़ावा देता है। यह भारत के "विकसित भारत 2047" के उद्दिष्टों के साथ सेरेंसित है।

जैव प्रौद्योगिकी के लाभ:

- स्थिरता: जैव प्रौद्योगिकी प्लास्टिक और ईंधन जैसे पारंपरिक उत्पादों के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करती है।
- विकित्सा और कृषि अनुप्रयोग: जीन संपादन, प्रोटीन संश्लेषण और अंग इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएँ।
- पर्यावरणीय प्रभाव: सूक्ष्मजीवों के माध्यम से जैविक कार्बन कैप्चर पारंपरिक भंडारण विधियों की आवश्यकता को कम करता है।

The policy's scope is broad and ambitious, encompassing several strategic sectors:

BioE3 Policy Targets Strategic Sectors for Sustainable Growth




भारत पर बायोईंज नैति का प्रभाव:

- दीर्घकालिक टॉपिक: भारत को भविष्य की जैव प्रौद्योगिकी का दोहन करने, अनुसंधान, शिक्षा और उद्योग आगीदारी को बढ़ावा देने के लिए तैयार करता है।
- बायोमैन्युफैक्चरिंग हब: जैव-आधारित रसायनों, स्मार्ट प्रोटीन, जलवायु-तचीता कृषि और अंतरिक्ष/समुद्री अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था

- भारत शीर्ष 12 वैज्ञानिक जैव प्रौद्योगिकी गंतव्यों में से एक है और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। 2024 में, इसकी जैव अर्थव्यवस्था \$130 बिलियन तक पहुँच गई, जिसका लक्ष्य 2030 तक \$300 बिलियन है। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बायोफार्मास्युटिकल्स, जैव कृषि, जैव आईटी और जैव सेवाएँ शामिल हैं। भारत कम लागत वाली दवाओं, टीकों और बायोसिमिलर का अग्रणी उत्पादक है। कृषि के लिए समर्पित अपनी 55% भूमि के साथ, भारत बीटी-कॉटन और जैविक खेती में एक प्रमुख खिलाड़ी है।

Types of biotechnology



जैव प्रौद्योगिकी में चुनौतियाँ

अपनी गुद्धि के बावजूद, जैव प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

- स्वामित्व और पहुँच: जैव प्रौद्योगिकी पर पेटेंट पहुँच को सीमित कर सकते हैं, खासकर विकासशील देशों में।
- नैतिक मुद्दे: सीडीएनए जैसे जैव प्रौद्योगिकी नवाचार मानव जीवन और आनुवंशिक सामग्री के व्यावसायीकरण के बारे में चिंताएँ बढ़ाते हैं।
- अनिश्चितता: उभरती हुई जीनोमिक तकनीकें अज्ञात जोखिम और नुकसान की संभावना लाती हैं।
- सुरक्षा खतरे: जैविक हथियार बनाने के लिए सिंथेटिक जीवविज्ञान प्रगति का दुरुपयोग किया जा सकता है।
- पर्यावरणीय प्रभाव: कीटनाशकों के उपयोग और कीट-प्रतिरोधी फसलों में बदलाव के कारण कृषि जैव प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र, गैर-लक्ष्य प्रजातियों और परागणकों को प्रभावित कर सकती है।

सरकारी पहल:

- 9 बायोटेक पार्क और 60 बायो-इनक्यूबेटर
- 2024-25 के बजट में बायोटेक को 2,251 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- शास्त्रीय बायोफार्मा मिशन और जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2020-25 कौशल विकास और नवाचार का समर्थन करती है।

आगे की राह:

- भारत के युवा, कुशल कार्यकर्ता और वैज्ञानिक संसाधन भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। अधिक बायोटेक इनक्यूबेटर और एक मजबूत बायोमैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नवाचार और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देगा, जिससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
- ठालांकि परिणाम आने में समय लगेगा, BioE3 भारत के व्यापक प्रौद्योगिकी मिशनों के साथ सेरेवित है, जो देश को भविष्य के आर्थिक लाभों के लिए तैयार करता है।

विश्वास्य-ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक

संदर्भ:

- भारत सरकार ने विश्वास्य-ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक लॉन्च किया है, जो अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए भौगोलिक रूप से वितरित बुनियादी ढांचे के साथ ब्लॉकचेन-एज-ए-सर्विस (Baas) की पेशकश करता है।


ब्लॉकचेन क्या है?

- ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेज़र तकनीक है जहाँ डेटा (जैसे लेन-देन) को "ब्लॉक" में संबंधित किया जाता है जो एक कालानुक्रमिक "चेन" में एक साथ जुड़े होते हैं। प्रत्येक ब्लॉक सुरक्षित रूप से एनक्रिप्ट किया गया है, जिससे डेटा छेड़छाड़-प्रूफ हो जाता है। उदाहरण: बिटकॉइन, जहाँ ब्लॉकचेन सभी लेन-देन को सुरक्षित, विकेंट्रीकृत तरीके से ट्रैक करता है।

ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक क्या है?

- यह ब्लॉकचेन बनाने और संचालित करने के लिए आवश्यक तकनीकों की परतों को संदर्भित करता है। इसमें बुनियादी ढांचा (सर्वर, नेटवर्क), कोर ब्लॉकचेन कार्यक्रमता (प्रोटोकॉल, सर्वसम्मति तंत्र), स्मार्ट अनुबंध (स्वचालित, स्व-निष्पादित अनुबंध), और API (ब्लॉकचेन के साथ बातचीत करने के लिए उपकरण) शामिल हैं। उदाहरण: एथेरियम का प्रौद्योगिकी स्टैक विकेंट्रीकृत ऐप्स और स्मार्ट अनुबंधों को सक्षम बनाता है।

ब्लॉकचेन-एज-ए-सर्विस (BaaS) क्या है?



- यह एक वलाउड-आधारित सेवा है जहाँ तीसरे पक्ष ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों को बनाने और उपयोग करने के लिए बुनियादी ढाँचा और उपकरण प्रदान करते हैं, बिना ब्लॉकचेन को स्वयं विकसित या बनाए रखने की आवश्यकता के। उदाहरणः Microsoft Azure का BaaS व्यवसायों को ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों को तेज़ी से तैनात करने की अनुमति देता है।

विश्वस्य (BaaS) के बारे में

- विश्वस्य ब्लॉकचेन-एज-ए-सर्विस (BaaS) की पेशकश करता है, जो अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए वितरित बुनियादी ढाँचे का उपयोग करता है। BaaS कंपनियों को ब्लॉकचेन ऐप बनाने और प्रबंधित करने के लिए वलाउड-आधारित उपकरण प्रदान करता है। यह गण्डीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (एनबीएफ) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य, कृषि और वित्त जैसे क्षेत्रों में ब्लॉकचेन का उपयोग करना है, साथ ही अपनाने की चुनौतियों का समाधान करना है।

विश्वस्य BaaS की विशेषताएँ:

- तीव्र ब्लॉकचेन अनुप्रयोग विकास
- उत्पादन के लिए सुरक्षा-ऑडिट किए गए कंटेनर
- ब्लॉकचेन सुरक्षा ऑडिट दिशा-निर्देश
- भौगोलिक रूप से वितरित बुनियादी ढाँचा (हैंदराबाद, पुणे, भुवनेश्वर)
- आसान ऑनलाइन दस्तावेज़
- NBFLite: शोध और सीखने के लिए हल्का प्लेटफॉर्म

अतिरिक्त लॉन्च:

- NBFLite: ब्लॉकचेन ऐप के प्रोटोटाइप के लिए स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए एक सैंडबॉक्स।
- प्रमाणिक: मोबाइल ऐप की उत्पत्ति को सत्यापित करने के लिए एक ब्लॉकचेन टूल।
- गण्डीय ब्लॉकचेन पोर्टल

ब्लॉकचेन एप्लिकेशन:


सेक्युर ब्लॉकचेन एप्लिकेशन

- क्रिप्टोकरेसी विकेंट्रीकृत, पीयर-टू-पीयर डिजिटल मुद्रा लेनदेन को सक्षम बनाता है। उदाहरणः बिटकॉइन, एथेरियम।
- ऊर्जा पीयर-टू-पीयर ऊर्जा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और अक्षय ऊर्जा पहुँच को सुव्यवसिथत करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- वित्त ऑनलाइन भुगतान, खातों और बाजार व्यापार का समर्थन करता है। उदाहरणः सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड एक अधिक कुशल इंटरबैंक भुगतान प्रणाली के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करता है।
- स्वास्थ्य सेवा विकित्या रिकॉर्ड के सुरक्षित छातांतरण की सुविधा प्रदान करती है, दवा आपूर्ति शृंखला का प्रबंधन करती है और आनुवंशिक अनुसंधान में सहायता करती है।
- रमार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मानवीय हस्तक्षेप के बिना, पूर्वनिर्धारित शर्तों के पूरा होने पर अनुबंध निष्पादन को स्वीकृत करता है।

- मीडिया और मनोरंजन कॉम्पीशन डेटा और डिजिटल अधिकार प्रबंधन को संभालता है। उदाहरण: सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट कुशल डिजिटल अधिकार प्रबंधन के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करता है।
- रिटेल आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के बीच माल के प्रवाह की निगरानी करता है। उदाहरण: प्लेटफॉर्म पर बेची गई वस्तुओं की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए Amazon Retail की ब्लॉकचेन-आधारित प्रणाली।
- ब्लॉकचेन-एज-ए-सर्विस एप्लिकेशन और डिजिटल सेवाएँ बनाने के लिए वलाउड-आधारित ब्लॉकचेन अवसंरचना और उपकरण प्रदान करता है।
- आपूर्ति शृंखला प्रबंधन आपूर्ति शृंखलाओं में पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता में सुधार करता है, प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है और धोखाधड़ी को कम करता है।
- सरकारी सेवाएँ मतदान प्रणाली, व्यक्तिगत पहचान सुरक्षा और सुरक्षित डेटा प्रबंधन में लाभ होती हैं।

भारत और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पहल

- RBI विनियामक रॉडबॉक्स: क्रिप्टोकरेंसी और एक्सचेंजों में ब्लॉकचेन स्टार्टअप की निगरानी करता है।
- ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति: बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राओं को छोड़कर, ई-गवर्नेंस सेवाओं के लिए राज्य-विशिष्ट ब्लॉकचेन ऐप को बढ़ावा देता है।
- राज्य-विशिष्ट पहल: तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्य ब्लॉकचेन केंद्रों और इनक्यूबेटरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं (उदाहरण के लिए, तेलंगाना ब्लॉकचेन जिला, तमिलनाडु ब्लॉकचेन नीति 2020)।
- डिजिटल इंडिया पहल: ब्लॉकचेन को एक प्रमुख उभरती हुई तकनीक के रूप में पहचाना गया।
- ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र: राष्ट्रव्यापी अंतर-संचालनीय ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एनआईसी द्वारा स्थापित।



दक्षिण चीन सागर

पाठ्यक्रम: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ:

- दक्षिण चीन सागर (SCS) चीन के आक्रामक क्षेत्रीय दावों के कारण बढ़ते तनाव का केंद्र बन गया है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के देश, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देश, इस मुख्यता की गर्मी महसूस कर रहे हैं।
- चीन की नौसेना और तट रक्षक नियंत्रितियों को क्षेत्रीय देशों द्वारा उकसावे के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण इसके बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सैन्य जुड़ाव और कूटनीतिक प्रयास बढ़ गए हैं।

दक्षिण चीन सागर में अब तक की घटनाएँ:

- चीन के दावे: चीन लगभग पूरे SCS पर दावा करता है, जिसका समर्थन सैन्य ठिकानों और कृत्रिम द्वीपों पर हवाई पट्टियों जैसे बुनियादी छंटियों के विकास द्वारा किया जाता है।
- ब्रैंज़ोन रणनीति: चीनी जहाज अवसर खातरनाक युद्धाभ्यास करते हैं, छोटे जहाजों को टक्कर मारते हैं, पुनः आपूर्ति मिशनों को प्रेशान करते हैं और सैन्य-ब्रेंड लोजर का उपयोग करते हैं।
- कानूनी खारिज: 2016 में, एक स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने SCS में चीन के दावों के विवाफ फैसला सुनाया, लेकिन चीन फैसले को खारिज करना जारी रखता है।
- फिलीपींस संघर्ष: तनाव बढ़ गया क्योंकि चीनी जहाजों ने दूसरे थॉमस शोल में फिलीपींस पुनः आपूर्ति मिशन को बाधित कर दिया, जहां फिलीपींस ने अपने बीआरपी सिएरा माद्रे को तैनात किया है।
- सैन्य अभ्यास: चीन ने ऊस के साथ नौसैनिक अभ्यास किया, जो एससीएस में अपने दावों का बचाव करने के अपने संकल्प को प्रदर्शित करता है।



दीप/क्षेत्र	स्थान	दावेदार	संघर्ष
सेनकाकू/डियाओयू दीप	पूर्वी चीन सागर	जापान (नियंत्रण), चीन (डियाओयू के रूप में दावा), ताइवान	जापान और चीन के बीच संप्रभुता को लेकर तनाव; जापान के नियंत्रण को चुनौती देने वाली लगातार चीनी ग़श्त।
स्प्रैटली दीप	दक्षिण चीन सागर	चीन, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई	चीन के सैन्यीकरण और दीप-निर्माण ने अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ विवादों को तीव्र कर दिया है।
पैरासेल दीप	दक्षिण चीन सागर	चीन (नियंत्रण), वियतनाम, ताइवान	1974 में वियतनाम के साथ संघर्ष के बाद चीन इन द्वीपों को नियंत्रित करता है; वियतनाम उन पर दावा करना जारी रखता है।
स्कारबोरो शोल	दक्षिण चीन सागर	चीन, फिलीपींस, ताइवान	चीन और फिलीपींस के बीच विवाद; फिलीपींस के पक्ष में न्यायाधिकरण के फैसले के बावजूद चीन ने 2012 में नियंत्रण हासिल कर लिया।
पूर्वी चीन सागर	दक्षिण चीन सागर	चीन, जापान, ताइवान	सेनकाकू/डियाओयू दीपों के आसपास के मुद्दों सहित क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर सामान्य तनाव।

प्रभाव:

1. क्षेत्रीय प्रभाव:

- सैन्य निर्माण: जापान, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश रक्षा खर्च बढ़ा रहे हैं और भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों जैसे उन्नत हथियार हासिल कर रहे हैं।

- सामरिक गठबंधन: जापान, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं और सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं।

2. भारत पर प्रभाव:

- सामरिक हित: भारत एससीएस को नौवटन और व्यापार की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण मानता है। यहाँ व्यवधान भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्रभावित कर सकते हैं।
- क्वाड भागीदारी: व्यापार में भारत की भागीदारी और आसियान देशों के साथ सहयोग इसे इंडो-पैसिफिक में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।

3. वैश्विक प्रभाव:

- एस. भागीदारी: अमेरिका ने अपने क्षेत्रीय सहयोगियों की रक्षा करने, नौवटन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और एससीएस में चीन की एकत्रफा कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
- वैश्विक व्यापार व्यवधान: एससीएस एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है; अस्थिरता वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर सकती है, जिससे तेल और गैस प्रवाह और समुद्र के नीचे केबल नेटवर्क प्रभावित हो सकते हैं।

आगे की राह:

- गठबंधन को मजबूत करना: क्षेत्रीय देशों को चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए अमेरिका और अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ गठबंधन को मजबूत करना चाहिए।
- कूटनीतिक जुड़ाव: आसियान, चीन और वैश्विक शक्तियों को शामिल करने वाली बहुपक्षीय वार्ता को शांतिपूर्ण विवाद समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- कानूनी उपाय: देशों को चीन की कार्रवाइयों को चुनौती देने और 2016 के मध्यस्थिता फैसले के अनुपालन के लिए दबाव बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढंगे का लाभ उठाना चाहिए।

निष्कर्ष:

- दक्षिण चीन सागर की स्थिति में क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा करते हुए संघर्ष को शोकने के लिए यथार्थवाद (सैन्य निरोध) और उदारवाद (बहुपक्षीय संस्थानों के माध्यम से सहयोग) के संतुलन की आवश्यकता है।

LAC मुद्दा

पाठ्यक्रम: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ:

- भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर लंबित मुद्दों पर अपने अंतर को कम करने में "महत्वपूर्ण प्रगति" की है।

LAC मुद्दे पर प्रगति:

- ठालिया कूटनीतिक और सैन्य वार्ता: 31वीं डब्ल्यूएमसीसी वार्ता और आगामी कोर कमांडरों की बैठक एलएसी पर सेना की तैनाती और विघटन को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों पक्ष कार्यान्वयन विवरण पर चर्चा कर रहे हैं।
- विश्वास-निर्माण उपाय और सेना की आवाजाही: स्थानीय कमांडर टकराव को शोकने के लिए नियमित बैठकें कर रहे हैं, दोनों पक्ष सतर्क हैं लोकिन टकराव से बच रहे हैं। सैनिकों की फिर से तैनाती धीर-धीर होली, सर्टिफिकेशन के रॉकिंग प्रयास जारी रहेंगे।
- बुनियादी ढाँचा और सैन्य संवर्द्धन: भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लद्दाख में तैनाती के लिए 2024 के मध्य तक 72 डिवीजन बढ़ाने की योजना बना रहा है। सीमा पर बुनियादी ढाँचे का विकास तैयारियों को मजबूत करने के लिए जारी है।
- कूटनीतिक बयान और प्रगति: दोनों पक्षों के बयानों से शंकेत मिलता है कि 75% विघटन मुद्दों का समाधान हो चुका है, जिसमें चार बिंदुओं पर विघटन पूरा हो गया है। आगे की वार्ता का लक्ष्य पूर्ण विघटन हासिल करना है।
- विरासत के मुद्दे: देप्सांग मैदानों और डेमचोक में लंबे समय से विवाद जारी है, जिसमें चीनी सैनिकों ने गृह बिंदुओं तक पहुँच को अवश्यक कर दिया है। वल रही वर्ती इन विरासत के मुद्दों को हल करने पर फैलित हैं।

LAC पर पृष्ठभूमि:

- LAC परिभाषा: वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है।
- क्षेत्र: इसे तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है - पूर्वी (अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम), मध्य (उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश), और पश्चिमी (लद्दाख)।
- लंबाई में अंतर: भारत का दावा है कि LAC 3,488 किमी लंबी है, जबकि चीन का दावा है कि यह लगभग 2,000 किमी लंबी है।

LAC घटनाक्रम की समयस्थेता:

वर्ष	घटना
1959	चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू को लिखे पत्रों में एलएसी का उल्लेख किया।
1962	भारत-चीन युद्ध के बाद, चीन ने दावा किया कि वह एलएसी से 20 किलोमीटर पीछे चला गया है।

1993	भारत ने चीन के साथ शांति समझौते में एलएसी अवधारणा को औपचारिक रूप से स्वीकार किया।
2013	डेपसांग मैदानी इलाकों में गतिरोध, जहां पीएलए भारतीय क्षेत्र में घुस गया।
2017	डोकलाम संकट, गतिरोध के दौरान चीन ने "1959 एलएसी" का उल्लेख किया।
2020	गलवान घाटी और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गतिरोध, पीछे हटने के प्रयास शुरू।
2022	दोनों पक्ष गोगरा-हॉट स्ट्रिप्प्स में पीपी-15 पर पीछे हटे।

एलएसी पर भारत और चीन के बीच मतभेद:

- चीन का रुख: चीन पूर्वी क्षेत्र में एलएसी को मैकमोहन रेखा के साथ संरेखित करता है, अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है।
- भारत का रुख: भारत ने चीन की 1959 की LAC की परिभाषा को खारिज कर दिया और कहा कि अतसाई विन और अरुणाचल प्रदेश उसके क्षेत्र का हिस्सा हैं।
- सीमा विसंगति: लदाख में चीन की दावा रेखाएँ अस्पष्ट हैं, जिससे सैन्य घुसपैठ की गुंजाइश बनी रहती है।

मुद्दे को हल करने के लिए आगे का रास्ता:

- LAC का स्पष्टीकरण: दोनों पक्षों को LAC मानवित्र पर सहमत होने की आवश्यकता है, जिसे आगे के संघर्षों को योकने के लिए ज़मीन पर सीमांकित किया गया हो।
- चल रही बातचीत: डेपसांग मैदान और डेमचोक जैसे विरासत के मुद्दों को हल करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य-स्तरीय वार्ता जारी रहनी चाहिए।
- विश्वास-निर्माण उपाय: दोनों पक्षों के स्थानीय कमांडरों को झड़पों से बचने के लिए नियमित बैठकें करनी चाहिए।
- बफर जोन: अतिरिक्त बफर जोन बनाने से अस्थायी रूप से तनाव कम हो सकता है, हालांकि स्थायी समाधान की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

- जबकि भारत और चीन ने LAC पर सैनिकों की वापसी पर महत्वपूर्ण प्रगति की है, तनाव के प्रमुख क्षेत्र अभी भी अनसुलझे हैं। संबंधों को स्थिर करने और सीमा विवादों का ठीर्धकालिक समाधान प्राप्त करने के लिए निरंतर संवाद, बेहतर सीमा अवसंरचना और सैन्य नातिविधियों में पारदर्शिता आवश्यक है।

SCO

संदर्भ:

- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में भारत की भानीदारी महत्वपूर्ण है, जिसमें तनावपूर्ण ट्रिपक्षीय संबंधों के बावजूद विदेश मंत्री एस. जयशंकर के पाकिस्तान में 2024 की बैठक में भाग लेने की संभावना पर चर्चा की गई है।

SCO के बारे में:

- उत्पत्ति: सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने के लिए 1996 में "शंघाई फाइव" के रूप में शुरू हुआ।
- स्थापना: 2001 में गठित, उज्बैफिरतान को जोड़कर और SCO में विकसित हुआ।
- सदस्य: भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और हाल ही में बेलारूस को शामिल करके 10 सदस्य।
- 2024 शिखर सम्मेलन की मेजबानी: अस्ताना, कज़ाकिस्तान।
- 2025 SCO शिखर सम्मेलन;
- पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अगले कार्यकाल के लिए SCO की अध्यक्षता संभालेगा, और किंगडाओ, चीन को 2024-2025 के लिए SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक यात्राओं का आयोग बनाना।

2024 SCO शिखर सम्मेलन:

- नई सदस्यता: बेलारूस 10वें सदस्य के रूप में शामिल होगा।
- अस्ताना घोषणा: ऊर्जा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर 25 प्रमुख समझौतों को अपनाना।
- भारत-चीन वार्ता: सीमा विवादों को सुलझाने और LAC पर विघटन पर ध्यान केंद्रित करना।

भविष्य का संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 2024

पाठ्यक्रम: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ:

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेर्रेस ने भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 2024 में शांति, सुरक्षा और वित्त पर पुरानी संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं में तत्काल सुधार का आह्वान किया। भारत के प्रधान मंत्री ने भी शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

भविष्य का संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 2024 क्या है?

- भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 2024 का उद्देश्य समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय

शासन में सुधार और मजबूती लाना है। यह सतत विकास, शांति, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका समापन "भविष्य के लिए संधि" को अपनाने में होता है, जिसमें एसडीजी में तेजी लाने, समान डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देने और भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।

भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं:

- उद्देश्य: वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासन में सुधार करना।
- थीम: "बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान।"
- परिणाम: दो अनुलग्नकों के साथ "भविष्य के लिए संधि" को अपनाना: वैश्विक डिजिटल समझौता और भविष्य की पीढ़ियों पर धोषणा।
- भविष्य के लिए संधि: एसडीजी में तेजी लाती है, जलवायु कार्रवाई का समर्थन करती है, जीवायम ईंधन से न्यायोचित बदलाव को बढ़ावा देती है, और परमाणु निरस्त्रीकरण और एआई शासन के लिए प्रतिबद्ध है।
- ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट: प्रौद्योगिकी और सार्वभौमिक एआई शासन तक समान पहुंच को बढ़ावा देता है।
- भावी पीढ़ियों पर धोषणा: भविष्य की पीढ़ियों के हितों पर विचार करते हुए दीर्घकालिक सोच पर जोर देता है।
- भारत का रुख: संयुक्त राष्ट्र सुधारों का आहान किया, वैश्विक डिजिटल शासन का समर्थन किया और सुरक्षा परिषद की सदस्यता के विस्तार की वकालत की।

भविष्य के लिए समझौता क्या है?

- भविष्य के लिए समझौता 2024 के भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन से एक कार्रवाई-उन्मुख समझौता है, जो सतत विकास, शांति, सुरक्षा, डिजिटल सहयोग और भविष्य की पीढ़ियों जैसी वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करता है। इसका उद्देश्य वैश्विक शासन में सुधार करना है और इसमें ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट और भविष्य की पीढ़ियों पर धोषणा शामिल है।
- यह समझौता जलवायु परिवर्तन और संघर्ष जैसी 21वीं सदी की चुनौतियों को संबोधित करता है। रुख के नेतृत्व वाले समूह को छोड़कर, सर्वसममति से अपनाया गया, मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं:

 - सतत विकास: वैश्विक पित में विकासशील देशों को सशक्त बनाना और गरीबों के लिए सुरक्षा जाल को मजबूत करना।
 - शांति और सुरक्षा: परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए फिर से प्रतिबद्ध होना और नई तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना।
 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी: नौकरीक अनुसंधान को बढ़ावा देना, स्वदेशी ज्ञान की रक्षा करना और महिलाओं को सशक्त बनाना।
 - युवा और भावी पीढ़ी: निर्णय लेने में भावी पीढ़ियों को शामिल करें।
 - वैश्विक शासन: अफ्रीका का बेहतर प्रतिनिधित्व करने और अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकने के लिए UNSC में सुधार

संयुक्त राष्ट्र महासंघिच द्वारा प्रस्तावित सुधार:

- सुरक्षा परिषद सुधार: गुट्टैरेस ने जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिम्बित करने के लिए पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, अफ्रीका, एशिया-प्रशांत और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना चाहिए।
- वैश्विक वित्तीय वारस्तुकर्ता को मजबूत करना: उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में ऋणब्रस्त विकासशील देशों को बेहतर समर्थन देने और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में उनकी प्रतिनिधित्व क्षमता और क्षमता को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरक्षणों (आईएमएफ, विप्प बैंक, डब्ल्यूटीओ) में सुधार का आहान किया।
- भारत, जी4 देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए (यूएनएससी सुधार पर अंतर-सरकारी वार्ता में भाग लेते हुए), संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए एक विस्तृत मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें महासभा द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नए स्थायी सदस्यों का प्रस्ताव रखा गया और तीटों मुद्दे पर लचीलापन दिखाया गया।

भारत के प्रस्तावित मॉडल की मुख्य विशेषताएं:

मुख्य बातें	विवरण
बढ़ी हुई सदस्यता	11 स्थायी सदस्य, तथा 14/15 गैर-स्थायी सदस्य जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होगा, वर्तमान प्रथा के आधार पर चुने जाएंगे।
समान क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व	6 नए स्थायी सदस्यों का प्रतिनिधित्व अफ्रीका (2), एशिया-प्रशांत (2), लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (2), पश्चिमी यूरोप और अन्य सदस्य राज्यों (1) से आएगा।
परिषद की कार्य पद्धतियाँ	निर्णय के लिए 25/26 सदस्यों में से 14/15 के सकारात्मक मत की आवश्यकता होगी।
वीटो	सुधार लाने होने के पंद्रह वर्ष बाद आयोजित समीक्षा द्वारा निर्णय लिए जाने तक नए स्थायी सदस्यों को कोई वीटो अधिकार नहीं होगा।
यूएनएससी और यूएनजीए के बीच संबंध	परिषद को यूएनजीए के अध्यक्ष के साथ नियमित परामर्श करना चाहिए, यूएनजीए को वार्षिक रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, आदि।

निष्कर्ष:

- भविष्य की ओर देखते हुए, 21वीं सदी जलवायु परिवर्तन से लेकर साइबर सुरक्षा खतरों और आर्थिक असमानता तक कई जटिल चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं। अपनी कमियों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) इन बहुआयामी मुद्दों को संबोधित करने के लिए अद्वितीय स्थिति में है, इसकी संयोजक शक्ति, कूटनीतिक भूमिका और एजेंसियों के व्यापक नेटवर्क को देखते हुए।

- हालांकि, इसकी पूरी भ्रमता को साकार करने के लिए इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सुधारों को लागू करने की आवश्यकता है। नौकरशाही को सुव्यवस्थित करना, अक्षमताओं को कम करना और संगठन के भीतर अधिक न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, वैश्विक शासन, मानवीय सहायता और संकट प्रबंधन में संयुक्त राष्ट्र अपरिहार्य बना हुआ है। जबकि सुधार की आवश्यकता स्पष्ट है, सहयोग, संवाद और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र की नियंत्रण सुविधा की सबसे अधिक दबाव वाली समस्याओं से निपटने में इसके स्थायी महत्व को ऐक्यांकित करती है।

FATF ने भारत के लिए पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट (MER) लॉन्च की

पाठ्यक्रम: भारत के लिए पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट (MER) लॉन्च

संदर्भ:

- भारत ने FATF मानकों का अनुपालन करने और अवैध वित्त से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन जैसे-जैसे इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, इसे सुधार जारी रखने की आवश्यकता है। (म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट) एमएल (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) और सीएफटी (आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला) उपायों पर एमईआर ने भारत को FATF मानकों के साथ इसके प्रभावी अनुपालन को मान्यता देते हुए "नियमित अनुवर्ती" श्रेणी में रखा।

पृष्ठभूमि:

- जून 2024 में, सिंगापुर में FATF प्लेनरी ने वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग मानकों के साथ "उच्च स्तर का तकनीकी अनुपालन" प्राप्त करने के लिए भारत को मान्यता दी। भारत को "नियमित अनुवर्ती" श्रेणी में रखा गया था, जो FATF द्वारा उच्चतम रेटिंग है, जिससे यह यूके, फ्रांस और इटली जैसे G-20 देशों के साथ यह दर्जा प्राप्त करने वाली एकमात्र प्रमुख संघीय अर्थव्यवस्था बन गई।

भारत पर एफटीएफ म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

मुख्य बातें	विवरण
सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र	भारत को तीन क्षेत्रों में आंशिक रूप से अनुपालन करते हुए पाया गया: गैर-लाभकारी संगठन (NPO): कर छूट का आनंद लेने वाले NPO आतंकी फंडिंग के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। जोखिमों को दूर करने के लिए सिस्टम को मजबूत उपायों की आवश्यकता है। राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP): घेरेलू PEP के लिए धन, धन और स्वामित्व के स्रोत के बारे में अस्पष्टताएँ मौजूद हैं। इन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता है। नामित गैर-प्रियी व्यवसाय और पेशे (DNFBP): विनियमन और पर्यवेक्षण में अंतराल, विशेष रूप से कीमती धातुओं, पत्थरों और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में, जो मनी लॉन्ड्रिंग के प्रति संवेदनशील हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग जोखिम	मुख्य स्रोतों में धोखाधड़ी, साइबर धोखाधड़ी, ब्रह्माचार और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल हैं।
पीएमएस भेदभाव	कीमती धातुओं और पत्थरों (PMS) का उपयोग बिना किसी निशान के फंड को रखानांतरित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे भारत के PMS बाजार के आकार के कारण ML/TF जोखिम बढ़ जाता है। PMS में सीमा पार आपराधिक नेटवर्क: PMS में आपराधिक नेटवर्क की कम जांच हो सकती है। स्रोतों और हॉस्टों की तस्करी के लिए गठन जोखिम विश्लेषण की आवश्यकता होती है।
आतंकवादी वित्तपोषण खतरे	भारत को आईएसआईएल, अल-कायदा से जुड़े समूहों और पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय विद्रोह तथा वामपंथी उत्तराधीन आतंकवाद का खतरा है।
वित्तीय समावेशन	बैंक खाताधारकों की संख्या में वृद्धि, डिजिटल भुगतान और जीएसटी तथा ई-चालान जैसे पारदर्शिता उपायों के साथ उल्लेखनीय प्रगति।
आतंकवादी वित्तपोषण के विरुद्ध कार्रवाई	आतंकवाद के वित्तपोषण को शोकने में एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय की प्रभावी भूमिका को स्वीकार किया गया।

FATF की मुख्य सिफारिशें:

- मानव तस्करी और नशीली दवाओं के अपराधों सहित लंबित मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमों में तेजी लाएं।
- संपत्तियों को तुरंत फ्रीज करने के लिए लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों को लागू करें।
- PMLA के तहत घेरेलू PEP को परिभाषित करें और जोखिम उपायों को बढ़ाएं।
- जोखिम-आधारित उपायों के साथ NPO को आतंकवादी दुरुपयोग से बचाएं।

वित्तीय कार्टवर्ड कार्य बल (FATF) के बारे में:

1. FATF एक अंतर-सरकारी नीति-निर्माण और मानक-निर्धारण निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए समर्पित है।
2. उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करना, तथा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए याप्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रूपों पर नीतियों को विकसित और बढ़ावा देना।
3. उत्पत्ति: मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध नीतियाँ विकसित करने के लिए पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। 2001 में इसके अधिकार का विस्तार करके आतंकवाद के वित्तपोषण को भी शामिल कर लिया गया।
4. मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस।
5. FATF के सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, सऊदी अरब, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ सहित 39 देश शामिल हैं। भारत 2010 में FATF का सदस्य बना।

FATF की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट:

1. पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के ठिकायों के प्रसार से निपटने के लिए किसी देश के उपायों का मूल्यांकन है।
2. रिपोर्ट सहकर्मी समीक्षा होती है, जहाँ विभिन्न देशों के सदस्य दूसरे देश का मूल्यांकन करते हैं।
3. पारस्परिक मूल्यांकन के दौरान, मूल्यांकित देश को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि उसके पास वित्तीय प्रणाली को दुरुपयोग से बचाने के लिए एक प्रभावी ढँचा है।
4. FATF, FATF अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के रूपों का आकलन करने के लिए प्रत्येक सदस्य की नियंत्रण समीक्षा करता है, वित्तीय प्रणाली के आपराधिक दुरुपयोग को शोकने के लिए प्रत्येक देश की प्रणाली का गठन विवरण और विश्लेषण प्रदान करता है।

पारस्परिक मूल्यांकन के दो गुण्य घटक हैं:

1. प्रभावशीलता: पारस्परिक मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण छिसा किसी देश की प्रभावशीलता रेटिंग है। इस यात्रा के दौरान, मूल्यांकन दल को ऐसे साक्ष्य की आवश्यकता होती जो यह प्रदर्शित करें कि मूल्यांकन किए गए देश के उपाय काम कर रहे हैं और सही परिणाम दे रहे हैं।
2. अनुपालन: मूल्यांकन किए गए देश को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद और प्रसार के वित्तपोषण से निपटने के लिए अपने पास मौजूद कानूनों, प्रियमानों और किसी भी अन्य कानूनी साधनों के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

FATF में 2 प्रकार की सूचियाँ हैं:

1. ब्लैक लिस्ट: गैर-सहकारी देश या क्षेत्र (NCCT) के रूप में जाने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। FATF नियमित रूप से ब्लैक लिस्ट को संशोधित करता है, प्रविष्टियाँ जोड़ता या हटाता है। उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार तीन देश वर्तमान में FATF की काली सूची में हैं।
2. ग्रे सूची: जिन देशों को आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे सूची में डाल दिया जाता है। यह समावेशन देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि वह काली सूची में प्रवेश कर सकता है।

FATF की काली सूची में होने के परिणाम:

1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (ADB) और यूरोपीय संघ (EU) द्वारा उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।
2. उन्हें कई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों और प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ता है।
3. आर्थिक परिणामों के अलावा, ब्लैक- और ग्रे-लिस्टिंग किसी देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाती है और उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को कम करती है।

सीमा प्रबंधन: सरकार म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाएगी

पाठ्यक्रम: अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा: सीमा प्रबंधन

संदर्भ:

- सरकार ने म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए ₹31,000 करोड़ मंजूर किए हैं, जो अरण्याचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में 1,643 किलोमीटर तक फैली हुई है।
- गृह मंत्री ने मणिपुर की जातीय हिंसा का मूल कारण सीमा मुद्दे को बताया। अब तक 30 किलोमीटर की बाड़बंदी पूरी हो चुकी है, मणिपुर में काम जारी है। सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। 60,000 से अधिक लोगों को विस्थापित करने वाली हिंसा के बीच, मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच शांति बहाल करने के प्रयास जारी हैं।

FMR क्या है?

- FMR, 2018 में लागू किया गया, मुक्त आवागमन व्यवस्था (एफएमआर) 1,643 किलोमीटर की भारत-म्यांगार सीमा के दोनों ओर के निवासियों को बिना वीज़ा के एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति देता है। इसके लिए एक साल की वैधता वाले बॉर्डर पास की आवश्यकता होती है, जिससे दो सप्ताह तक रहने की अनुमति मिलती है। सीमा चार राज्यों में फैली हुई है: मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश।
- भारत-म्यांगार सीमा 1,643 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो उत्तर में चीन के साथ त्रिबिंदु से दक्षिण में बांग्लादेश के साथ त्रिबिंदु तक चलती है। भारत, चीन और म्यांगार के बीच त्रिसंधि पर अभी सहमति नहीं बनी है, वार्षिक त्रिसंधि डिफू दर्जे के ठीक उत्तर में स्थित है। सीमा विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं को पार करती है, जिसमें मिथमी हिल्स, पटकाई, कसोम रेज, तियाउ नदी और चिन हिल्स शामिल हैं, जो अनियमित रेखाओं के माध्यम से बांग्लादेशी त्रिसंधि तक पहुँचती है।



भारत सरकार "एक सीमा, एक सीमा सुरक्षा बल" के सिद्धांत का पालन करती है:

- बीएसएफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सीमाओं की सुरक्षा करती है।
- आईटीबीपी चीन सीमा की रक्षा करती है।
- एसएसबी नेपाल और भूटान सीमाओं का प्रबंधन करती है।
- असाम राइफल्स म्यांगार सीमा को संभालती है।
- भारतीय सेना एलओसी (भारत-पाक) और एलएसी (भारत-चीन) की सुरक्षा करती है।
- तटीय सुरक्षा का प्रबंधन भारतीय नौसेना, तटरक्षक और राज्य समुद्री पुलिस द्वारा किया जाता है।
- भारत सात देशों (बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांगार, भूटान और अफगानिस्तान) के साथ अलग-अलग इलाकों में सीमा साझा करता है, जिससे यह उभवाद, अवैध प्रवास और तस्करी के प्रति संवेदनशील है।

सीमा प्रबंधन क्या है?

- इसका उद्देश्य सीमा क्षेत्रों को सुरक्षित करना और भारत से दूसरे देशों में माल और लोगों की आवाजाही में शामिल जोखिमों से छाने देश की रक्षा करना है। सीमा को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा "एक सीमा, एक सीमा सुरक्षा बल" के सिद्धांत का पालन किया जाता है।

प्रभावी सीमा प्रबंधन का महत्व:

- आतंकवाद नियोग: प्रभावी सीमा नियंत्रण आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकता है और हथियारों और विस्फोटकों की आवाजाही को प्रतिबंधित करता है।
- संगठित अपराध को सीमित करें: कठीं सीमा सुरक्षा नशीली दवाओं और मानव तस्करी, तस्करी और अवैध व्यापार जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाती है।
- सीमा पार उभवाद को ढाबाना: एक अच्छी तरह से प्रबंधित सीमा विद्रोहियों को बाहरी स्थानों से पैर जमाने, संसाधन या समर्थन ठासिल करने से रोकती है।
- संप्रभुता की रक्षा करें: स्पष्ट और सुरक्षित सीमाएँ बनाए रखना गतिविधियों संप्रभुता को बनाए रखता है और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करता है।
- प्रवासन को विनियमित करें: प्रभावी प्रबंधन अवैध प्रवेश को रोकते हुए वैध प्रवासन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे जनसांख्यिकीय स्थिरता सुनिश्चित होती है।

खराब सीमा प्रबंधन आंतरिक सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है:

- घुसपैठ और अवैध गतिविधियाँ: उदाहरण: जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों में, खराब सीमा प्रबंधन के कारण उभवादियों और आतंकवादियों की घुसपैठ हुई है, जिससे चल रहे संघर्ष और हिंसा में योगदान मिलता है। हथियारों और ड्रग्स की बढ़ती सीमा पार तस्करी इन क्षेत्रों को और अस्थिर बनाती है।
- आतंकवाद और उभवाद: उदाहरण: मणिपुर और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में, अपर्याप्त सीमा नियंत्रण उभवादी समूहों को म्यांगार जैसे पड़ोसी देशों से भारत में प्रवेश करने की अनुमति देता है, जिससे स्थानीय उभवाद और हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
- तस्करी और तस्करी: उदाहरण: पंजाब में, पाकिस्तान के साथ छिपाई सीमाएँ ड्रग्स और प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी को सुविधाजनक बनाती हैं, जिससे राज्य के भीतर नशीली दवाओं के दुरुपयोग की गंभीर समस्याएँ और संगठित अपराध होते हैं।
- सीमा पार अपराध: उदाहरण: पश्चिम बंगाल में, खराब सीमा प्रबंधन ने आपराधिक गिरोहों को अपेक्षाकृत दंड से मुक्त होकर काम करने की अनुमति दी है, जिससे मानव और माल की सीमा पार तस्करी में वृद्धि हुई है।
- आर्थिक व्यवधान: उदाहरण: असम में, अप्रभावी सीमा नियंत्रण अवैध आवृजन और भूमि अतिक्रमण में योगदान देता है, स्थानीय संसाधनों पर ढाबा डालता है और सामाजिक-आर्थिक तनाव पैदा करता है, जो आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों को और बढ़ाता है।

सीमा सुरक्षा खतरों को संबोधित करने के लिए वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय:

श्रेणी	उपाय
संस्थागत तंत्र	<ul style="list-style-type: none">सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ): पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करता है।असम राफल्स: पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद विरोधी और सीमा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए काम करता है।
विधायी उपाय	<ul style="list-style-type: none">सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968: सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों सहित बीएसएफ के संचालन के लिए कानूनी ढांचा।शृण्डीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम, 2008: सीमा पर खतरों सहित आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच का समर्थन करता है।
योजनाएँ और कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none">एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस): भौतिक अपराधों, निगरानी उपकरणों और संचार नेटवर्क का उपयोग करती है।स्मार्ट फेसिंग: महत्वपूर्ण सीमाओं पर उच्च तकनीक वाली बाड़ लगाना।सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी): सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास।नेटवर्किंग: खुफिया जानकारी साझा करने के लिए केंद्रीय डेटाबेस।
स्थानीय समूदायों के साथ सहयोग	<ul style="list-style-type: none">समूदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम: स्थानीय लोगों को संकिन्ध गतिविधियों की सूचना देने में शामिल करता है।ग्राम रक्षा समितियाँ (वीडीसी): स्थानीय समितियाँ निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में सहायता करती हैं, खासकर जम्मू और कश्मीर में।
तकनीकी प्रगति	<ul style="list-style-type: none">ड्रोन और निगरानी प्रणाली: ड्रोन का उपयोग करके वास्तविक समय की निगरानी।इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और निगरानी: उन्नत सीमा निगरानी के लिए थर्मल इमेजिंग और मोशन डिटेक्टर शामिल हैं।

निष्कर्ष:

- मधुकर गुप्ता समिति ने खतरों और सीमा सुरक्षा, बल स्तर का आकलन, सीमा पर तैनाती, सीमा की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी मुद्दों और प्रशासनिक मुद्दों पर व्यापक रूप से अपनी सिफारिशें दी हैं गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के अन्य रक्षा मंत्रालयों को शामिल करते हुए एक मजबूत सहयोगी पहल की आवश्यकता है।

सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) में संशोधन का आवान

पाठ्यक्रम: अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत का पड़ोस

संदर्भ:

- भारत ने 30 अगस्त, 2024 को पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया, जिसमें परिस्थितियों में "मौलिक परिवर्तनों" का हवाला देते हुए सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) में संशोधन की मांग की गई। यह नोटिस किशनगंगा और तिनाब नदियों पर भारत की जलविद्युत परियोजनाओं पर पाकिस्तान की लगातार आपत्तियों के बाद आया है।

सिंधु जल संधि क्या है?


- सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक जल-साझाकरण समझौता है, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी। यह सिंधु नदी प्रणाली के जल को दोनों देशों के बीच आवंटित करता है। संधि के तहत:
 - पाकिस्तान को पाथिमी नदियों (सिंधु, ज़ेताम, तिनाब) का पानी मिलता है
 - भारत को पूर्वी नदियों (रावी, व्यास, सतलुज) से पानी मिलता है।

The Indus Waters Treaty (IWT)

■ The distribution of waters of the Indus and its tributaries between India and Pakistan is governed by the Indus Water Treaty (IWT).	■ Was signed on Sept 19, 1960, between India, Pakistan and a representative of World Bank after eight years of negotiations.	■ Partition of India cut across the Indus river basin, which has the Indus river, plus five of its main tributaries.
---	--	--

Western rivers
Chenab, Jhelum, Indus


India's rights over these rivers: Limited – can set up certain irrigation, run-of-the-river power plants, very limited storage, domestic and non-consumptive use, all subject to conditions



Baglihar dam on Chenab

Eastern rivers
Sutlej, Beas, Ravi

India's rights over these rivers: All exclusive rights lie with India.



Indus Waters Commission a success story

- Once every five years, conducts a general inspection of all rivers in parts. Total inspection tours so far: Over 100
- Regularly meets once a year. Total meetings thus far, including those for taking up Pak objections: Over 100

सिंधु जल संधि

- इसके अलावा, भारत पश्चिमी नदियों का उपयोग जलविद्युत उत्पादन जैसे सीमित उद्देश्यों के लिए कर सकता है, कुछ प्रतिबंधों और विवाद समाधान तंत्र के साथ, जिसका प्रबंधन स्थायी सिंधु आयोग द्वारा किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो तटस्थ विशेषज्ञों और मध्यस्थता न्यायालय को शामिल किया जाता है।
- विवाद समाधान तंत्र: संधि जल-बंटवारे से संबंधित विवादों को हल करने के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करती है:
- चरण 1: स्थायी सिंधु आयोग (PIC) को संधि के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करने का अधिकार है।
- चरण 2: यदि PIC चर्चाओं के बाद भी विवाद अनसुलझे रहते हैं, तो संधि के प्रावधानों की व्याख्या या अनुप्रयोग से संबंधित तकनीकी मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त किया जाता है।
- चरण 3: यदि तटस्थ विशेषज्ञ के निर्णय से परे विवाद जारी रहता है, तो मामले को मध्यस्थता न्यायालय में भेजा जा सकता है, जिसमें सात सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण शामिल होता है। इस न्यायाधिकरण को विवाद पर बाध्यकारी निर्णय प्रदान करने का काम सौंपा गया है।
- वर्तमान मुद्दा: भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ जलविद्युत परियोजनाओं, विशेष रूप से किशनगंगा और रैटल जलविद्युत परियोजनाओं (HEPs) की डिजाइन विशेषताओं और संचालन पर मतभेद हैं, जो क्रमशः झेलम और घिनाब नदियों पर निर्मित हैं।

सिंधु जल संधि (IWT) में परिवर्तन की मांग करने के लिए भारत के तर्कों में शामिल हैं:

- पाकिस्तान का अवरोध: भारत की जलविद्युत परियोजनाओं, विशेष रूप से किशनगंगा और घिनाब नदियों पर पाकिस्तान की बार-बार आपत्तियों ने विकास को रोक दिया है और निरंतर विवाद पैदा किए हैं।
- विवाद तंत्र का उचित उपयोग करने में विफलता: संधि के क्रमिक विवाद समाधान तंत्र (तटस्थ विशेषज्ञ) को दरकिनार करते हुए मध्यस्थता न्यायालय के लिए पाकिस्तान का एकतरफा अनुरोध, स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करता है।
- पुराने ग्रावधान: 1960 में हस्ताक्षरित संधि वर्तमान भू-याजनीतिक, पर्यावरणीय और तकनीकी वास्तविकताओं को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखती है, जिससे आधुनिक चुनौतियों को प्रतिबंधित करने के लिए अद्यतन करने की आवश्यकता है। भारत का दावा है कि संधि पर हस्ताक्षर के बाद से परिस्थितियों में हुए "मौतिक और अप्रत्याशित" बदलावों के कारण संधि का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- विरोधाभासी कानूनी परिणाम: भारत का तर्क है कि तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय दोनों प्रक्रियाओं को समानांतर रूप से चलाने से विरोधाभासी फैसले हो सकते हैं, जिससे संधि में संबोधित नहीं किए गए कानूनी भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।
- सुरक्षा विंताएँ: 2016 के उत्ती हमले जैसे आतंकवादी हमलों के महेनजर, भारत ने कहा है कि "खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते," जिससे संधि के निरंतर अनुपालन को लेकर सुरक्षा संबंधी विंताएँ बढ़ गई हैं।

IWT के सामने आने वाले अन्य मुद्दे:

- नई बिजली परियोजनाएँ स्थापित करने की चुनौतियाँ: जारी विवाद नई बिजली परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए चुनौतियाँ पैदा करता है।
- पानी के उपयोग को सीमित करता है: IWT जम्मू और कश्मीर को नदियों के पानी का सीमित तरीके से उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे कृषि उद्देश्यों के लिए पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है।

3. देशों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास की कमी
4. संधि में नियोजित नियमित डेटा साझाकरण नहीं किया जाता है।
5. बातचीत, विश्वास और सहयोग को मजबूत करने के बाजाय संघर्ष-समाधान तंत्र तक सीमित
6. पिंगांड समाधान: संधि में बढ़ताप करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण संधि के पिंगांड समाधान प्रणाली के अनुच्छेद IX को खण्ड करना है।
7. हालाँकि भारत को गैर-उपभोग उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नियियों का उपयोग करने का अधिकार है, लेकिन जब भी भारत कोई जलविद्युत परियोजना बनाता है, तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थिता का आह्वान करके इसे चुनौती देता है। उदाहरण के लिए, किशनगंगा और रत्ने जलविद्युत संयंत्र।
8. जलवायु परिवर्तन कारक: संधि में जलवायु परिवर्तन, वैष्णविक तापमान वृद्धि, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और ऐसे मुद्दों पर विचार नहीं किया गया।
9. स्थायी सिंधु आयोग की अप्रभावीता
10. भूजल को कवर नहीं करता है: संधि अब अपने उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें केवल सतही जल को कवर किया गया है, भूजल को नहीं।
- 2050 में भूजल की कमी 75% तक बढ़ सकती है, जिससे सिंधु नदी के ऊपरी छिर्यों पर और दबाव पड़ेगा।

आगे का रास्ता:

1. बातचीत और संवाद: प्रत्यक्ष चर्चा के माध्यम से विवादों को संबोधित करने और हल करने के लिए स्थायी सिंधु आयोग (PIC) जैसे स्थापित तंत्रों का उपयोग करें।
2. तकनीकी समाधान: जल अवसंरचना के डिजाइन, निर्माण और संचालन पर विवादों को हल करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त करें, जैसा कि बनांडिहार बांध मामले में देखा गया।
3. मध्यस्थिता: यदि वार्ता विफल हो जाती है, तो विश्व बैंक या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संभावित सहायता के साथ तीसरे पक्ष की मध्यस्थिता की तलाश करें।
4. कानूनी उपाय: विफल वार्ता या मध्यस्थिता के बाद अनुसुलझे विवादों के लिए संधि के मध्यस्थिता पैनल का उपयोग करें।
5. दीर्घकालिक समाधान: स्थायी समाधान के लिए निरंतर बातचीत और सहयोग के माध्यम से बड़े राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करें।

निष्कर्ष

- एक दस्तावेज के रूप में, संधि में कुछ कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, लेकिन बड़ी समर्थ्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं। विशेषज्ञ संधि पर फिर से बातचीत करने का आह्वान कर रहे हैं। दोनों देशों को इस तरह से संधि को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है कि दोनों देशों के बीच संसाधनों को समान रूप से साझा किया जा सके।

तुर्की का ब्रिक्स में शामिल होने का प्रयास

पार्याप्रगति: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ:

- तुर्की का ब्रिक्स में शामिल होने का प्रयास यूरोपीय संघ में अपनी रुकी हुई प्रवेश प्रक्रिया में लाभ प्राप्त करने या यूरोपीय संघ के साथ निराशा का संकेत देने के लिए एक राजनीतिक कदम हो सकता है।

लाभ:

1. तुर्की के वैष्णविक प्रभाव को बढ़ाता है।
2. उभरते बाजारों के साथ आर्थिक सहयोग प्रदान करता है।
3. यूरोपीय संघ की वार्ता में तुर्की के राजनीतिक लाभ को मजबूत करता है।

चिंताएँ:

1. यूरोपीय संघ और नाटो के साथ संबंधों में तनाव।
2. पश्चिमी गठबंधनों के भीतर तुर्की की विश्वसनीयता को कम करता है।
3. पश्चिमी शक्तियों से कूटनीतिक अलगाव का जोखिम।

विस्तार पर भारत का लख:

- भारत ने जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स समूह के सर्वसम्मति-आधारित विस्तार का खवागत किया।
- यह कदम विकासशील देशों के प्रतिनिधि के रूप में ब्रिक्स को मजबूत करता है।
- भारत ने ब्रिक्स अंतरिक्ष संघ बनाने, कौशल मानवित्रण, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में निवेश करने और संरक्षण प्रयासों के लिए सहयोग पर जोर देने का प्रस्ताव दिया है।
- विस्तार का उद्देश्य सहयोग, डिजिटल समाधान और विकास पहलों को बढ़ाकर ब्रिक्स को भविष्य के लिए तैयार करना है।

भारत के लिए महत्व:

- ब्रिक्स में नए सदस्यों का जुड़ना साड़ेदारी और भू-राजनीतिक प्रभाव के विस्तार के मामले में भारत के लिए महत्व रखता है, साथ ही गठबंधन के भीतर संभावित चीन समर्थक प्रभुत्व के बारे में विंता भी बढ़ाता है।

- ब्रिक्स (स्थापना: 2009; मुख्यालय: शंघाई) विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह का संक्षिप्त नाम है, अर्थात् ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (2010 में शामिल)

ब्रिक्स के बारे में:

विषय	जानकारी
उत्पत्ति	ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की चार उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए "ब्रिक्स" शब्द गढ़ा था।
ब्रिक्स का हिस्सा	ब्रिक्स पाँच सबसे बड़े विकासशील देशों को साथ लाता है, जो वैश्विक जनसंख्या का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करते हैं (2028 तक, ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था का 35 प्रतिशत हिस्सा बनाने की उम्मीद है)।
अध्यक्षता	फोरम की अध्यक्षता हर साल सदस्यों के बीच घुमाई जाती है, जो संक्षिप्त नाम B-R-I-C-S के अनुसार है। दक्षिण अफ्रीका 2023 के लिए अध्यक्ष है।
ब्रिक्स की पहल	1. नया विकास बैंक (NDB) 2. आकर्षित रिजर्व व्यवस्था (CRA) 3. ब्रिक्स भुगतान प्रणाली 4. सीमा शुल्क समझौते 5. रिमोट सैंसिंग सैटेलाइट
नई पहल	ब्रिक्स अपनी खुद की "नई मुद्रा" प्रणाली शुरू करने की योजना बना रहा है, जो डी-डॉलरीकरण (व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना) की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व:

महत्व	उदाहरण
भू-राजनीति	ब्रिक्स भारत को अमेरिका और रूस-चीन धुरी के बीच अपने रणनीतिक हितों को संतुलित करने का अवसर प्रदान करता है।
वैश्विक आर्थिक व्यवस्था	ब्रिक्स वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने में जी20 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
विकासशील देशों की आवाज़	ब्रिक्स विकासशील देशों की आवाज़ बनकर उभरा है और विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
आतंकवाद	ब्रिक्स भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने प्रयारों को गति देने के लिए एक मंच प्रदान करता है और आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत रख अपनाने के लिए समूह के भीतर काम करता है।
वैश्विक समूह	ब्रिक्स भारत को चीन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और आपसी विवादों को सुलझाने का अवसर प्रदान करता है। यह अन्य साझेदार देशों से समर्थन जुटाने में भी मदद करता है।

ब्रिक्स के लिए चुनौतियाँ:

चुनौती	उदाहरण
आर्थिक विचलन	ब्राज़ील और रूस छाल के वर्षों में आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं, जबकि चीन और भारत ने उच्च विकास दर बनाए रखी है। दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था खराब प्रदर्शन कर रही है, जिसमें बेरोजगारी और असमानता का उच्च स्तर है।
राजनीतिक मतभेद	रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्ज़ा करने और यूक्रेन और सीरिया में संघर्षों में शामिल होने से अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका की क्षेत्रीय दावे अन्य ब्रिक्स देशों के साथ तनाव का स्रोत रहे हैं, जिनके इस क्षेत्र में प्रतिरप्दी दावे हैं।
संस्थागत बाधाएँ	विकास वित्तीय प्रदान करने के लिए 2014 में ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) को क्राण वितरित करने और व्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आकर्षित रिजर्व व्यवस्था (CRA), विदेशी मुद्रा भंडार का एक पूल, अभी तक परीक्षण नहीं किया गया है।
समन्वय की कठिनाइयाँ	NDB और CRA के शासन ढांचे पर असहमति, साथ ही व्यापार, निवेश और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में अलग-अलग प्राथमिकताओं ने ब्रिक्स के लिए कई मुद्दों पर एकीकृत मोर्चा पेश करना मुश्किल बना दिया है।
बाहरी दबाव	कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में संरक्षणवाद, राष्ट्रवाद और लोकतुभावनवाद के उदय ने व्यापार, निवेश और पूँजी तक पहुंच के संदर्भ में ब्रिक्स के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं।

ब्रिक्स के लिए आगे का रस्ता:	उदाहरण
बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार	ब्रिक्स देश संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत कर सकते हैं, और अधिक विकासशील देशों को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का आह्वान कर सकते हैं।

आतंकवाद से निपटने का संकल्प	ब्रिटिश देश आतंकवाद से निपटने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और खुफिया जानकारी को साझा कर सकते हैं, साथ ही आतंकवादी समूहों के लिए धन और संसाधनों को कम करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।
एसडीजी के लिए तकनीकी और डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देना	ब्रिटिश देश इन क्षेत्रों में डिजिटल समाधानों को अपनाने और लागू करने में अपने अनुभव साझा कर सकते हैं।
लोगों के बीच सहयोग का विस्तार करना	ब्रिटिश देश संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियाँ आयोजित कर सकते हैं, अधिक छात्र विनिमय कार्यक्रम और छात्रवृत्तियाँ स्थापित कर सकते हैं, और एक-दूसरे के देशों में अधिक पर्यटन और व्यावसायिक यात्राओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

- जबकि ब्रिटिश सदस्यता तुर्की की वैश्वक उपस्थिति को मजबूत कर सकती है, यह यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को खराब कर सकती है, जो अपने मूल्यों और विदेश नीति के साथ सेरेखण की अपेक्षा करता है। पश्चिम और गैर-पश्चिमी गठबंधनों के बीच तुर्की का संतुलन कार्य उल्टा पड़ सकता है, जिससे ट्रांसअटलांटिक हलकों में इसकी विश्वसनीयता और कम हो सकती है। हालाँकि, तुर्की अपने रणनीतिक रुखान के कारण महत्वपूर्ण बना दुआ है, जिससे इसकी विदेश नीति एक जटिल संतुलन कार्य बन जाती है।

भारत-यूर्एई संबंध**पाठ्यक्रम: अंतर्राष्ट्रीय संबंध****संदर्भ:**

- अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए

भारत और यूर्एई ने ऊर्जा क्षेत्र में चार प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए:

- एलएनजी आपूर्ति समझौता: अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सालाना 1 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति करेगी।
- कट्टे तेल का भंडारण: एडीएनओसी और इंडिया स्ट्रेटेजिक पैट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नए कट्टे तेल के भंडारण के अवसरों की खोज करेंगे और अपने मौजूदा समझौतों को नवीनीकृत करेंगे।
- परमाणु ऊर्जा सहयोग: अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी (ईएनईसी) और न्यूकिलियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन पर सहयोग करेंगे और आपसी निवेश की संभावना तलाशेंगे।
- तेल उत्पादन रियायत: ऊर्जा भारत ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी ऑनशोर लॉक वन के लिए रियायत ढासित की।
- इसके अतिरिक्त, गुजरात सरकार और अबू धाबी डेवलपमेंटल होलिंड ने भारत में फूड पार्क विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारत-यूर्एई संबंधों के विभिन्न आयाम

आयाम	उदाहरण
राजनयिक	1972 में राजनयिक संबंधों की स्थापना; एक-दूसरे के देशों में पारस्परिक दूतावास; 2015 में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी।
आर्थिक और वाणिज्यिक	पिता वर्ष 2021-22 में ट्रिपक्षीय व्यापार का मूल्य 72 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, यूर्एई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है; यूर्एई भारत में एफडीआई के लिए शीर्ष 10 गंतव्यों में आता है; भारत-यूर्एई ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए।
खाद्य सुरक्षा	भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है और यूर्एई भारतीय खाद्य उत्पादों का एक प्रमुख आयातक है।
खाद्य क्षेत्र में निवेश	उदाहरण के लिए, दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर (यूर्एई का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र) ने भारतीय किसानों को यूर्एई में खाद्य कंपनियों से जोड़ने के लिए एब्रीओटा (कृषि-व्यापार और कमोडिटी प्लेटफॉर्म) लॉन्च किया।

- 2022 में, I2U2 बैठक यूर्एई ने भारत में फूड पार्क बनाने और खाद्य सुरक्षा गतियारा स्थापित करने के लिए 2 बिलियन डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जारी।

सांस्कृतिक	यूर्एई में BAPS हिंदू मंदिर की योजना बनाई गई है; भारतीय सिनेमा/टीवी/रेडियो चैनल यूर्एई में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम।
------------	---

प्रौद्योगिकी भागीदारी	रेड मून मिशन, डिजिटल नवाचार और प्रौद्योगिकी साझेदारी के लिए इसरो और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग।
रक्षा और सुरक्षा	हाल ही में I2U2 शिखर सम्मेलन; वार्षिक रक्षा वार्ता, द्विपक्षीय रक्षा बातचीत, हिंद महासागर क्षेत्र वार्ता में यूरोप की भूमिका, संयुक्त सैन्य अभ्यास - अभ्यास डेजर्ट प्लॉन; यूरोप में BILAT (द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास) और डेजर्ट ईंगल-II (द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास)।
मध्यस्थता	भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता में यूरोप द्वारा निभाई गई भूमिका, एनएसए डोभाल और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों सहित वार्ताकारों के बीच बैठकों की सुविधा प्रदान करना।
भारतीय समुदाय	लगभग 34 लाख का भारतीय प्रवासी समुदाय, यूरोप में सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, जिसमें देश की आबादी का लगभग 35% हिस्सा शामिल है।

दोनों देशों के बीच चुनौतियाँ/मुद्दे:

चुनौती	उदाहरण
थ्रम मुद्दे	यूरोप में भारतीय प्रवासी श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण की खबरें आई हैं।
व्यापार असंतुलन	यूरोप के साथ भारत का व्यापार घाटा चिंता का विषय रहा है (2021 में 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर)।
भूराजनीतिक मुद्दे	यूरोप के पाकिस्तान के साथ बढ़ते संबंध, जिसका भारत के साथ लंबे समय से तनाव है, चिंता का कारण रहे हैं। यूरोप ने कश्मीर मुद्दे पर भी तटस्थ रुख बनाए रखा है, जिसे भारत आंतरिक मामला मानता है।
क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा	उदाहरण के लिए, पाकिस्तान में ज्वादर बंदरगाह में यूरोप के हालिया निवेश और ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास ने भारत में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

निष्कर्ष:

- भारत और यूरोप के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं, यूरोप अरब दुनिया में भारत का सबसे करीबी साझेदार बन गया है। हाल की चुनौतियों के बावजूद, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध लचीले साबित हुए हैं।



पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल

संदर्भ:

- हाल ही में, पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक एक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल शुरू की है।

प्रासंगिकता:

जीएस II: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल

- पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल का उद्देश्य भारत भर में पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाना है, ताकि पर्यटक-अनुकूल रथानीय लोगों के साथ बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके जो अपने क्षेत्र के लिए राजदूत और कठानीकार के रूप में काम करते हैं।



विज्ञ:

- इस पहल का उद्देश्य अपने लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य के माध्यम से अनुल्य भारत का सार प्रस्तुत करना है, जिससे पर्यटन के अनुभव अधिक रुग्णात्मक और यादगार बन सकें।

पायलट स्थान:

- इस पहल को छह गंतव्यों में पायलट किया गया है:
- ओरछा (मध्य प्रदेश)
- गंडिकोटा (आंध्र प्रदेश)
- बोधगया (बिहार)
- आइजोल (मिजोरम)
- जोधपुर (राजस्थान)
- श्री विजयापुरम (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

मुख्य विशेषताएं:

महिलाओं और युवाओं के प्रशिक्षण पर ध्यान:

- इस पहल में हेरिटेज वॉक, फूड टूर, क्राफ्ट टूर, नेचर ट्रैक और होमस्टेड अनुभव जैसे अभिनव पर्यटन अनुभव विकसित करने में महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया गया है।

"अतिथि देवो भव" दर्शन से प्रेरित:

- यह प्रशिक्षण आतिथ्य की भारतीय परंपरा का पालन करते हुए पर्यटकों को सम्मानित अतिथि के रूप में व्यवहार करने को बढ़ावा देता है।

रोजगार के अवसर:

- कार्यक्रम में रथानीय लोगों को इन कौशलों का उपयोग करके पर्यटन में होमस्टेड मालिक, व्यंजन प्रदाता, सांस्कृतिक गाइड, प्राकृतिक गाइड, साहस्रिक गाइड और बहुत कुछ के रूप में रोजगार की तलाश करने की परिकल्पना की गई है।

डिजिटल प्रशिक्षण:

- पर्यटन-विशिष्ट प्रशिक्षण के अलावा, प्रतिभागियों को अपने पर्यटन अनुभवों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पर्यटकों के लिए अधिक खोज योज्य और सुलभ बनाने में मदद करने के लिए डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्राप्त होता है।

ब्रिक्स

संदर्भ:

- भारतीय विदेश मंत्री ने हाल ही में अपने ब्रिक्स समकक्षों से मुलाकात की और बहुधुरीय विश्व में इसकी भूमिका की पुष्टि की।

प्रासंगिकता:

जीएस II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

लेख के आयाम:

ब्रिक्स क्या है?

- ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रिका का अंतर्राष्ट्रीय समूह है।
- इसे अधिक बहुधुरीयता की ओर बढ़ने के लिए स्थापित किया गया था; इसलिए यह तीन महाद्वीपों और दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है।
- जीडीपी के संदर्भ में, चीन दूसरे स्थान पर है; भारत पांचवें स्थान पर; ब्राजील नौवें स्थान पर; रूस 11वें स्थान पर; और दक्षिण अफ्रिका 35वें स्थान पर।
- विकास दर के संदर्भ में, चीन 6% की दर से बढ़ा; भारत 4.5%, रूस 1.7%, ब्राजील 1.2% और दक्षिण अफ्रिका 0.1%।
- ब्रिक्स संगठन के रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन यह पांच देशों के सर्वोच्च नेताओं के बीच एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है।
- फोरम की अध्यक्षता सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष घुमाई जाती है, जिसे संक्षिप्त नाम बी-आर-आई-सी-एस के अनुसार कहा जाता है।
- ब्रिक्स अधिक टिकाऊ, न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से ताभकारी विकास के लिए समूह के भीतर और अलग-अलग देशों के बीच सहयोग को गहरा, व्यापक और तीव्र करना चाहता है।
- ब्रिक्स प्रत्येक सदस्य के विकास, विकास और गरीबी के उद्देश्यों को ध्यान में रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंध संबंधित देश की आर्थिक ताकत पर आधारित हों और जहाँ संभव हो प्रतिस्पर्धा से बचा जा सके।
- ब्रिक्स वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार के मूल उद्देश्य से कहीं आगे, विविध उद्देश्यों के साथ एक नई और आशाजनक राजनीतिक-राजनीयिक इकाई के रूप में उभर रहा है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय

संदर्भ

- द्वाल ही में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में 25 सितंबर, 2024 को अंत्योदय दिवस मनाया गया।



प्रासंगिकता:

CS I: समाचारों में व्यक्ति

लेख के आयाम:

- पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में
- पंडित जी के आदर्शों के बारे में
- पंडित जी के नाम पर प्रमुख योजनाओं के बारे में

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में

- 1916 में मथुरा, उत्तर प्रदेश में जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं।
- वे भारतीय जनसंघ के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का अग्रदूत हैं।
- उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, जहाँ उन्हें पारंपरिक धोती-कुर्ता और टोपी पहनकर परीक्षा हॉल में उपरिषित होने के कारण पंडितजी के रूप में उनका उपनाम मिला।
- हालाँकि वे सेवा में शामिल नहीं हुए, लेकिन 1942 में राष्ट्रीय रघुवंशेवक संघ (आरएसएस) के आजीवन रघुवंशेवक बन गए।
- हालाँकि, उपाध्याय को भारत की विचार प्रक्रिया और राजनीतिक जीवन में पार्टी लाइनों से परे एक बड़ी भूमिका निभाते हुए देखा जाता है।

पंडित जी के आदर्शों के बारे में

- उन्होंने जिस एकात्म मानवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया, उसमें वैश्वीकरण के बाद की दुनिया की बीमारियों के लिए उपचार की परिकल्पना की गई है।
- उपाध्याय जी ने वर्गविहीन, जातिविहीन और संघर्ष-मुक्त सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की थी।
- उन्होंने मानव जाति की एकता के प्राचीन भारतीय ज्ञान पर जोर दिया।
- उनके लिए, साझा, साझी विरासत का भाईचारा राजनीतिक सक्रियता का केंद्र था। उन्होंने प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व और सहावत पर जोर दिया।
- उन्होंने एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की संकल्पना की जो प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या की दृढ़तमकता से मुक्त था, तथा पूँजीवाद और साम्यवाद की जड़ता से दूर एक तीसरा रास्ता था।
- वे कई राजनीतिक प्रयोगों के अग्रणी थे। वे भारतीय राजनीति में पहले गठबंधन चरण के निर्माता थे।
- दीन दयाल उपाध्याय जी कम सरकार और अधिक शासन के समर्थक थे।

- वे आत्मनिर्भर स्वायत्त इकाइयों, गांजों को अधिक शक्ति और विकेंद्रीकृत और प्रतिस्पर्धी संघरण में विश्वास करते थे, जो हमारी परंपरा, विरासत और अतीत के अनुभव की सांस्कृतिक मौज़ेक पर मजबूती से टिका हुआ था।

पंडित जी के नाम पर प्रगति योजनाओं के बारे में

- दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई) - गरीबी उन्मूलन के लिए एनयूएलएम और एनआरएलएम को एकीकृत करना।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) अंत्योदय दिवस - ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाने और ग्रामीण युवाओं की कैरियर आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना - ग्रामीण घरों में बिजली प्रदान करना।
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम - मुख्य रूप से कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना (DUSY) - स्टार्टअप इंडिया योजना का ग्रामीण संस्करण।

CSIRT-Power

संदर्भ:

- हाल ही में, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने नई डिल्टी में विद्युत क्षेत्र के लिए कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल (CSIRT-Power) का उद्घाटन किया।

प्रासंगिकता:

प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य

CSIRT-Power का अवलोकन:

- CERT-In के सहयोग से शुरू किया गया, जो 2013 की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के साथ सेरियत है।
- साइबर घटनाओं के प्रति प्रतिक्रियाओं के प्रबंधन और समन्वय के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

उद्देश्य:

- साइबर सुरक्षा लक्षीलापन: एक संरचित टॉपिकोण अपनाकर भारत के विद्युत क्षेत्र की साइबर सुरक्षा लक्षीलापन को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। इसमें शामिल हैं:
- साइबर सुरक्षा घटनाओं को योकना और उनका जवाब देना। क्षेत्र-पिण्डित साइबर खतरों के प्रति प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना।
- खतरे की जानकारी एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और उसे साझा करना।

अतिरिक्त कार्य:

- जागरूकता और सुरक्षा: साइबर सुरक्षा जागरूकता उपायों को लाने करना, क्षेत्र की साइबर स्थिति में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं और सुरक्षा नीतियों को बढ़ावा देना।
- विशेषज्ञता और सहयोग: उपयोगिताओं को साइबर सुरक्षा विशेषज्ञता प्रदान करना और बेहतर सुरक्षा प्रबंधन के लिए हितधारक सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- नियीक्षण: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के तहत स्थापित।

CERT-In के बारे में:

- राष्ट्रीय नोडल एजेंसी: CERT-In भारत की राष्ट्रीय एजेंसी है जो कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
- सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय: भारत के साइबररपेस को सुरक्षित करने के लिए सूचना और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
- परिचालन इतिहास: जनवरी 2004 से सक्रिय, पूरे देश में साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटना।

FATF ने भारत पर पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की

संदर्भ:

- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने हाल ही में भारत पर अपनी पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें अवैध विता का मुकाबला करने और अपनी वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने में देश की पर्याप्त प्रगति को मान्यता दी गई।

प्रासंगिकता:

जीएस II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

लेख के आयाम:

- मुख्य बिंदु
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ)

गुरुव्य बिंदु:

- आंशिक अनुपालन: भारत को तीन क्षेत्रों में आंशिक रूप से अनुपालन करते हुए पाया गया।
- गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ): धर्मार्थ संगठनों के रूप में पंजीकृत और कर छूट से लाभान्वित होने वाले एनपीओ से संबंधित कमज़ोरियाँ। इनका संभावित रूप से आतंकी फ़ंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी): रिपोर्ट घेरेलू पीईपी के लिए धन, धन और लाभकारी स्वामित्व के स्रोत के बारे में अस्पष्टता को उजागर करती है।
- नामित गैर-प्रियी व्यवसाय और पेशे (डीएनएफबीपी): विनियमन और पर्यवेक्षण में अंतराल हैं, विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के संबंध में।
- अतैदृ गतिविधियाँ: मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों के प्राथमिक स्रोतों में धोखाधड़ी, साइबर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल हैं।
- कीमती धारुएँ और पत्थर (पीएमएस): स्वामित्व के निशान के बिना बड़ी मात्रा में धन को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कमज़ोरियों में योगदान देता है।
- आतंकवाद के खतरे: आईएसआईएल, अल-कायदा और क्षेत्रीय विद्रोहियों से महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न होते हैं।

सिफारिशें:

- धन शोधन के मुकदमों में तेजी लाना: रिपोर्ट में मानव तस्करी और नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों जैसे अपराधों से निपटने में सुधार करने और मुकदमों में तेजी लाने का सुझाव दिया गया है।
- धन की फ्रिजिंग में सुधार: धन और परिसंपत्तियों को समय पर फ्रिज करने के लिए ढांचे में सुधार की आवश्यकता है।
- घेरेलू पीईपी: भारत को अपने धन शोधन विरोधी कानूनों के तहत घेरेलू पीईपी को परिभाषित करने और जोखिम आधारित उन्नत उपायों को लागू करने की आवश्यकता है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)

- धन शोधन पर वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में जी7 की पहल पर धन शोधन से निपटने के लिए नीतियाँ विकसित करने के लिए की गई थी।
- 2001 में, आतंकवाद के वित्तपोषण को शामिल करने के लिए इसके अधिदेश का विस्तार किया गया था।
- FATF एक "नीति-निर्माण निकाय" है जो इन क्षेत्रों में शास्त्रीय विधायी और विनियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति उत्पन्न करने का काम करता है।
- FATF सदस्य देशों की "सहकर्मी समीक्षा" ("पारस्परिक मूल्यांकन") के माध्यम से अपनी सिफारिशों को लागू करने में प्रगति की निगरानी करता है।
- वर्ष 2000 से, FATF ने FATF ब्लैकलिस्ट (औपचारिक रूप से "कार्रवाई के लिए आह्वान" कहा जाता है) और FATF ब्रैलिस्ट (औपचारिक रूप से "अन्य निगरानी क्षेत्राधिकार" कहा जाता है) को बनाए रखा है।
- FATF का उद्देश्य मानक निर्धारित करना और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

FATF ग्रेलिस्ट

- FATF ब्रैलिस्ट को आधिकारिक तौर पर बड़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- FATF ब्रैलिस्ट मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के बहुत अधिक जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन FATF के साथ मिलकर कार्य योजनाएँ विकसित करने के लिए औपचारिक रूप से प्रतिबद्ध हैं जो उनकी AML/CFT कमियों को दूर करेगी।
- ब्रैलिस्ट में शामिल देश FATF द्वारा निगरानी बढ़ाए जाने के अधीन हैं, जो या तो उनका सीधे मूल्यांकन करता है या FATF-शैली के क्षेत्रीय निकायों (FSRB) का उपयोग करके उनके AML/CFT लक्ष्यों की दिशा में उनकी प्रगति पर रिपोर्ट करता है।
- जबकि ब्रैलिस्ट वर्गीकरण ब्लैकलिस्ट जितना नकारात्मक नहीं है, फिर भी सूची में शामिल देशों को IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- अगले स्तर की "ब्लैकलिस्ट" के विपरीत, ब्रैलिस्टिंग में कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होते हैं, लेकिन यह आर्थिक प्रतिबंधों को आकर्षित करता है और किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय ऋणों तक पहुँच को प्रतिबंधित करता है।

FATF ब्लैकलिस्ट

- FATF ब्लैकलिस्ट को आधिकारिक तौर पर कॉल फॉर एवेशन के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार के रूप में जाना जाता है।
- FATF ब्लैकलिस्ट उन देशों को निर्धारित करती है जिन्हें उनके एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के विनियामक शासन में कमी माना जाता है।
- सूची का उद्देश्य न केवल इन देशों को विश्व मंत्र पर नकारात्मक रूप से उजागर करना है, बल्कि उनके द्वारा प्रस्तुत उच्च मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण जोखिम की चेतावनी के रूप में भी है।
- यह अत्यधिक संभावना है कि काली सूची में डाले गए देश FATF सदस्य देशों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों और अन्य निषेधात्मक उपायों के अधीन होंगे।

खाद्य आयात अस्वीकृति चेतावनी पोर्टल

संदर्भ:

- हाल ही में, खाद्य आयात अस्वीकृति अलर्ट (FIRA) - पोर्टल को भारत मंडपम में FSSAI द्वारा आयोजित वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण के दौरान लॉन्च किया गया था।

प्रासंगिकता:

प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य

लेख के आयाम:

- खाद्य आयात अस्वीकृति चेतावनी पोर्टल
- भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI)

खाद्य आयात अस्वीकृति चेतावनी पोर्टल

- उद्देश्य: भारतीय सीमाओं पर खाद्य आयात अस्वीकृतियों को अधिसूचित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल।
- डेवलपर: भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा बनाया गया।
- उद्देश्य: अस्वीकृत खाद्य आयातों के बारे में जनता और संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करना।

मुख्य विशेषताएं

सूचना का आदान-प्रदान:

- अस्वीकृत खाद्य से खाद्य सुरक्षा और खास्थ्य जोखिमों के बारे में वैश्विक अधिकारियों के बीच तेजी से संचार की सुविधा प्रदान करता है।

निवारक कार्यवाई:

- खाद्य अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने से पहले जोखिमों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए तत्काल कार्यवाई करने में सक्षम बनाता है।

इंटरैक्टिव इंटरफ़ेस:

- त्वरित सूचना प्रसार, ट्रेसबिलिटी और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन प्लॉटफॉर्म प्रदान करता है।

डेटाबेस कार्यक्षमता:

- अस्वीकृत खाद्य उत्पादों को ट्रैक करने और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI)

पृष्ठभूमि

- स्थापना: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 द्वारा स्थापित भारत सरकार के खास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक खाद्य नियंत्रण अधिकारी को समेकित करना।
- उद्देश्य: भारत में खाद्य सुरक्षा विनियमों को समेकित करना।

मिशन

- मानक निर्धारण: विश्व रत्न पर बैंचमार्क किए गए खाद्य सुरक्षा मानकों की स्थापना करना।
- अनुपालन संवर्धन: खाद्य व्यवसायों को इन मानकों का पालन करने और अच्छे विनिर्माण और खच्चता प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- सार्वजनिक खास्थ्य: नागरिकों को सुरक्षित और खास्थ्य भोजन तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाना।

कार्य

- सार्वजनिक खास्थ्य संरक्षण: सार्वजनिक खास्थ्य की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा को विनियमित और पर्यवेक्षण करता है।
- मानक और दिशा-निर्देश: खाद्य पदार्थों के लिए मानक निर्धारित करता है और खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए लाइसेंसिंग, पंजीकरण और मान्यता प्रदान करता है।
- लाइसेंसिंग आवश्यकता: भारत में सभी खाद्य पिक्रेताओं और आयातकों को FSSAI से खाद्य लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
- आयात नियंत्रण: FSSAI अधिकारी भारत भर में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता सहित सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य आयात नियंत्रण की देखरेख करते हैं।

बायो-राइड योजना

संदर्भ:

- हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) की दो छत्र योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी, जिन्हें एक योजना-'जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड)' के रूप में विलय कर दिया गया।

प्रासंगिकता:

CS II: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप लेख के आयाम:

- बायो-राइड पहल
- रणनीतिक कार्यान्वयन फोकस

बायो-राइड पहल:

- बायो-राइड योजना नवाचार को बढ़ावा देने, जैव-उद्यमिता को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक जैव-विनिर्माण और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी रिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार की गई है।
- इस पहल का उद्देश्य अनुसंधान में तेजी लाना, उत्पादों के विकास को बढ़ाना और अकादमिक अनुसंधान को औद्योगिक अनुप्रयोगों में सहजता से एकीकृत करना है।

योजना के घटक:

- अनुसंधान और विकास: जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना।
- औद्योगिक और उद्यमिता विकास: जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के भीतर औद्योगिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से।
- बायोमैन्युफैकरिंग और बायोफार्मिंग: जैव विनिर्माण में प्रगति को लक्षित करने वाला एक नया जोड़।

मिशन और फंडिंग:

- मिशन सेरेखण: स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा में प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए जैव-नवाचार का लाभ उठाने की भारत की रणनीति के साथ सेरेखित करता है।
- वित्तीय लोआउट: 2021-2022 से 2025-2026 तक 15वें वित्त आयोग चक्र की अवधि के लिए 9197 करोड़ रुपये का आवंतन किया गया है।

रणनीतिक कार्यान्वयन फोकस:

- जैव-उद्यमिता को बढ़ावा देना: जैव-उद्यमियों के लिए बीज निधि, उच्चायन सहायता और मार्गदर्शन के माध्यम से एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।
- नवाचार को आगे बढ़ाना: सिंथेटिक जीव विज्ञान, जैव-औषधीय, जैव-ऊर्जा और जैव-प्लास्टिक जैसे क्षेत्रों में अग्रणी अनुसंधान के लिए अनुदान और प्रोत्साहन प्रदान करना।
- उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ाना: जैव-तकनीकी नवाचारों के व्यावसायीकरण को तेज करने के लिए शिक्षाविदों, अनुसंधान निकायों और उद्योग के बीच साझेदारी को मजबूत करना।
- संधारणीय जैव-विनिर्माण का समर्थन करना: जैव-विनिर्माण में पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं पर जोर देना जो भारत के पारिस्थितिक लक्ष्यों के साथ सेरेखित हैं।
- बाहरी अनुसंधान सहायता: विभिन्न जैव-तकनीकी क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निधि प्रदान करना।
- मानव संसाधन विकास: जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में छात्रों, युवा शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के कौशल सेट और क्षमताओं को समृद्ध करने के लिए समर्पित।

सुभद्रा योजना

संदर्भ:

- हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना 'सुभद्रा' का शुभारंभ किया।

प्रासंगिकता:

जीएस II: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

सुभद्रा योजना:

- नामकरण: देवी सुभद्रा के नाम पर, जो ओडिशा के देवता भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हैं।
- लाभार्थी: 21-60 वर्ष की आयु की महिलाएँ, विशेष रूप से वे जो समृद्ध पृष्ठभूमि से नहीं हैं या महत्वपूर्ण सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर रही हैं, पात्र हैं।
- वित्तीय लाभ: पात्र महिलाओं को 10,000 रुपये की अर्ध-वार्षिक किस्तों में पाँच वर्षों (2024-2029) में वितरित 50,000 रुपये मिलते हैं।

परिचालन तंत्र:

- प्रत्यक्ष जमा: लाभार्थियों के आधार-लिंगड और डीबीटी-सक्षम बैंक खातों में शीधे धनराशि जमा की जाती है।
- डिजिटल सत्यापन: नामांकन के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी सत्यापन की आवश्यकता होती है।
- प्रोत्साहन: प्रति ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में शीर्ष 100 डिजिटल रूप से सक्रिय लाभार्थियों को 500 रुपये का विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है।
- बढ़ियकरण: उच्च आय वाले परिवारों की महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों, करदाताओं और अन्य सरकारी कार्यक्रमों से 1,500 रुपये मासिक या 18,000 रुपये सालाना पाने वालों को शामिल नहीं किया गया है।
- नामांकन प्रक्रिया: निरंतर पंजीकरण के लिए कोई समय सीमा नहीं है, सभी पात्र महिलाओं के पंजीकृत होने तक नामांकन जारी रखने की अनुमति है।
- सुलभता: वित्तीय लोनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए सुभद्रा डेबिट कार्ड को शामिल करना।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान

संदर्भ:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कृषि में पीएम-आशा मूल्य समर्थन योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया है।

प्रासंगिकता:

जीएस II: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

पीएम-आथा

- पीएम-आशा को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले।
- घटक: कार्यक्रम में तीन अलग-अलग भाग शामिल हैं, जिसमें राज्यों को अपनी पसंद के आधार पर किसी भी भाग को लाने करने की छूट दी गई है।

मूल्य समर्थन योजना (PSS)

- कार्यान्वयन: केंद्रीय नोडल एजेंसियों को दालों, तिलहनों और खोपरा की भौतिक खरीद का काम सौंपा गया है, जिसे राज्य सरकारों द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाता है।
- अंतिरिक्ष सहायता: भारतीय शष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) और भारतीय खाद्य निगम (FCI) जैसे संगठन विभिन्न क्षेत्रों में संचालन करने में शामिल हैं।
- वित्त पोषण: स्थापित मानदंडों के अनुसार सभी खरीद व्यय और घाटे को कवर करने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।

मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS)

- कवरेज: यह योजना MSP के तहत सूचीबद्ध सभी तिलहनों पर लाने है।
- भुगतान प्रक्रिया: अधिसूचित बाजारों में अपनी उपज बेचने वाले किसानों को पारदर्शी नीतामी प्रक्रियाओं के माध्यम से MSP और बाजार बिक्री मूल्य के बीच के अंतर का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्यक्ष भुगतान प्राप्त होंगे।
- भुगतान विधि: किसानों के पंजीकृत बैंक खातों में शीधे धनराशि हस्तांतरित की जाती है, बिना किसी भौतिक फसल खरीद की आवश्यकता के।
- सरकारी सहायता: इस योजना को विशिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त होता है।

निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजनाओं का पायलट (PPSS)

- क्षेत्र: पीडीपीएस के साथ-साथ, यह योजना तिलहन पर द्यान केंद्रित करते हुए चयनित जिलों या एपीएमसी में पायलट कार्यान्वयन की अनुमति देती है।
- भागीदारी: इस योजना के तहत खरीद प्रक्रिया में निजी संस्थाओं को शामिल होने की अनुमति है।
- परिचालन विवरण: प्रत्येक चयनित जिला या एपीएमसी इस पायलट के लिए एमएसपी के तहत एक या अधिक निर्दिष्ट तिलहन फसलों को लक्षित कर सकता है।

परिचालन दिशानिर्देश

- प्रतिबंध: किसी भी समय किसी भी दी गई वस्तु के लिए प्रति राज्य केवल एक योजना, पीएसएस या पीडीपीएस को सक्रिय किया जा सकता है।

वीनस ऑर्बिटर मिशन

संदर्भ:

- हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन (वीओएम) के विकास को मंजूरी दी है।

प्रासंगिकता:

जीएस III: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

वीनस ऑर्बिटर मिशन

- इस मिशन को शुक्र के चारों ओर कक्षा में एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उद्देश्य:

- वैज्ञानिक अन्वेषण:** शुक्र की सतह, उपसतह, वायुमंडलीय गतिशीलता और उसके वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव की समझ को गहरा करना।
- ऐतिहासिक विश्लेषण:** शुक्र पर ऐतिहासिक परिवर्तनों की जांच करना, जिसके बारे में माना जाता है कि यह संभावित रूप से रहने योन्या था और पृथ्वी के समान था, ताकि ग्रहों के विकास के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया जा सके।
- अनुसंधान परिणाम:** मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जांच को संबोधित करना है, जो वैज्ञानिक परिणामों के व्यापक एपेक्टमें योगदान देता है।
- एजेंसी की भागीदारी:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को अंतरिक्ष यान के विकास और प्रक्षेपण का काम सौंपा गया है।
- अमर्याया:** मार्च 2028 में साकार करने का लक्ष्य, अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यान के लिए विभिन्न औद्योगिक योगदानों का लाभ उठाना।

वित्त पोषण और संसाधन

- बजट:** मिशन को कुल 1236 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 824 करोड़ रुपये विशेष रूप से अंतरिक्ष यान के लिए निर्धारित किए गए हैं।
- व्यय का विवरण:** इसमें अंतरिक्ष यान का विकास, इसके विशेष पेलोड, नेविगेशन और नेटवर्किंग के लिए वैश्विक ग्राउंड स्टेशन समर्थन और प्रक्षेपण यान की लागत शामिल है।


महत्व

- तुलनात्मक ग्रहविज्ञान:** शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है और माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भी ऐसी ही परिस्थितियों में हुई है। यह मिशन यह पता लगाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है कि ग्रहीय वातावरण किस तरह से विशिष्ट रूप से विकसित हो सकते हैं।

जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित

संदर्भ:

- तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किला को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है। यह नामांकन “मराठा सैन्य परिवर्त्य” नामक एक बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मराठा साम्राज्य से प्रभावित ऐतिहासिक सैन्य वास्तुकला को उजागर करने वाले 12 महत्वपूर्ण किलों को पहचानना और संरक्षित करना है।



प्रासंगिकता:

CS I: संस्कृति

लेख के आयाम:

- जिंजी किले के बारे में मुख्य तथ्य
- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल क्या है? जिंजी किले के बारे में मुख्य तथ्य:

स्थान:

- जिंजी किला तीन पठाड़ियों के ऊपर रणनीतिक रूप से स्थित है: राजगिरि, कृष्णगिरि और चंद्रगिरि, जो इसे तमिलनाडु का एक प्रमुख किला बनाता हैं।

ऐतिहासिक महत्व:

- “पूर्व के ट्रैया” के रूप में जाना जाने वाला, जिंजी किला दक्षिण भारत के सबसे अमेया किलों में से एक माना जाता है।
- 60-फुट चौड़ी प्राचीर और 80-फुट चौड़ी खाई सहित इसकी मजबूत सुरक्षा ने इसे फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच कर्नाटक युद्धों के दौरान महत्वपूर्ण बना दिया।

ऐतिहासिक अवलोकन:

- किलो का निर्माण मूल रूप से 1200 ई. में कोनार राजवंश के अनंत कोन द्वारा किया गया था और इसका नाम कृष्णगिरि रखा गया था।
- विजयनगर साम्राज्य के तहत महत्वपूर्ण जीर्णोद्धार किए गए थे। 1677 में, किले पर छत्रपति शिवाजी ने कब्जा कर लिया था, और यह 1698 में मुगलों द्वारा कब्जा किए जाने तक मराठों के नियंत्रण में रहा।
- किला राजाराम प्रथम (शिवाजी के बेटे) के नेतृत्व में मुगल सेना के खिलाफ़ मराठों के प्रतिरोध का अंतिम गढ़ था।
- राजा देसिंह (तेज सिंह) द्वारा कुछ समय तक शासन किए जाने के बाद, किले पर 1714 में आर्काट के नवाबों ने कब्जा कर लिया और 1749 तक उनके अधीन रहा।
- 1750 से 1770 तक, किला फ्रांसीसी नियंत्रण में था, जिसके बाद यह ब्रिटिश हाथों में चला गया।

वास्तुशिल्प विशेषताएँ:

- किले के परिसर में कई मंदिर और तीर्थस्थल हैं, साथ ही महत्वपूर्ण संरचनाएँ जैसे कि एक सीढ़ीदार कुआँ, कल्याण महल, दरबार हॉल, तोप, घंटाघर, शस्त्रागार, हाथी टैक, अस्तबल, अन्न भंडार, व्यायामशाला, वैंकटरमण मंदिर और सदातुल्ला मस्जिद शामिल हैं।

जल आपूर्ति प्रणालियाँ:

- किला दो उन्नत जल आपूर्ति प्रणालियों से सुसज्जित है, जो किले के सबसे ऊंचे स्थानों पर भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं।

राजगिरि पहाड़ी:

- राजगिरि 800 मीटर ऊंची सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिस पर एक गढ़ और रंगनाथ का मंदिर स्थित है।

कृष्णगिरि गढ़:

- कृष्णगिरि गढ़ अपनी इंडो-इस्लामिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें गुंबददार छत वाला एक दर्शक हॉल है।

वैंकटरमण स्वामी मंदिर:

- निचले किले परिसर में स्थित इस मंदिर में हिंदू महाकाव्यों की जटिल नकाशी की गई है।

कल्याण महल:

- एक उल्लेखनीय आठ मंजिला संरचना, कल्याण महल का उपयोग शाही महिलाओं के वर्गार्ट के रूप में किया जाता था।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल क्या हैं?

- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थान है जिसे संयुक्त ग्रष्ट शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के रूप में मान्यता दी गई है जिसे मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य माना जाता है।
- यह एक इमारत, एक शहर, एक परिसर, एक रेगिस्तान, एक जंगल, एक द्वीप, एक झील, एक स्मारक या एक पहाड़ हो सकता है।
- उन्हें भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा और आनंद लेने के लिए संरक्षित करने के लिए विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया है क्योंकि उनका एक विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व और मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य है।
- इटली में सबसे अधिक संख्या में विश्व धरोहर रखत हैं।
- वर्तमान में, भारत में 38 विश्व धरोहर संपत्तियां हैं मंत्रालय के तहत सभी स्थल एसआई की संरक्षण नीति के अनुसार संरक्षित हैं और अच्छी स्थिति में हैं।

विश्व धरोहर स्थलों के चयन और संरक्षण के बारे में अधिक जानकारी

- इन स्थलों को मानवता के सामूहिक और संरक्षक हितों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
- चयनित होने के लिए, WHS को पहले से ही वर्गीकृत स्थलचिह्न होना चाहिए, जो भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से पहचाने जाने योग्य स्थान के रूप में किसी मामले में अद्वितीय हो, जिसका विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व हो (जैसे कि कोई प्राचीन खंडहर या ऐतिहासिक संरचना, इमारत, शहर, परिसर, रेगिस्तान, जंगल, द्वीप, झील, स्मारक, पहाड़ या जंगल क्षेत्र)।
- यह मानवता की उल्लेखनीय उपलब्धि को दर्शा सकता है, और ग्रह पर छमारे बौद्धिक इतिहास के साक्ष्य के रूप में कार्य कर सकता है।
- साइटों का उद्देश्य भावी पीढ़ी के लिए व्यावहारिक संरक्षण है, जो अन्यथा मानव या पशु अतिक्रमण, अनियंत्रित/अनियंत्रित/अप्रतिबंधित पहुंच, या स्थानीय प्रशासनिक लापरवाही से खतरे के अधीन होगे।
- सूची को यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा बनाए रखा जाता है, जिसमें 21 "शज्य पक्ष" शामिल होते हैं, जिन्हें उनकी महासभा द्वारा चुना जाता है।

यूनेस्को विश्व धरोहर समिति

- विश्व धरोहर समिति यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किए जाने वाले स्थलों का चयन करती है, जिसमें विश्व धरोहर सूची और खतरे में विश्व धरोहरों की सूची शामिल है।
- यह विश्व धरोहर संपत्तियों के संरक्षण की स्थिति की निगरानी करता है, विश्व धरोहर कोष के उपयोग को परिभाषित करता है और सदस्य देशों के अनुरोध पर वित्तीय सहायता आवंटित करता है।
- इसमें 21 सदस्य देश शामिल हैं, जिन्हें सदस्य देशों की आम सभा द्वारा चार साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
- भारत इस समिति का सदस्य नहीं है।

SPICED योजना

संदर्भ:

- हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मसाला बोर्ड योजना, 'निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगी दृष्टिकोणों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता' (SPICED) योजना को मंजूरी दी है।

प्रासंगिकता:

GS II: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

SPICED योजना के बारे में:

उद्देश्य:

- SPICED योजना मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने, इलायची की उत्पादकता में सुधार करने और निर्यात के लिए पूरे भारत में मसालों की कटाई के बाद की गुणवत्ता को उन्नत करने पर केंद्रित है।

कार्यान्वयन:

- यह योजना 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के अंत तक लानू की जा रही है, जो 2025-26 तक चलेगा।

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

- इस योजना का उद्देश्य विभिन्न पहलों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में मूल्य संवर्धन, नवाचार को बढ़ावा देना और स्थिरता को प्रोत्साहित करना है।
- मिशन मूल्य संवर्धन।
- मिशन खवच और सुरक्षित मसालों।
- जीआई मसालों को बढ़ावा देना।
- मसाला इनकार्यालय के बादों के माध्यम से उद्यमिता के लिए समर्थन।

फोकस समूह:

- इस योजना में किसान समूहों, एफपीओ, ओडीओपी और डीईएच के तहत पहचाने गए किसान समूहों के साथ-साथ एससी/एसटी समुदाय, पूर्वोत्तर के निर्यातकों और एसएमई पर जोर दिया गया है।

पात्रता:

- मसालों के निर्यातक (सीआरईएस) के रूप में पंजीकरण के बैध प्रमाण पत्र वाले निर्यातक सहायता के लिए पात्र हैं।
- पठी बार आपेठन करने वाले और एसएमई को प्राथमिकता दी जाएगी।

कार्यक्रम फोकस:

- इस योजना के तहत कार्यक्रमों का उद्देश्य इलायची की उत्पादकता में सुधार करना और मसालों की कटाई के बाद की गुणवत्ता को उन्नत करना है।
- ये पहल किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) और प्रमुख मसाला उत्पादक क्षेत्रों में स्तरां सहायता समूहों (एसएचजी) सहित किसान समूहों को लक्षित करती हैं।

कटाई के बाद सुधार:

- यह योजना मसालों के निर्यात योन्य अधिशेष बनाने के लिए कटाई के बाद सुधार को प्राथमिकता देती है, जिससे खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होता है।

पारदर्शिता:

- योजना की अंतिमिधियों को जियो-टैग किया जाएगा, और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फंड की उपलब्धता, आपेठन की स्थिति और लाभार्थियों की सूची के बारे में जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

पीएम ई-ड्राइव योजना

संदर्भ:

- हाल ही में, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के 'पीएम ई-ड्राइव योजना' नामक योजना के कार्यान्वयन के प्रताव को मंजूरी दी है।

प्रासंगिकता:

जीएस II: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

पीएम ई-ड्राइव योजना

- पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव छोटीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) का उद्देश्य दो वर्षों में 10,900 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ पूरे भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है।

योजना के मुख्य घटक

- वित्तीय आवंटन: यह योजना दोपहिया, तिपहिया, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस और ट्रकों सहित अन्य उभरती हुई ईवी श्रेणियों सहित विभिन्न इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए 3,679 करोड़ रुपये समर्पित करती है।
- ई-वात्चर सिस्टम: ईवी खरीदारों को खरीद के बाद आधार-प्रमाणित ई-वात्चर प्राप्त होंगे, जो श्रीधे उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर मांग प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।
- इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस: रवास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और अन्य प्रासंगिक निकायों के सहयोग से विकसित मानकों और प्रोटोकॉल के साथ इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए सहायता: ई-ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये का एक और आवंटन किया गया है, विशेष रूप से MoRTH-अधिकृत वाहन रैक्विपिंग केंद्रों (RVSF) से रैक्विपिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करने वालों को लाभान्वित किया जाएगा, जो वायु प्रदूषण के एक महत्वपूर्ण श्रोत को संबोधित करता है।
- ईवी के लिए बुनियादी ढांचा: रेज की वित्ती को कम करने और ईवी के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए, शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त ईवी उपयोग और महत्वपूर्ण राजमार्ग मार्गों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

अभ्यास वर्णन

संदर्भ:

- हाल ही में, भारत-फ्रांस ट्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वर्णन का 22वां संस्करण भूमध्य सागर में हुआ।

प्रासंगिकता:

जीएस III: सुरक्षा चुनौतियाँ

अभ्यास विवरण

- यह अभ्यास भारत-फ्रांस रणनीतिक ट्रिपक्षीय संबंधों की एक पहचान है, जिसकी शुरुआत 1993 में हुई थी और 2001 में इसका नाम “वरुण” रखा गया था।
- इसमें उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, सामरिक युद्धाभ्यास, सतह पर गोलीबारी, चल रहे पुनःपूर्ति और अन्य समुद्री संचालन शामिल होंगे।
- इसका लक्ष्य दोनों नौसेनाओं की इकाइयों के लिए अपने युद्ध-लड़ने के कौशल को निखारना, अंतर-संचालन को बढ़ाना और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की क्षमता का प्रदर्शन करना है।

महत्व

- पिछले कुछ वर्षों में इस अभ्यास का दायरा और जटिलता बढ़ी है, जिससे दोनों नौसेनाओं को एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने का अवसर मिला है।
- यह समुद्र में अच्छे क्रम के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों नौसेनाओं के बीच परिचालन स्तर की बातचीत की सुविधा प्रदान करता है और वैधिक समुद्री कॉमन्स की सुरक्षा, सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को ऐच्छिकत करता है।

मिशन मौसम

It's about quality

संदर्भ:

- हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ‘मिशन मौसम’ को मंजूरी दी है।

प्रासंगिकता:

जीएस: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

मिशन मौसम:

- उद्देश्य और दायरा: मिशन मौसम का उद्देश्य मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान में भारत की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। यह व्यापक और परिवर्तनकारी पहल वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान, विकास और परिचालन क्षमताओं के प्रस्ताव पर फैलित है।
- तकनीकी एकीकरण: उन्नत अवलोकन प्रणाली, उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल करके, मिशन मौसम निगरानी, मॉडलिंग, पूर्वानुमान और मौसम संबंधी सेवाओं के सम्बन्ध प्रबंधन को बढ़ाने का प्रयास करता है।
- परिचालन तक्ष्य: मिशन को मौसम और जलवायु संबंधी जानकारी की सटीकता और समरबद्धता में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें मानसून के पूर्वानुमान से लेकर वायु गुणवत्ता के लिए वार्षिक समय की चेतावनियाँ और चक्रवात, कोहरा,

ओलावृष्टि और बारिश जैसी गंभीर मौसम स्थितियों तक के अनुप्रयोगों की एक विस्तृत शृंखला शामिल है। यह क्षमता निर्माण और जलवायु घटनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

- बुनियादी ढाँचा और उपकरण: मिशन मौसम अत्याधुनिक रडार, उन्नत सेंसर वाले सैटेलाइट सिस्टम, उच्च प्रदर्शन वाले सुपरकंप्यूटर और परिष्कृत पृथ्वी प्रणाली मॉडल तैनात करेगा। इसके अतिरिक्त, यह वास्तविक समय के डेटा प्रसार को सुविधाजनक बनाने और प्रतिक्रिया रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए GIS-आधारित स्वचालित निर्णय सहायता प्रणाली का उपयोग करेगा।
- कार्यान्वयन ढाँचा: इस पहल का नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत तीन प्रमुख संस्थान करेंगे:
 - भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)
 - भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM)
 - राष्ट्रीय मध्यम-अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF)
- सहयोग और समर्थन: ये संस्थान वैज्ञानिक मौसम विज्ञान समुदाय के भीतर नवाचार को बढ़ावा देने और ज्ञान साझा करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक और औद्योगिक भागीदारों सहित अन्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करेंगे।
- क्षेत्रीय प्रभाव: मिशन मौसम से कृषि, आपदा प्रबंधन, रक्षा, पर्यावरण प्रबंधन, विमानन, जल संसाधन, बिजली उत्पादन, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा जैसे असंख्य क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मिशन के व्यापक टैक्सिकोण से शहरी नियोजन, परिवहन अवसंरचना, अपतटीय संचालन और पर्यावरण निगरानी से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।

ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास

संदर्भ:

- भारतीय वायु सेना (IAF) और रौप्यत ओमान वायु सेना के बीच ट्रिप्पलीय हवाई अभ्यास का 7वां संस्करण 11 से 22 सितंबर 2024 तक ओमान के मसिराह में आयोजित किया जाना है।

प्रासंगिकता:

GS III: सुरक्षा चुनौतियाँ

ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास

- उद्देश्य और घटक: ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास एक हवाई संयुक्त अभ्यास है जिसमें व्यापक रसद समनवय के साथ-साथ जटिल हवाई युद्धाभ्यास, छवा से छवा और छवा से जमीन पर संचालन शामिल है। यह अभ्यास भाग लेने वाली वायु सेनाओं के बीच सहयोगी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।
- उद्घाटन समारोह: इस अभ्यास का प्रारंभिक संस्करण 2009 में ओमान के थमरैत में आयोजित किया गया था। इसने भारत और ओमान के बीच उच्च स्तरीय हवाई सहयोग अभ्यास की शुरुआत की।
- भारत और ओमान के बीच अतिरिक्त सैन्य सहयोग:
- नसीम अल-बहर: यह अभ्यास भारतीय नौसेना और ओमान की रौप्यत नेत्री के बीच एक नौसैनिक सहयोग है, जो दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को रेखांकित करता है।
- अल नजाह: इसमें भारतीय सेना और ओमान की रौप्यत आर्मी के बीच संयुक्त अभियान शामिल हैं, जो जमीनी बलों की अंतर्राष्ट्रीय शामिलता और सामरिक प्रशिक्षण को बढ़ाता है।

ओमान का सामरिक महत्व:

- भू-जगतीक महत्व: होमुज जलडमरुमध्य और अरब सागर के पास ओमान की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति पश्चिम एशिया और हिंद महासागर क्षेत्रों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में इसकी स्थिति को बढ़ाती है। यह स्थान नौसेना और वायु सेना की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रमुख समुद्री मार्गों के निकट है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार

संदर्भ:

- हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किया।

प्रासंगिकता:

जीएस II: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार:

- पहल की उत्पत्ति: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा विकसित, यह पहल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत 130 शहरों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए स्वीकृत कार्य योजनाओं के पालन के आधार पर शहरों को ऐक करती है।
- दिशानिर्देश जारी: सितंबर 2022 में, MoEF&CC ने NCAP के तहत 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण' शहरों की ईकिंग दिशानिर्देश पेश किए।

- उद्देश्य: कार्यक्रम का उद्देश्य 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करने के लक्ष्य के साथ, सिटी एवं शनि प्लान को लागू करने में उनकी प्रभावशीलता के आधार पर 130 भारतीय शहरों को रैंक करना है।

मुख्य उद्देश्य:

- सभी सामाजिक वर्गों में जागरूकता बढ़ाना।
- वायु गुणवत्ता से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जनता को शिक्षित करना।
- विभिन्न शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की तुलना करना।
- एनसीएपी के "सभी के लिए स्वच्छ वायु" सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करना।
- मूल्यांकन प्लेटफॉर्म: शहरों का मूल्यांकन PRANA पोर्टल पर प्रस्तुतियों के माध्यम से किया जाता है, जो एनसीएपी ठांचे में प्रगति को ट्रैक करता है।

2024 पुरस्कार:

- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 ने जनसंख्या के आकार के आधार पर वर्गीकृत एनसीएपी शहरों में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को मान्यता दी:
- श्रेणी 1 (10 लाख से अधिक): सूरत, जबलपुर और आगरा।
- श्रेणी 2 (3-10 लाख): फिरोजाबाद, अमरावती और झाँसी।
- श्रेणी 3 (3 लाख से कम): रायबेरेली, नलगोडा और नालागढ़।

भारत में सुगम्यता में सुधार: सुगम्य भारत ऐप का प्रभाव

संदर्भ:

- 2021 में अपनी शुरुआत के बाद से, सुगम्य भारत मोबाइल एप्लिकेशन पूरे भारत में सुगम्यता संबंधी मुद्दों को संबोधित करने में शहरीक रहा है, जिसके तहत 1,400 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उल्लेखनीय रूप से, इनमें से लगभग 75 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जो ऐप की प्रभावशीलता और सभी नागरिकों के लिए सुगम्यता बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पहल विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुँचने में विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए उठाए गए सक्रिय कदमों पर प्रकाश डालती है।

प्रासंगिकता:

जीएस II: सरकारी नीतियाँ और व्यवस्थाएँ

सुगम्य भारत ऐप:

- इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) द्वारा लॉन्च किया गया था, यह ऐप सार्वजनिक रूप से सुगम्यता संबंधी चुनौतियों का समाधान करके विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों की सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- उद्देश्य: सुगम्य भारत ऐप उपयोगकर्ताओं को सार्वजनिक बुनियादी ठांचे, परिवहन और भवन सुगम्यता से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है।

मुख्य उद्देश्य:

- Google मानचित्र का उपयोग करके विशिष्ट स्थानों को इंगित करके सार्वजनिक रूप से पहुँच संबंधी समस्याओं की रिपोर्टिंग को सुगम बनाना।
- उपयोगकर्ताओं को सामने आई सुलभता समस्याओं को उजागर करने और विस्तृत विवरण देने के लिए जियोटैग की गई तरहीं अपलोड करने की अनुमति दें।
- उपयोगकर्ता सहभागिता: सुलभता बाधाओं का सामना करने वाले व्यक्ति सीधे ऐप के माध्यम से अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं, जो विशेष रूप से इमारतों, परिवहन प्रणालियों और आईसीटी (इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकी) से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- शिकायत प्रक्रिया: उपयोगकर्ता फोटोग्राफिक साक्ष्य अपलोड करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसकी फिर उपयुक्त अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाती है और उसका समाधान किया जाता है।

भविष्य में सुधार:

- सरकार उपयोगकर्ता अनुभव और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्षमताओं के साथ ऐप को अपग्रेड करने के लिए तैयार है।
- आगामी संस्करण में एआई-संवालित वैटबॉट और बहुभाषी इंटरफ़ेस होगा।
- एनजीओ मिशन एक्सेसिबिलिटी और आई-एसटीईएम शोध संस्थान के साथ सहयोग का उद्देश्य ऐप के इस एआई-संवर्धित संस्करण को विकसित करना है।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024

संदर्भ:

- हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के विजेताओं के साथ बातचीत की।

प्रासंगिकता:

प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य

लेख के आयाम:

- राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार
- भारत में शिक्षक दिवस का महत्व
- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

- राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भारत में एक प्रतिष्ठित मान्यता है, जिसके निम्नलिखित मुख्य पहलू हैं:

असाधारण शिक्षकों का सम्मान:

- राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का प्राथमिक उद्देश्य देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के असाधारण योगदान का सम्मान करना है।
- इसका उद्देश्य उन शिक्षकों को मान्यता देना और सम्मानित करना है, जिन्होंने अपनी अद्भुत लगन और प्रतिबद्धता के माध्यम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला है।

राष्ट्रपति द्वारा मान्यता:

- ये पुरस्कार महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं, क्योंकि इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है।
- यह मान्यता शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्य का प्रमाण है।
- पुरस्कार के घटक: पुरस्कार में कई घटक शामिल हैं:
- रजत पदक: विशिष्टता और उपलब्धि का प्रतीक।
- प्रमाणपत्र: शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्तकर्ता की उत्कृष्टता को मान्यता देना।
- नकद पुरस्कार: 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार, जो प्राप्तकर्ता के नियंत्रण योगदान के लिए प्रशंसा और प्रोत्साहन दोनों के रूप में कार्य करता है।

पुरस्कार समारोह की तिथि:

- पुरस्कार 5 सितंबर को प्रदान किए जाते हैं, जो एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि यह भारत में शिक्षक दिवस के साथ मेल खाता है, जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का प्रतीक है।

विस्तारित मान्यता:

- हाल के घटनाक्रमों में, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के दायरे का विस्तार किया गया है।
- शुरू में, इसमें राष्ट्रीय शिक्षक और साक्षरता विभाग द्वारा चुने गए शिक्षक शामिल थे।
- अब, इसमें उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा चुने गए शिक्षक शामिल हैं।
- यह विस्तार विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों में शिक्षण में उत्कृष्टता को मान्यता देता है, जो उत्कृष्ट शिक्षकों के विविध योगदान को और उजागर करता है।

भारत में शिक्षक दिवस का महत्व

शिक्षकों का सम्मान:

- शिक्षक दिवस, 1962 से 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने के लिए एक विशेष अवसर के रूप में कार्य करता है।
- यह भारत में शिक्षकों, शोधकर्ताओं और प्रोफेसरों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए समर्पित एक दिन है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन:

- भारत में शिक्षक दिवस मनाने का विचार एक प्रमुख दार्शनिक, यजनोता और विद्वान् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जुड़ा हुआ है।
- उस समय वे भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे।

उत्सव की उत्पत्ति:

- डॉ. राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा छात्रों के गंभीर अनुरोध के जवाब में शुरू की गई थी।
- डॉ. राधाकृष्णन, जो स्वयं एक सम्मानित शिक्षाविद थे, ने सुझाव दिया कि उनके जन्मदिन, जो 5 सितंबर को पड़ता है, को उनके सम्मान में एक विशेष दिन के रूप में मनाने के बजाय, इसे शिक्षकों के सम्मान और राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए समर्पित किया जाना चाहिए।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में:

- जन्म: डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर, 1888 को भारत के तमिलनाडु के तिरुतनी में हुआ था।
- शैक्षणिक यात्रा: उन्होंने मद्रास के क्रिश्वियन कॉलेज में दर्शनशास्त्र की पढ़ाई की और बाद में मद्रास प्रेसीडेंसी कॉलेज और मैसूर विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रोफेसर बन गए।
- विविध भूमिकाएँ: डॉ. राधाकृष्णन ने अपने जीवनकाल में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति और उसके बाद 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में राजदूत के रूप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वौथे कुलपति के रूप में कार्य किया।
- सम्मान: उनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में, डॉ. राधाकृष्णन को 1984 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
- उल्लेखनीय कार्य: डॉ. राधाकृष्णन एक विपुल लेखक और दार्शनिक थे। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में "समकालीन दर्शन में धर्म का शासन", "रवींद्रनाथ टैगोर का दर्शन", "जीवन का हिंदू दृष्टिकोण", "कलिक या सभ्यता का भविष्य", "जीवन का एक आदर्शवादी दृष्टिकोण", "हमें जिस धर्म की आवश्यकता है", "भारत और बीन", और "गौतम बुद्ध" शामिल हैं।



इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपभोक्ता अधिकारों में प्रगति

संदर्भ:

- उपभोक्ता मामलों के विभाग ने हाल ही में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से मरम्मत के अधिकार ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक राष्ट्रीय कार्यशाला की सुविधा प्रदान की। इस कार्यशाला का एक प्रमुख परिणाम मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए "मरम्मत सूचकांक" की शुरुआत करना था। यह सूचकांक उत्पादों की मरम्मत की आसानी का आकलन करके उपभोक्ताओं को अधिक सूचित खरीद निर्णय लेने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पहल ई-कारोबार के बढ़ते मुद्दे से निपटने का भी प्रयास करती है और निर्माताओं को ऐसे उत्पाद डिज़ाइन करने के लिए प्रेरित करती है जिनकी मरम्मत करना आसान हो, जिससे अंततः उत्पाद की दीर्घायु और स्थिरता बढ़े।

प्रासंगिकता:

जीएस III: भारतीय अर्थव्यवस्था

लेख के आयाम:

- मरम्मत योज्यता कार्यशाला से मुख्य जानकारी
- मरम्मत योज्यता सूचकांक का विवरण
- मरम्मत का अधिकार
- मरम्मत के अधिकार का समर्थन करने के लिए वैयिक और राष्ट्रीय पहल
- मरम्मत के अधिकार को लागू करने में शामिल हुना चाहिए
- मरम्मत के अधिकार का समर्थन करने के लिए रणनीतिक दिशाएँ

मरम्मत योग्यता कार्यशाला से मुख्य जानकारी

कार्यशाला का उद्देश्य:

- कार्यशाला का उद्देश्य उद्योग के नेताओं के बीच एक मरम्मत योज्यता सूचकांक विकसित करने, उत्पाद दीर्घायु को बढ़ावा देने और मरम्मत की जानकारी को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए सहमति बनाना था, जिससे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग लंबे समय तक बढ़ाया जा सके।

नई खट्टीद को कम करना:

- इस पहल का उद्देश्य बेहतर मरम्मत विकल्प प्रदान करके या मरम्मत की लागत को कम करके उपभोक्ताओं के लिए नए उपकरण खरीदने की आवश्यकता को कम करना है।

नियोजित अप्रचलन को संबोधित करना:

- चर्चाओं ने उस अभ्यास को लक्षित किया जहां निर्माता मैनुअल और स्पेयर पार्ट्स जैसे महत्वपूर्ण मरम्मत संसाधनों तक पहुंच को सीमित करते हैं, एक रणनीति जिसे "नियोजित अप्रचलन" के रूप में जाना जाता है।

उपभोक्ता प्रभाव:

- मरम्मत संसाधनों की कमी के कारण उपभोक्ता या तो अपने उपकरणों को त्यागकर नए उपकरण खरीदते हैं या फिर अनाधिकृत बाजारों से अविश्वसनीय नकली पुर्जे खरीदते हैं।

वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास:

- कार्यशाला में फ्रांस, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों से सबक शामिल थे, जिसमें मरम्मत की क्षमता में सुधार के लिए टिकाऊ उत्पादों को डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

स्थायी अभ्यास:

- स्थायी उत्पाद डिजाइन की आवश्यकता, पारिस्थितिकी संबंधी चिंताओं को संबोधित करने और डिस्पोजेबल से सर्कुलर अर्थव्यवस्था में संक्रमण पर जोर दिया गया, जो बैकार उपभोग की तुलना में उत्पादों के सावधानीपूर्वक उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

मरम्मत सूचकांक का विवरण

सूचकांक का कार्य:

- मरम्मत सूचकांक इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक अनिवार्य लेबल के रूप में काम करेगा, जो उपयोगकर्ताओं को उत्पाद की मरम्मत की विशेषताओं के बारे में सूचित करेगा।

ऐटिंग मानदंड:

- तकनीकी दस्तावेज़ उपलब्धता: डिवाइस की मरम्मत के लिए मैनुअल और गाइड की पहुँच को मापता है।
- डिसाएसेम्बली में आसानी: यह मूल्यांकन करता है कि किसी उत्पाद को उसके घटकों तक पहुँचने और मरम्मत करने के लिए कितनी आसानी से अलग किया जा सकता है।
- स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और लागत: उपभोक्ताओं के लिए स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और सामर्थ्य का आकलन करता है।

इंडेक्स स्कोरिंग:

- उत्पादों को 1 से 5 के पैमाने पर रेट किया जाता है, जहाँ 1 यह दर्शाता है कि उत्पाद को नुकसान के उच्च जोखिम के साथ मरम्मत करना चुनौतीपूर्ण है, और 5 यह दर्शाता है कि उत्पाद की मरम्मत करना आसान है, जिसमें बैटरी या डिस्प्ले जैसे महत्वपूर्ण भागों तक शीघ्र पहुँच है, डिवाइस को बड़े पैमाने पर अलग करने की आवश्यकता नहीं है।

मरम्मत का अधिकार

अवधारणा और महत्व:

- मरम्मत का अधिकार अंतिम उपयोगकर्ताओं, उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों को तकनीकी संसाधनों पर प्रतिबंधों का सामना किए बिना, निर्माताओं से खतंत्र रूप से अपने उपकरणों को ठीक करने का अधिकार देता है।
- यह निर्माता द्वारा लगाए गए मरम्मत प्रतिबंधों को चुनौती देता है जो आवश्यक उपकरणों, भागों और प्रतेकन तक पहुँच को सीमित करते हैं, जिससे अधिक प्रतिस्पर्धी मरम्मत बाजार को बढ़ावा मिलता है।

मरम्मत के अधिकार के मुख्य सिद्धांत:

- सूचना पहुँच: यह सुनिश्चित करना कि उपभोक्ताओं के पास आवश्यक मरम्मत मैनुअल, योजनाबद्ध और सॉफ्टवेयर अपडेट तक पहुँच हो।
- भागों और उपकरणों की उपलब्धता: तीसरे पक्ष और व्यक्तियों को आवश्यक मरम्मत भागों और उपकरणों को खरीदने में सक्षम बनाना।
- कानूनी खतंत्रता: उपभोक्ताओं को अपने उपकरणों को अनलॉक या करस्टमाइज़ करने की अनुमति देना, जैसे कि कस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके।
- मरम्मत के लिए डिज़ाइन: खररखाव के प्रयासों को सरल बनाने के लिए मरम्मत की आसानी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए उपकरणों की विकास करना।

मरम्मत के अधिकार की आवश्यकता:

- ई-कचरे में कमी: इलेक्ट्रॉनिक कचरे की बढ़ती समस्या से निपटना, जो मरम्मत में मुश्किल उपकरणों के कारण और भी गंभीर हो गई है।
- एकाधिकार का मुकाबला करना: निर्माताओं द्वारा बनाई गई बाधाओं को तोड़ना जो तीसरे पक्ष की मरम्मत को सीमित करती है, उपभोक्ता विकल्प को बढ़ाना और लागत को कम करना।
- नियोजित अप्रवालन को संबोधित करना: कम जीवनकाल के लिए बनाए गए उत्पाद डिज़ाइनों का मुकाबला करना, जो बार-बार प्रतिरक्षण को मजबूर करते हैं।
- स्थिरता को बढ़ावा देना: बेहतर रखरखाव, पुनः उपयोग और पुनर्वर्क्षण के माध्यम से उपकरणों के जीवनकाल को बढ़ाकर परिपत्र अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करना।

मरम्मत के अधिकार का समर्थन करने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय पहल

भारत में प्रयास:

- नियंत्रण के नेतृत्व में एक समिति ने राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया की शुरुआत की, जो कृषि उपकरण, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए सभी आवश्यक मरम्मत जानकारी को एकत्रित करता है।
- पोर्टल में वर्तमान में 63 कंपनियाँ शामिल हैं, जो पारदर्शिता और मरम्मत सेवाओं और भागों तक पहुँच को बढ़ाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण:

- संयुक्त राज्य अमेरिका: 2022 का फेयर रिपोर्ट एक अनिवार्य करता है कि कंपनियाँ आवश्यक उपकरण प्रदान करें और सॉफ्टवेयर प्रतिबंध हटाएँ जो DIY मरम्मत को बाधित करते हैं।
- यूरोपीय संघ: 2019 के राइट टू रिपोर्ट रूल्स का उद्देश्य एक परिपत्र डिजिटल उत्पाद अर्थव्यवस्था विकसित करना है, जो उपभोक्ताओं को उनके उपकरणों के लिए मरम्मत संसाधन प्रदान करता है।
- यूनाइटेड किंगडम: 2021 के विनियमन उत्पाद रिलीज़ के बाद दस साल तक स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता युनिक्षित करते हैं, जो दीर्घकालिक उत्पाद रखरखाव का समर्थन करते हैं।
- ऑस्ट्रेलिया: रिपोर्ट कैफे जैसी समुदाय-संचालित पहलों की विशेषताएँ, जहाँ स्वयंसेवक स्थानीय लोगों को मरम्मत में सहायता करते हैं, ज्ञान और उपकरण साझा करते हैं।

मरम्मत के अधिकार को लागू करने में शामिल हुनौतियाँ

- प्रौद्योगिकी कंपनियों का प्रतिरोध: Apple, Microsoft और Tesla जैसी प्रमुख फ़र्मों का दावा है कि व्यापक मरम्मत अधिकारों को सक्षम करने से बौद्धिक संपदा सुरक्षा कमज़ोर हो सकती है और उत्पाद की गुणवत्ता कम हो सकती है।
- प्रौद्योगिकी का लघुकरण: जैसे-जैसे डिवाइस तेज़ी से कॉम्पैक्ट होते जाते हैं, उनके आंतरिक घटक अधिक जटिल होते जाते हैं, जिससे औसत उपयोगकर्ता के लिए DIY मरम्मत कम संभव हो जाती है।
- विशेष उपकरण की आवश्यकता: आधुनिक डिवाइस को अक्सर मरम्मत के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, जो आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं और उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है।
- नवाचार के लिए प्रोत्साहन की कमी: विंता है कि मरम्मत पर ज़ोर देने से नवाचार बाधित हो सकता है, मूल उपकरण निर्माता (OEM) चिंतित हैं कि व्यापक मरम्मत अधिकार उपभोक्ताओं को नए मॉडल खरीदने से रोक सकते हैं।
- दक्षता संबंधी चिंताएँ: ऐसी मान्यता है कि डिवाइस को अधिक मरम्मत योग्य बनाने से उनकी डिज़ाइन की गई दक्षता से समझौता हो सकता है, जिसके विरोध वर्तमान डिज़ाइन कॉम्पैक्ट और स्थान के कुशल उपयोग को प्राथमिकता देते हैं।
- सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम: डिवाइस को तीसरे पक्ष की मरम्मत के लिए खोलना संभावित रूप से संवेदनशील उपयोगकर्ता डेटा को सुरक्षा जोखिमों के लिए उजागर कर सकता है।

मरम्मत के अधिकार का समर्थन करने के लिए एनीमेटिक दिशा-निर्देश

- मरम्मत संसाधनों तक पहुँच में सुधार: निर्माताओं को खतंत्र मरम्मत की टुकानों को मरम्मत की सुविधा के लिए आवश्यक उपकरण, मैनुअल और नैटवर्क संसाधन प्रदान करने की वकालत करना।
- मरम्मत के लिए डिज़ाइन को प्रोत्साहित करना: ऐसे मॉड्यूलर घटकों के डिज़ाइन पर ज़ोर देना जो डिवाइस के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना मरम्मत प्रक्रिया को सरल बनाते हैं।
- नवीन प्रथाओं के लिए प्रोत्साहन: यह प्रस्ताव करना कि सरकारें कर राहत, अनुदान या सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन प्रदान करें ताकि कंपनियों को नवाचार जारी रखते हुए मरम्मत-अनुकूल उत्पाद डिज़ाइन विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

1. PLFS रिपोर्ट, 2023-24


पाठ्यक्रम: अर्थव्याप्ति, दोजगार

संदर्भ:

- यास्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने हाल ही में 2023-24 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट जारी की। इसमें भारत में प्रमुख रोजगार प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें स्थिर बेरोजगारी दर, श्रम बल भागीदारी में वृद्धि और महत्वपूर्ण आर्थिक विकास के बाज़ूद औपचारिक नौकरियों के सृजन की चुनौतियाँ शामिल हैं।

मुख्य डेटा बिंदु:

- बेरोजगारी दर: 2023-24 में 3.2%, 2022-23 से अप्रिवर्तित, 2017-18 में सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से पहली बार कोई साल-दर-साल विश्वासन नहीं देखी गई है।
- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): 2023-24 में 60.1% तक बढ़ गई (2022-23 में 57.9% से)। ग्रामीण एलएफपीआर बढ़कर 63.7% हो गया, और शहरी एलएफपीआर बढ़कर 52% हो गया।
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR): WPR 58.2% रहा, जिसमें पुरुषों के लिए 76.3% और महिलाओं के लिए 40.3% रहा।
- लिंग के आधार पर बेरोजगारी: महिला बेरोजगारी बढ़कर 3.2% (2.9% से) हो गई, जबकि पुरुष बेरोजगारी थोड़ी कम होकर 3.2% (3.3% से) हो गई।
- शहरी-ग्रामीण विवरण: ग्रामीण बेरोजगारी 2.4% से थोड़ी बढ़कर 2.5% हो गई, जबकि शहरी बेरोजगारी में सुधार हुआ, जो 5.4% से घटकर 5.1% हो गई।
- स्वरोजगार में वृद्धि: स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों की हिस्सेदारी 2022-23 में 57.3% से बढ़कर 58.4% हो गई।



सकारात्मक और नकारात्मक:

सकारात्मक	नकारात्मक
श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में वृद्धि	बेरोजगारी दर 3.2% पर स्थिर, जिससे रोजगार सृजन के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं
नौकरी की गुणवत्ता में मामूली सुधार, वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 21.7% हुई	युवा बेरोजगारी दर (10.2%) उच्च, विशेष रूप से महिलाओं के लिए (11%)
श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) बढ़कर 58.2% हुआ	स्व-रोजगार में वृद्धि, जिसमें से अधिकांश अनौपचारिक या अवैतनिक कार्य हैं
शहरी बेरोजगारी दर घटकर 5.1% हुई	लिंग असमानता: महिला बेरोजगारी 2.9% से बढ़कर 3.2% हो गई
महामारी के बाद कार्यबल में भागीदारी बढ़ रही है	औपचारिक नौकरियाँ बनाने में चुनौतियाँ, लोगों को अनौपचारिक भूमिकाओं में धकेलना

आगे का रास्ता:

- क्षेत्रीय विविधीकरण: उत्पादक और उच्च-मजदूरी वाली नौकरियाँ पैदा करने के लिए विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और तकनीकी नवाचार में निवेश।
- एमएसएमई को मजबूत करना: एमएसएमई को उबरने और रोजगार बढ़ाने में मदद करने के लिए लक्षित वित्तीय सहायता और विनियामक आसानी प्रदान करना।
- मानव-केंद्रित तकनीक अनुकूलन: स्वास्थ्य सेवा और संधारणीय विनिर्माण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें, जो स्वचालन के लिए कम प्रवण हैं।
- उद्योग-संरचित कौशल: कौशल कार्यक्रमों को AI, हरित नौकरियों, साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों के साथ संरचित करें।

5. उच्च-संभावित सेवाओं को प्रोत्साहित करना: कौशल स्तरों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ई-कॉमर्स, टॉजिस्टिक्स और ऑनलाइन शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें।

निष्कर्ष:


- PLFS 2023-24 की रिपोर्ट एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करती है, जिसमें बढ़ती श्रम भागीदारी और घटती शहरी बेरोजगारी जैसे सकारात्मक संकेतक हैं भविष्य में संधारणीय रोजगार सृजन और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रित, क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण और उद्योग-संरचित कौशल महत्वपूर्ण हैं।

चीन शॉक 2.0

पाठ्यक्रम: अर्थशास्त्र

संदर्भ:

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी सामानों की आमद का मुकाबला करने के प्रयास के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% शुल्क सहित चीनी आयात पर भारी शुल्क लगाया है, जिसे "चीन शॉक 2.0" कहा जाता है। भारत और अन्य देश भी घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए चीनी आयात पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रहे हैं।



चीन शॉक 2.0:

- परिभाषा: घरेलू मांग में बिरावट के बीच सौर उपकरण, इलेक्ट्रिक वाहन और सेमीकंडक्टर जैसे उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में चीन के तेजी से निर्यात वृद्धि को संदर्भित करता है।
- ट्रिगर: संपत्ति संकट और कमज़ोर उपभोक्ता मांग के कारण चीन की आर्थिक मंटी।
- वैश्विक प्रतिक्रिया: भारत सहित देशों को विनिर्माण क्षेत्र में नौकरी छूटने और चीन पर आर्थिक निर्भरता बढ़ने का डर है।

भारत पर प्रभाव:

- बढ़ता आयात: प्रतिबंधों के बावजूद, चीन से भारत का आयात वित्त वर्ष 19 में \$70 बिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में \$101 बिलियन हो गया, जिसका असर रसील, सौर उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों पर पड़ा।
- सौर क्षेत्र का प्रभुत्व: भारत अपने 80% सौर शेल और मॉड्यूल के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे उसके नवीकरणीय ऊर्जा तक्ष्य प्रभावित हो रहे हैं।
- स्टील उद्योग पर ढबाव: चीनी स्टील के बढ़ते आयात से भारतीय स्टील निर्माताओं का मुनाफा कम हो रहा है, जिसके लिए सरकार के छस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स: हालाँकि मोबाइल फोन निर्माण में वृद्धि हुई है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चीन पर भारत की निर्भरता काफी हृद तक अपरिवर्तित बनी हुई है।

चीन शॉक 2.0 का मुकाबला करने के उपाय:

- एंटी-डंपिंग शुल्क: भारत ने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए 2024 में चीन के खिलाफ 30 से अधिक एंटी-डंपिंग जाँच शुरू की हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा: भारत चीनी सौर आयात पर निर्भरता कम करने के लिए खवाल ऊर्जा निर्माण में \$4.5 बिलियन का निवेश कर रहा है।
- रसानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना: स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करें।

निष्कर्ष:

- चीन शॉक 2.0 का मुकाबला करने और आर्थिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए, भारत को लचीले घरेलू उद्योगों का निर्माण करके और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चीनी आयात पर निर्भरता कम करके अपनी आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाना चाहिए।

US फेड ने ब्याज दरों में कटौती की और इसका भारत पर प्रभाव

पाठ्यक्रम: अर्थव्यवस्था

संदर्भ:

- अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने आर्थिक नतिविधि और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकमार्क ब्याज दर में 50 आधार अंकों की कटौती की। कम दरें उधार लेने और खर्च करने को प्रोत्साहित करती हैं, जबकि उच्च दरें विकास में बाधा डाल सकती हैं।

US फेडरल इंजर्व (फेड) क्या है?

- यूएस फेडरल रिजर्व, जिसे आमतौर पर फेड के रूप में जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली है। 1913 में स्थापित, इसके प्राथमिक कार्यों में शामिल हैं:

 - मौद्रिक नीति:** आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों का प्रबंधन करना।
 - बैंकिंग पर्यवेक्षण:** सुरक्षा और सुव्यवहार सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों का विनियमन और पर्यवेक्षण करना।
 - वित्तीय सेवाएँ:** सरकार और वित्तीय संस्थानों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना।

- फेड का लक्ष्य अधिकतम रोजगार, स्थिर मूल्य और मध्यम दीर्घकालिक ब्याज दरें हासिल करना है।

फेड ऐट कर क्या है?

- फेड ऐट कर फेडरल रिजर्व द्वारा फेडरल फँड्स ऐट को कम करने के निर्णय को संदर्भित करता है, वह ब्याज दर जिस पर बैंक एक-दूसरे को यात भर पैसे उधार देते हैं। दर में कटौती के बारे में मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

 - उद्देश्य:** दर में कटौती का उद्देश्य उधार लेना सस्ता करके आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना और उपभोक्ता खर्च और व्यावसायिक निवेश को प्रोत्साहित करना है।
 - प्रभाव:** कम ब्याज दरों से उधार देने में वृद्धि, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि और रोजगार सूजन हो सकता है, साथ ही अपराधित से निपटने में भी मदद मिल सकती है।

अमेरिकी फेडरल इंजर्व ने ब्याज दरों में कटौती क्यों की?

- महामारी के बाद की रिकवरी: शुरुआत में COVID-19 के बाद अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए दरों में कटौती की गई, फिर बढ़ती मुद्रारक्षित से निपटने के लिए उन्हें बढ़ा दिया गया।
- मुद्रारक्षित में कमी: 2023 के मध्य तक, मुद्रारक्षित 2% लक्ष्य के करीब स्थिर हो गई।
- रोजगार संबंधी विंताएँ: बढ़ती बेरोजगारी (अगस्त 2024 में 4.2%) ने संकेत दिया कि उच्च दरें नौकरी की वृद्धि को नुकसान पहुँचा रही हैं, जिससे रोजगार सूजन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- दोष्या अधिदेश: फेड का लक्ष्य स्थिर कीमतें और अधिकतम रोजगार बनाए रखना है; दर में कटौती इन लक्ष्यों को संतुलित करने में मदद करती है।
- निहितार्थ: कम दरें ऋण को सस्ता बनाती हैं, मुद्रारक्षित नियंत्रण को बनाए रखते हुए व्यापार विस्तार और भर्ती को प्रोत्साहित करती हैं।

US फेड ऐट कर से भारत पर प्रभाव

- विदेशी निवेश में वृद्धि: अमेरिका में कम दरें वैश्विक निवेशकों को भारत की ओर आकर्षित कर सकती हैं।
- मुद्रा विनियम दरें: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में संभावित मजबूती।
- निर्यात और आयात: निर्यातकों को बुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि आयातकों को मजबूत रूपये से लाभ होगा।
- आरबीआई पर दबाव: भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी दरों को समायोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
- आर्थिक विकास: कम उदासी लागत भारत में निवेश और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा दे सकती है।
- कैश ड्रैड अपील: निवेशक उच्च भारतीय दरों से लाभ उठाने के लिए अमेरिका में कम दरों पर उधार ले सकते हैं।

फैबिनेट ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को जारी रखने की मंजूरी दी

संदर्भ:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने और आवश्यक वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्यों को स्थिर करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है।
- 1500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाली यह पहला 2025-26 तक 35,000 करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) जैसी योजनाओं को एकीकृत किया गया है। इसमें कुछ फसलों की 100% खरीद, यज्य खरीद सीमा में वृद्धि और दालों, तितहन और जल्दी खराब होने वाली फसलों के लिए समर्थन शामिल है, जिसका उद्देश्य आयात को कम करना और उपभोक्ताओं को मूल्य अस्थिरता से बचाना है।

पीएम आशा के बारे में:

योजना घटक	विवरण
उद्देश्य	न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आवासन के माध्यम से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करें। 2018 के बजट में इसकी घोषणा की गई।
लक्ष्य घटक	किसानों की आय में सुधार के लिए खरीद तंत्र को मजबूत करें। <ol style="list-style-type: none"> मूल्य समर्थन योजना (PSS) मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS) निजी खरीद एवं रेट्किर्स योजना (PPPS)

मूल्य समर्थन योजना (PSS)	केंद्रीय नोडल एजेंसियाँ (नोफेड, एफसीआई) दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद करेंगी। विपणन योन्या अधिष्ठेष का 25% खरीदा जाएगा। सरकार खरीद लागत और घाटे को बढ़ावा देती है।
मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS)	तिलहन के लिए मंडी मूल्य और एमएसपी के बीच अंतर का भुगतान राज्य करता है। इसमें कोई भौतिक खरीद शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश और हरियाणा की योजनाओं पर आधारित।
निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (PPPS)	चुनिंदा जिलों में पायलट प्रोजेक्ट। जब कीमतें एमएसपी से नीचे निरर्थी हैं, तो निजी एजेंसियाँ सरकार के साथ समन्वय में एमएसपी पर तिलहन खरीदती हैं।

योजना के साथ मुद्दे:

- सीमित खरीद बुनियादी ढांचे से मुख्य रूप से गेहूं और चावल को लाभ होता है।
- केवल 6% किसान एमएसपी पर उपज बेचते हैं (NSSO, 2013)।
- MSP के बारे में कम जागरूकता: 24% परिवार अपनी फसलों के लिए एमएसपी के बारे में जानते हैं (2017 का अध्ययन)।
- MSP संचालन कुछ राज्यों तक ही सीमित है, जिससे अधिकांश फसलें कम खरीदी जाती हैं।
- भुगतान में देशी बुनियादी ढांचे की कमी, केंद्रों की लंबी दूरी और एमएसपी घोषणाओं में देशी के कारण 79% किसान एमएसपी से असंतुष्ट हैं (नीति आयोग, 2016)।

MSP क्या है?

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से इसे खरीदती है, और यह किसानों द्वारा बढ़ावा देता है। यह किसानों के लिए एक उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना की गणना पर आधारित होता है।

भारत में जूट उत्पादन में गिरावट

संदर्भ:

- पश्चिम बंगाल और असम में बाढ़ के कारण इस वर्ष जूट उत्पादन में 20% की गिरावट का अनुमान है।

भारत में जूट उद्योग

- भारत दुनिया के लगभग 70% जूट उत्पादों का उत्पादन करता है।
- पश्चिम बंगाल इस उत्पादन में लगभग 73% योगदान देता है।
- जूट उत्पादन का 90% स्थानीय स्तर पर खपत होता है।

अवसर

- सीधे 0.37 मिलियन श्रमिकों को रोजगार देता है।
- जूट निर्यात सालाना ₹4,500 करोड़ (2023-24 में ₹3,000 करोड़) तक पहुँच सकता है।

भारत में जूट की फसल के बारे में:


जूट की फसल के बारे में

CROPS COVERED UNDER MSP

KHARIF CROPS (14)	RABI CROPS (7)	CALENDAR YEAR CROPS (4)
1. Paddy	1. Wheat	1. Copra
2. Jawar	2. Barley	2. De-husked Coconut
3. Bajara	3. Gram	3. Jute
4. Ragi	4. Masur	4. Sugar Cane (FRP)
5. Maize	5. Rapeseed & Mustard	
6. Arhar	6. Safflower	
7. Moong	7. Torai	
8. Urad		
9. Cotton		
10. Ground Nuts		
11. Sunflower		
12. Soyabean		
13. Sesamum		
14. Nigerseed		

• CAPC recommends MSP for 22 crops before the sowing period each year.
 • MSP derived for Toria based on MSP for Rapeseeds and Mustard and for De-husked Coconut on the Basis of MSP of Copra.
 • Fair and Remunerative prices for Sugar is also declared

तापमान	25-35 डिग्री सेल्सियस के बीच
वर्षा	लगभग 150-250 सेमी
मिट्टी का प्रकार	अच्छी जलोढ़ मिट्टी
उत्पादन	भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है।
एकड़ और व्यापार	बांग्लादेश क्षेत्रफल और व्यापार में सबसे आगे है, जो वैश्विक जूट निर्यात का तीन-चौथाई हिस्सा है।
एकाग्रता	मुख्य रूप से पूर्वी भारत में गंगा-ब्रह्मपुर डेल्टा की समृद्ध जलोढ़ मिट्टी के कारण।
प्रमुख उत्पादक राज्य	पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय, निपुर देश के लगभग 73% जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में केंद्रित है।
उपयोग	इसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग बोरियों, चटाई, रसी, धागा, कालीन और अन्य कलाकृतियों बनाने में किया जाता है।
उत्पादन हिस्सा	भारत दुनिया के जूट उत्पादन का 70% हिस्सा है। इसमें 3 लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। 90% उत्पादन स्थानीय स्तर पर खपत होता है।



जूट उद्योग में चुनौतियाँ:

- खेती के क्षेत्र में कमी, 2013-14 और 2021-22 के बीच 1.7 लाख हेक्टेयर की कमी।
- बांगलादेश और चीन से कम लागत वाले सिंथेटिक विकल्पों और उच्च गुणवत्ता वाले जूट उत्पादों से प्रतिस्पर्धा।
- कट्टे जूट का 80% से अधिक हिस्सा खराब गुणवत्ता का है।
- आधुनिकीकरण की कमी और पुरानी मिलों को तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता है।
- सरकारी प्रयासों के बावजूद कट्टे माल की अपर्याप्ति आपूर्ति।
- मेस्टा जैसे वैकल्पिक रेशों की उपलब्धता के कारण मांग में कमी।
- अक्सर छड़तालें और शृंखला मुहें, खासकर पश्चिम बंगाल में।
- बिजली आपूर्ति और परिवहन जैसे बुनियादी ढँचों के मुद्दे स्थिरता में बाधा डालते हैं।

मौजूदा पहल:

- जूट विकास के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड (NJB) और राष्ट्रीय जूट विकास कार्यक्रम।
- जूट को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना और भारतीय जूट निगम (JCI)।
- जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम।
- अतिरिक्त पहलों में जूट मार्क लोगों और जूट आईकेयर योजना शामिल हैं।
- जूट प्रौद्योगिकी मिशन 2.0 का मसौदा तैयार करना।
- स्वर्णम फाइबर क्रांति और प्रौद्योगिकी मिशन: इसका उद्देश्य भारत में जूट उत्पादन को बढ़ाना है।
- जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987: सिंथेटिक फाइबर से प्रतिस्पर्धा के बावजूद, जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987, शृंखला परिवारों का समर्थन करने के लिए जूट पैकेजिंग सामग्री के उपयोग को अनिवार्य बनाता है।
- जूट जियो-टेकसाइट्स (JGT) को तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत बढ़ावा दिया जाता है, जो सिविल इंजीनियरिंग और कटात नियंत्रण में विविध अनुप्रयोग प्रदान करता है।
- जूट स्मार्ट, एक ई-सरकार पहल, बोरियों की सरकारी खरीद के लिए एक मंच प्रदान करके जूट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाती है।
- भारतीय जूट की ब्रांडिंग और वैश्विक स्तर पर स्थिति के लिए जूट मार्क लोगों लॉन्च किया गया (2022)।

आवश्यक उपाय:

- मिल मालिकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुँचाने के लिए मशीनरी को तत्काल अपग्रेड करें।
- उद्योग उन्नयन के लिए आसान ऋण उपलब्धता की सुविधा प्रदान करें और बीमार मिलों को संबोधित करें।

3. कच्चे माल, बिजली और श्रम की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करें; श्रम कानूनों और कौशल में सुधार करें।
4. प्रतिरप्दित को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश को बढ़ावा दें।
5. उत्पादकता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए स्वचालन लागू करें।
6. पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और कम लागत के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित करें।
7. अनुसंधान और विकास का समर्थन करें।
8. फाइबर तत्त्वज्ञान का पुनर्जीव्यापार समझौते के अवसरों का पता लगाएं।

निष्कर्ष

- 'आत्मनिर्भरता' तब तक संभव नहीं होगी जब तक सरकार उन क्षेत्रों को विफल नहीं कर देती जो पहले से ही आत्मनिर्भर हैं और वैश्विक बाजार पर हावी होने में सक्षम हैं। इस क्षेत्र में केंद्रित छस्त्रक्षेप के साथ, हम अधिक निवेश, रोजगार सृजन और निर्यात आय के मामले में इसके प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं।
- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS), एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (SITP) आदि जैसी सरकार की पहल इस अर्थ में समय पर छस्त्रक्षेप हैं।

MSP का कोई कानूनी आधार नहीं है, लेकिन इसे 1960 के दशक से निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लागू किया गया है:

1. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
2. किसानों के लिए मूल्य में नियावट से सुरक्षा।
3. वांछित फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना।

MSP का महत्व:

- खाद्य अस्थिरता के खिलाफ सुरक्षा: एमएसपी की प्रणाली सरकार के लिए किसी भी फसल की कीमतों में तेज नियावट और वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है।
- न्यूनतम मूल्य की गारंटी: एमएसपी की घोषणा बुवाई के मौसम से पहले की जाती है ताकि किसान सोच-समझकर निर्णय ले सकें। इस प्रकार, किसानों को संकट में बिक्री से सहायता मिलती है।
- कम आपूर्ति गती फसलों पर नियंत्रण: इन फसलों के लिए अधिक मूल्य समर्थन की पेशकश करके ताकि अधिक से अधिक किसान इन फसलों को उगाने के लिए प्रेरित हों।
- फसल विविधीकरण: फसलों के लिए एमएसपी उनके विविधीकरण को बढ़ावा देता है और आयात-निर्भरता और खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाता है (उदाहरण के लिए, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 2021 में दालों और तिलहनों के एमएसपी में उल्लंघनीय वृद्धि हुई थी)
- खाद्य सुरक्षा: सरकार इन फसलों का उपयोग सरकारी उत्तरीय मूल्य की दुकानों पर बाजार दर से कम कीमत पर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को कम कीमत पर बेचने के लिए कर सकती है।
- पीएम-पोषण, आईसीडीएस, आंगनवाड़ी सेवा योजना और टीपीडीएस जैसी विकासात्मक योजनाएँ एफसीआई द्वारा एमएसपी पर खरीदे गए अनाज पर निर्भर करती हैं।

निधि कंपनियाँ

संदर्भ:

- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने कंपनी अधिनियम के उल्लंघन के लिए दो दर्जन से अधिक निधि कंपनियों को दंडित किया है, मुख्य रूप से देरी से वित्तीय फाइलिंग और शेयर आवंटन के मुद्दों से संबंधित हैं।
- सबसे अधिक उल्लंघन तमिलनाडु में हुए, जहाँ कंपनियाँ समय पर वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न जमा करने में विफल रहीं।
- रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) ने छोटे निवेशकों की सुरक्षा के लिए अनुपालन के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि निधि कंपनियाँ अपने सदस्यों के लिए ट्रस्ट में पैसा रखती हैं।

निधि कंपनियों के बारे में:

- निधि कंपनियाँ भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ हैं, जो मुख्य रूप से अपने सदस्यों के बीच पैसे उधार लेने और देने में शामिल हैं।
- ये कंपनियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 406 द्वारा शासित हैं, और इनका उद्देश्य समुदायों के भीतर बचत और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
- निधि कंपनियों का गठन अपेक्षाकृत आसान है, इसके लिए न्यूनतम ₹10 लाख की पूँजी और कम से कम सात सदस्यों की आवश्यकता होती है, जिनमें से तीन निवेशक होने चाहिए।



HOW ARE MSPs DETERMINED?

The Centre fixes MSPs for every kharif and rabi cropping season based on recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP).

When a farmer grows a crop, he incurs costs, some of it explicit and some implicit or unpaid. The CACP considers the following costs:

1	2	3
A2	A2+FL	C2
Covers all cash and in kind expenses incurred by farmers on seeds, fertilisers, chemicals, hired labour, fuel, irrigation, etc	Actual costs plus an imputed value of unpaid family labour	Includes 'A2+FL' along with revenues forgone on owned land (rent) and fixed capital assets (interest)

#QUIXPLAINED

2

भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की व्यवहार्यता

पाठ्यक्रम: भारतीय अर्थव्यवस्था

संदर्भ:

- स्वचालन और एआई के कारण नौकरी की वृद्धि में कमी आने के साथ, यूबीआई का विचार भारत सहित वैश्विक रूप पर जोर पकड़ रहा है। जबकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि यूबीआई मान की कमी और बढ़ती असमानता को दूर कर सकता है, अन्य सुझाव देते हैं कि भारत का द्यान पूर्ण यूबीआई के बजाय सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार करने पर होना चाहिए।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) क्या है?

- यह एक सामाजिक कल्याण योजना है जो सभी पात्र व्यक्तियों या परिवारों को उनकी आय या रोजगार की स्थिति के बावजूद एक निश्चित, बिना शर्त नकद हस्तांतरण प्रदान करती है। 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) की अवधारणा आकर्षक थी, हालांकि, वर्तमान CEA, वी अनंत नागेश्वरन ने इसे खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि यह देश के लिए अनावश्यक है।


गीरी से निपटने में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) की क्षमता:

- प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता:** UBI व्यक्तियों और परिवारों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें भोजन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।
- वित्तीय समावेशन:** UBI बैंक खाते के उपयोग और औपचारिक वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा देकर वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित कर सकती है।
- लक्ष्यीकरण त्रुटियों का उन्मूलन:** UBI लक्ष्यीकरण त्रुटियों को समाप्त करता है, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से प्रदान किया जाता है, प्रशासनिक लागतों को कम करता है और सभी पात्र व्यक्तियों को कवरेज सुनिश्चित करता है।
- अधिक स्वायत्ता:** SEWA भारत द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीण भारत में जिन महिलाओं को नकद हस्तांतरण प्राप्त हुआ, उन्हें निर्णय लेने में अधिक स्वायत्ता मिली।
- यूबीआई प्राप्तकर्ताओं को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार नकटी खर्च करने की सुविधा देकर सशक्त बनाता है,** जिसमें आजीविका और शिक्षा में निवेश शामिल है।
- सामाजिक समावेशन:** यूबीआई द्वारा पर पड़ी आबादी को वित्तीय सहायता प्रदान करके सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है, जिससे उन्हें समाज में अधिक पूर्ण रूप से भाग लेने में मदद मिलती है।
- प्रति-चक्रीय प्रभाव:** यूबीआई की बिना शर्त प्रकृति इसे प्रति-चक्रीय बनाती है, जो आर्थिक मंदी के दौरान स्वचालित रूप से विस्तारित होती है, जो नौकरी छूटने या आर्थिक कठिनाई का सामना करने वालों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करती है।
- मानवीय गरिमा:** यूबीआई प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक मूल्य को पहचानता है, उन्हें गरिमा और आत्मनिर्णय का जीवन जीने के साधन प्रदान करता है। यह प्राप्तकर्ताओं को अपनी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप विकल्प देने का अधिकार देता है।

भारत में UBI को लागू करने का आर्थिक प्रभाव और चुनौतियाँ:

- लागत और राजकोषीय स्थिरता:** यूबीआई को लागू करना महंगा है और इसके लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, संभावित रूप से उच्च करों, खर्च में कटौती या बढ़े हुए कर्ज की आवश्यकता होती है। इससे मुद्रारक्षित भी हो सकती है और आर्थिक विकास में बाधा आ सकती है।
- 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक भारतीय के लिए प्रति वर्ष 7,620 यूबीआई की लागत सकल घेरेलू उत्पाद का लगभग 4.9% होगी।
- विकृत प्रोत्साहन:** यूबीआई कार्य प्रेरणा और उत्पादकता को कम कर सकता है, जिससे निर्भरता की संरक्षित पैदा हो सकती है। यह कौशल विकास और प्रशिक्षण को छोटास्ताहित कर सकता है, क्योंकि कुछ लोग आय-उत्पादक अवसरों का पीछा किए बिना बुनियादी आय का विकल्प चुन सकते हैं।
- मुद्रारक्षित का ढाबा:** एक निश्चित आय का व्यापक वितरण वस्तुओं और सेवाओं के लिए कीमतों को बढ़ा सकता है, क्योंकि व्यवसाय बाजार में अतिरिक्त आय को पकड़ने के लिए मूल्य निर्धारण रणनीतियों को समायोजित करते हैं।
- निर्भरता की संभावना:** यूबीआई में सरकारी सहायता पर निर्भरता को बढ़ावा देने का जोखिम है, जो संभावित रूप से आत्मसंतुष्टि और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए कम प्रेरणा की ओर ले जाता है।
- कार्यान्वयन चुनौतियाँ:** भारत को सार्वजनिक सेवा वितरण में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पहचान, लक्ष्यीकरण,

INDIA'S TRYST WITH INCOME SUPPORT



UBI ACROSS THE WORLD

US Alaska Permanent Fund	Distributes part of the state's oil revenues to all residents on per-capita basis
Kenya 	Largest experiment underway with some villages receiving \$0.50-1 a day
France 	Senate committee has recommended an experiment
UK & Germany 	Studies have been conducted
Scotland 	Committed funds to conduct an experiment
Barcelona, British Columbia 	Plans to start experiments
Switzerland 	Plan to give everyone right to basic income defeated in 2016



TOI FOR MORE INFOGRAPHICS DOWNLOAD TIMES OF INDIA APP

Available on Google Play Store

निगरानी और जवाबदेही शामिल है। अष्टावार, तीक और बहिष्करण त्रुटियों को रोकने के लिए यूबीआई को विश्वसनीय डेटा, प्रौद्योगिकी और मजबूत संस्थानों की आवश्यकता है।

7. अपूर्ण सार्वभौमिक आधार नामांकन लाभार्थी की पहचान और लक्षित सेवा वितरण को जटिल बनाता है।

गरीबी उन्मूलन के दृष्टिकोण के रूप में सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) के विकल्प:

विकल्प	विवरण
1. लक्षित नकद धनांतरण कार्यक्रम	विशिष्ट कमज़ोर समूहों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि प्रत्यक्ष लाभ धनांतरण (डीबीटी) के तहत एलपीजी सब्सिडी।
2. रोजगार गारंटी योजनाओं का विस्तार	मनरेगा जैसी योजनाओं में सुधार करें, जो ग्रामीण परिवारों को गारंटीकृत रोजगार और बढ़ी हुई आय प्रदान करती हैं।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूत करना	कम आय वाले परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी वाले खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सुधार करें।
4. कौशल विकास में निवेश करना	कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वंचितों की रोजगार क्षमता बढ़ाएं।
5. माइक्रोफाइंस और माइक्रोक्रेडिट को बढ़ावा देना	आय उत्पन्न करने के लिए विशेष रूप से महिलाओं को लक्षित करके माइक्रोलोन के माध्यम से छोटे व्यवसायों का समर्थन करें (उदाहरण के लिए, कुदुम्बश्री और जीविका जैसे एसएचजी)।

निष्कर्ष

- इनमें से प्रत्येक विकल्प को भारत में विशिष्ट गरीबी चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार किया जा सकता है। क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर इन विकल्पों का संयोजन गरीबी उन्मूलन के लिए अधिक व्यापक और प्रभावी रूप से विकसित किया जाना चाहिए।

सरकार नैनो-उर्वरक को बढ़ावा दे रही है

पर्यावरण: कृषि

संदर्भ:

- भारत सरकार नैनो डीएपी को विशेष रूप से पंजाब की रबी सीजन की फसलों के लिए आयातित दानेदार रूप डाइ-अमोनियम फॉर्मेट (डीएपी) के लिए एक लागत प्रभावी, स्वदेशी विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है।

नैनो डीएपी क्या है?

- यह सरता और परिवर्धन में आसान है, 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत एक एकड़ को कवर करने के लिए 600 रुपये है, जबकि दानेदार डीएपी की कीमत 1,350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग है। इसकी विशेषताएँ यह हैं कि यह वैज्ञानिकों ने नैनो डीएपी का उपयोग करने पर गेहूं की कम पैदावार की रिपोर्ट करते हुए विंता जताई है। इसको, जिसने नैनो डीएपी (तरल रूप में) विकसित किया है, इस्तमाल परिणामों के लिए दानेदार डीएपी के साथ इसका उपयोग करने की सलाह देता है।


नैनो-उर्वरक क्या हैं?

- नैनो-उर्वरक पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए नैनो तकनीक का उपयोग करके बनाए गए उन्नत उर्वरक हैं। इनमें नैनो आकार के कणों में पोषक तत्व होते हैं, जो पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में बेहतर अवशोषण, कुशल उपयोग और कम पर्यावरणीय प्रभाव की अनुमति देते हैं।
- उदाहरण: नैनो-उर्वरकों के कुछ उदाहरणों में नाइट्रोजन, फार्मोरेशन और पोटेशियम के नैनोकण शामिल हैं, साथ ही इन पोषक तत्वों का लोडा या जरता जैसे अन्य तत्वों के साथ संयोजन भी शामिल है।

नैनो-उर्वरकों के लाभ:

श्रेणी नैनो-उर्वरकों के लाभ

- किसानों के लिए इनपुट लागत में कमी: नैनो डीएपी की 500 एमएल की बोतल की कीमत लगभग 600 रुपये है, जो 50 किलोग्राम के डीएपी बैग (1,350-1,400 रुपये) की आधी कीमत है।
- अधिक फसल उपज: नैनो उर्वरकों से उपज में 8% की वृद्धि होती है, बेहतर पोषण के माध्यम से फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है (इफ्को)।
- किसानों की आय में वृद्धि: कम लागत और अधिक उपज से बेहतर आय होती है।
- पर्यावरण के लिए बेहतर पोषक तत्व उपयोग दक्षता (एनर्ड्यू): 85% से अधिक दक्षता, नैनो आकार के कणों के कारण पौधे नाइट्रोजन को बेहतर तरीके से अवशोषित करते हैं।
- कम पर्यावरणीय परिणाम: मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण को कम करता है, उर्वरक के उपयोग में 50% की कटौती करता है और पोषक तत्वों की बर्बादी को कम करता है।
- सरकार के लिए कम सब्सिडी: गैर-यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी में कटौती करके लागत बचत को बढ़ावा देता है।
- आयात में कमी: नैनो यूरिया उत्पादन का उद्देश्य वित्त वर्ष 25 तक 20 मिलियन टन यूरिया के बराबर उत्पादन की योजना के साथ यूरिया आयात पर निर्भरता को कम करना है।



नैनो उर्वरकों के कार्यान्वयन से जुड़ी वर्तमान सीमाएँ और चुनौतियाँ:

- पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं: नैनो यूरिया केवल शीर्ष ड्रेसिंग को प्रतिस्थापित करता है, बेसल अनुप्रयोग को नहीं, जिससे दक्षता लाभ सीमित हो जाता है।
- वार्षिक उपज संबंधी चिंताएँ: अनुमानित उपज वृद्धि 3-16% है, लेकिन वार्षिक लाभ कम होने से आय लाभ कम हो सकता है।
- लागत संबंधी मुद्दे: नैनो यूरिया में सबिसडी समर्थन का अभाव है, जिससे पारंपरिक यूरिया की तुलना में इसकी कीमत पर सवाल उठते हैं।
- संभावित विषाक्तता: नैनो कण मिट्टी के जीवों को नुकसान पहुँचा सकते हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।
- अनिश्चित दीर्घकालिक प्रभाव: मिट्टी के स्वास्थ्य, सूक्ष्मजीव गतिविधि और संभावित जल संदूषण पर प्रभाव अरपष्ट बने हुए हैं।
- नैनो-उर्वरकों को शामिल करने के लिए किसानों को अपनी प्रथाओं में महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत और सीखने की अवस्थाएँ हो सकती हैं।

निष्कर्ष:

- जबकि नैनो-उर्वरक कृषि की स्थिरता और उत्पादकता में सुधार के लिए रोमांचक संभावनाएँ प्रदान करते हैं, उनके कार्यान्वयन में अभी भी कई सीमाएँ और चुनौतियाँ हैं जिन्हें उनकी क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए संबोधित किया जाना चाहिए।

GEOIAS
— It's about quality —

सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार उपयोग (आईएआईएम): युद्ध में एआई का जिम्मेदार उपयोग

पाठ्यक्रम: भारतीय सुरक्षा

संदर्भ:

- सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग (आईएआईएम) पर दूसरा शिखर सम्मेलन (पहला 2023 में आयोजित किया गया था) सियोल में शुरू हुआ, जिसमें सैन्य एआई उपयोग के लिए वैज्ञानिक मानदंड निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- भारत देख रहा है तोकिन साक्रिय रूप से भान नहीं ले रहा है, जबकि अमेरिका और चीन अधिक संलब्ध हैं।

उद्देश्य:

- शिखर सम्मेलन का उद्देश्य युद्ध में एआई के निहितार्थों को संबोधित करना है, जिसमें स्वायत छवियार्थों से लेकर व्यापक सैन्य अनुप्रयोगों तक की चर्चाएँ शामिल हैं। अमेरिका ने राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के माध्यम से जिम्मेदार एआई उपयोग को बढ़ावा दिया है, जबकि चीन विनियमों को आकार देने में साक्रिय रहा है।
- भारत पर निष्क्रिय रूख से आगे बढ़ने और वैज्ञानिक एआई मानदंडों को साक्रिय रूप से आकार देने का दबाव है।

REAIM क्या है?

- REAIM (सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार उपयोग) एक वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन है जो सैन्य शेटिंग्स में एआई के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग के लिए मानदंड और दिशानिर्देश स्थापित करने पर केंद्रित है। इसमें युद्ध में AI के निहितार्थों को संबोधित करने और इसके सुरक्षित और नैतिक अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने वाले मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, प्रौद्योगिकी फर्मों और नागरिक समाज के बीच चर्चा शामिल है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य AI के सैन्य उपयोग को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों और प्रथाओं को आकार देना है।

युद्ध में AI के जिम्मेदार उपयोग के सिद्धांत:

- मानव नियंत्रण: महत्वपूर्ण निर्णयों पर मानव नियंत्रण सुनिश्चित करें, विशेष रूप से जीवन और मृत्यु से जुड़े निर्णय।
- जवाबदेही: AI द्वारा संचालित कार्यों और निर्णयों के परिणामों के लिए संरक्षणों को जवाबदेह ठहराएँ।
- पारदर्शिता: AI सिस्टम में पारदर्शिता बनाए रखें ताकि उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझा जा सके।
- सुरक्षा और संरक्षा: अनपेक्षित परिणामों को रोकने और दुरुपयोग से बचाव के लिए सुरक्षा को प्राथमिकता दें।
- नैतिक मानक: AI अनुप्रयोगों में नैतिक मानदंडों और मानवीय कानूनों का पालन करें।
- सटीकता और विश्वसनीयता: सुनिश्चित करें कि AI सिस्टम अपने कामकाज में सटीक और विश्वसनीय हैं।
- डेटा गोपनीयता: डेटा गोपनीयता की रक्षा करें और AI सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी का जिम्मेदाराना संचालन सुनिश्चित करें।

विभिन्न देश युद्ध में AI का उपयोग कैसे कर रहे हैं, उदाहरणों के साथ:

देश	युद्ध में एआई का उपयोग	उदाहरण
अमेरिका	निगरानी और ठोकी	खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी के लिए एआई-संचालित ड्रोन।
चीन	खुफिया युद्ध	साइबर संचालन में एआई और सैन्य रणनीतियों के लिए पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण।
रूस	स्वायत छवियार	रोबोट सिस्टम और एआई-संचालित लड़ाकू वाहनों का विकास।
इंडिया	मिसाइल रक्षा प्रणाली	आने वाले खतरों को रोकने और बेअसर करने के लिए आयरन डोम में एआई।
यूके	डेटा विश्लेषण और साइबर रक्षा	खतरे का पता लगाने और प्रतिक्रिया के लिए बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने के लिए एआई।
भारत	सीमा निगरानी और सुरक्षा	सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा के लिए निगरानी प्रणाली में एआई।

जिम्मेदार AI नैतिक सिद्धांतों के साथ संरेखित होता है:

रणनीति	विवरण
नैतिक दिशा-निर्देश	सुनिश्चित करें कि डेवलपर्स साझा नैतिक मानकों का पालन करें और AI डिज़ाइन में नैतिकता पर विचार करें।
उत्तरदायित्व तंत्र	AI प्रभावों के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी, दायित्व और रिपोर्टिंग सिस्टम स्थापित करें।
पारदर्शिता	पक्षपात को शोकने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए AI निर्णय लेने की प्रक्रिया और डेटा उपयोग को स्पष्ट करें।
गोपनीयता संरक्षण	व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा के लिए अनाम डेटा का उपयोग करें, सहमति प्राप्त करें और डेटा सुरक्षा नीतियों को लागू करें।
विविध छितधारक	AI विकास में विविध आवश्यकताओं और विंताओं को संबोधित करने के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि से व्यक्तियों को शामिल करें।
नियमित नैतिक ऑडिट	AI सिस्टम नैतिक सिद्धांतों का पालन करने और सुधार क्षेत्रों की पहचान करने के लिए नियमित ऑडिट करें।



10

सामाजिक विज्ञान

पश्चिम बंगाल का अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024

स्रोत: IE

संदर्भ:

- पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बलात्कार के लिए मृत्युदंड की शुरुआत करते हुए 'अपराजिता' विधेयक पारित किया है।

अपराजिता विधेयक के मुख्य प्रावधान:

श्रेणी	प्रावधान
बीएनएस के प्रावधान संशोधित	<ul style="list-style-type: none">अधिकतम सजा: बलात्कार की गंभीर परिस्थितियों के लिए "या मृत्यु" को जोड़ा गया है।मृत्युदंड: बलात्कार के मामलों में मृत्यु या स्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में जाने के लिए अनिवार्य।सामूहिक बलात्कार: 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मृत्युदंड की शुरुआत की गई है।बार-बार अपराध करने वालों के लिए: आजीवन कारावास की साधारण सजा की जगह आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।पीड़ित की पहचान का खुलासा: बलात्कार पीड़ितों की पहचान का खुलासा करने और अदालती कार्यवाही को प्रकाशित करने के लिए जेल की अवधि बढ़ाई गई है।एसिड अटैक: छलकी सजा को हटाकर आजीवन कारावास की सजा अनिवार्य की गई है।
POCSO अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किया गया	<ul style="list-style-type: none">यौन उत्पीड़न: मृत्युदंड की शुरुआत की गई है, जहां पहले उच्चतम सजा आजीवन कारावास थी।
BNSS के प्रावधानों में संशोधन किया गया	<ul style="list-style-type: none">जांच का समय: जांच का समय दो महीने से घटाकर 21 दिन किया गया (यदि आवश्यक हो तो 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है)।परीक्षण का समय: आरोप पत्र के बाट परीक्षण पूरा करने के लिए समय को दो महीने से घटाकर 30 दिन किया गया है।
कार्य बल, विशेष न्यायालय	<ul style="list-style-type: none">विशेष कार्य बल: बलात्कार के मामलों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष अपराजिता कार्य बल की स्थापना की गई है।विशेष न्यायालय: बलात्कार के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे और विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाएगी।

राज्य बलात्कार कानूनों की तुलना: पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र

1. पश्चिम बंगाल - अपराजिता विधेयक:

- बलात्कार के परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में जाने पर अनिवार्य मृत्युदंड की शुरुआत की गई।
- कठोर दंड के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन करता है और त्वरित सुनवाई के लिए विशेष कार्य बल और न्यायालय स्थापित करता है।

2. आंध्र प्रदेश - दिशा विधेयक:

- सामूहिक बलात्कार और बार-बार अपराध करने वालों सहित बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करता है।
- जांच और सुनवाई की समयसीमा को कम करने के साथ विशेष पुलिस दल और विशेष विशेष न्यायालय बनाता है।

3. महाराष्ट्र - शक्ति विधेयक:

- जगन्न एसिड हमलों सहित गंभीर मामलों के लिए मृत्युदंड को लागू करता है।
- आपराधिक जांच में वेब प्लेटफॉर्म के लिए सख्त डेटा-शेयरिंग आवश्यकताएं निर्धारित करता है।

महिलाओं पर यौन हमलों को रोकने के लिए राज्य कानून लागू करने में कठिनाइयाँ:

- पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद अपराजिता विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति का इंतजार है।

राष्ट्रपति की सहमति क्यों महत्वपूर्ण है?

- मिठू बनाम पंजाब राज्य (1983) में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनिवार्य मृत्युदंड अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, और एक "अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनुचित प्रक्रिया" का गठन करता है जो व्यक्तियों को उनके जीवन से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित कर सकता है।

भारत में बलात्कार क्यों व्यापक है?

कारण	विवरण
लौंगिक असमानता	गहरी जड़ें जमाए हुए लौंगिक असमानता और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण महिलाओं को वस्तु के रूप में देखते हैं और उन्हें अपने अधीन रखते हैं, जिससे ऐसा माहौल बनता है जहाँ यौन हिंसा पनप सकती है।
सामाजिक मानदंड और दृष्टिकोण	पीड़ितों को दोषी ठहराने और "महिलाओं के सम्मान" की अवधारणा जैसे प्रतिगामी मानदंड और दृष्टिकोण चुप्पी और कलंक की संस्कृति को बनाए रखते हैं, जिससे पीड़ित रिपोर्ट करने और न्याय मांगने से कतराते हैं।
जागरूकता की कमी	लौंगिक समानता, सहमति और यौन अधिकारों के बारे में सीमित जागरूकता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, यौन हिंसा को रोकने और संबोधित करने के प्रयासों में बाधा डालती है व्यापक यौन शिक्षा और जागरूकता अभियान की आवश्यकता है।
अपर्याप्त कानून प्रवर्तन	कानून प्रवर्तन और आपराधिक न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार, लापरवाही और असंवेदनशीलता बलात्कार के मामलों की प्रभावी जाँच, अभियोजन और दोषसिद्धि में बाधा डालती है।
धीमी न्यायिक प्रक्रियाएँ	तंबी और जटिल कानूनी प्रक्रियाएँ, साथ ही मामलों का एक लंबित समूह, न्याय में देशी का कारण बनता है और पीड़ितों को कानूनी कार्रवाई करने से छोतोंसाहित करता है। फारट-ट्रैक कोर्ट इस मुद्दे को हल करने में मदद कर सकते हैं।
सामाजिक कलंक और पीड़ित को दोषी ठहराना	पीड़ितों को सामाजिक कलंक, दोष और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें और अधिक आघात पहुँचा सकता है और रिपोर्ट करने से छोतोंसाहित कर सकता है। इन दृष्टिकोणों को संबोधित करना और सहायता देवाएँ प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

- अपराजिता महिला और बाल विधेयक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति पश्चिम बंगाल के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जिसमें कड़े दंड की शुरुआत की गई है। जबकि समर्थक इसे न्याय और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं, आतोंवक मौजूदा कानूनों को देखते हुए इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाते हैं। इस विधेयक के अपराध रिपोर्टिंग, कानून प्रवर्तन और याजनीतिक जवाबदेही पर व्यापक बहस को भी जन्म दिया है।

It's about quality

पिलबॉक्स

संदर्भ:

- विशाखापत्तनम में मानसून के मौसम ने समुद्र तट के कटाव का कारण बना है, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के ऐतिहासिक पिलबॉक्स सामने आए हैं, जो लंबे समय से रेत के नीचे ढंगे हुए था। ये संरचनाएं युद्ध के दौरान शहर की रणनीतिक समुद्री रक्षा विरासत की एक झलक पेश करती हैं।



पिलबॉक्स क्या हैं?

- परिभाषा: पिलबॉक्स द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली छोटी, कंक्रीट की रक्षा संरचनाएं हैं, जो हथियारों को चलाने के लिए खामियों से सुरक्षित हैं।
- डिज़ाइन: 20वीं सदी की शुरुआत में दवा के कंटेनरों ("पिलबॉक्स") के नाम पर उनके कॉम्पैक्ट, गोलाकार डिज़ाइन के कारण।

संरचना:

- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित: शहर के नौसैनिक अड्डे और गढ़े बंदरगाह की सुरक्षा के लिए विशाखापत्तनम में अंग्रेजों द्वारा निर्मित।
- रणनीतिक स्थान: एविसस बलों द्वारा संभावित आक्रमणों, विशेष रूप से जापानी पनडुब्बियों और तिमानों के खतरों से बचाव के लिए समुद्र तट के साथ स्थित हैं।

उपयोग:

- रक्षा: दुश्मन के हमलों से सुरक्षित रहते हुए सैनिकों को ठिकार चलाने में सक्षम बनाया।
- तटीय सुरक्षा: विशाखापत्तनम के तटों और बंदरगाह की रक्षा करने वाले एक बड़े रक्षा नेटवर्क के हिस्से के रूप में कार्य किया।
- विरासत: ये पिलबॉक्स द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे के रूप में विशाखापत्तनम की भूमिका के अवधेष्य हैं।

पूसा-2090

संदर्भ:

- IARI की उच्च उपज वाली चावल की किस्म पूसा-44, दशकों से पंजाब और हरियाणा में व्यापक रूप से उगाई जाती रही है। हालाँकि, इसकी लंबी परिपक्वता अवधि ने पराली जलाने में योगदान दिया है, जिससे उत्तरी भारत में गंभीर वायु प्रदूषण होता है। इसे कम करने के लिए, IARI ने पूसा-2090 को पेश किया, जो समान उपज वाली एक नई किस्म है, लेकिन कम परिपक्वता अवधि है, जिसका उद्देश्य पूसा-44 से जुड़े पर्यावरणीय और रसद मुद्दों को कम करना है।

पूसा किस्म 2090:

- द्वारा विकसित: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), नई दिल्ली
- आनुवंशिक विशेषताएँ: पूसा-44 और CB-501 के बीच एक संकर, एक जल्दी पकने वाली जपोनिका चावल लाइन। इसमें पूसा-44 की उच्च पैदावार और सीबी-501 की कम अवधि का मिश्रण है।

पूसा-2090 और पूसा-44 की तुलना:

विशेषता	पूसा-2090	पूसा-44
परिपक्वता समय	120-125 दिन	155-160 दिन
उपज	34-35 विवर्टल प्रति एकड़	35-36 विवर्टल प्रति एकड़

पराली जलाना	कम उगने की आवधि के कारण कम संभावना	देर से कटाई और गेहूं की बुवाई के लिए समय के दबाव के कारण आम
पानी की आवश्यकता	5-6 कम सिंचाई की आवश्यकता होती है	29-30 सिंचाई की आवश्यकता होती है
फसल चक्रण के लिए उपयुक्तता	जल्दी कटाई के कारण अत्यधिक उपयुक्त	सीमित उपयुक्तता, क्योंकि देर से कटाई के कारण अनली फसल में देरी होती है

पूर्णा-2090 का महत्व:

- पर्यावरणीय प्रभाव: पराली जलाने की आवश्यकता को कम करता है, जो उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण में एक प्रमुख योगदानकर्ता है।
- कुशल जल उपयोग: कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिससे यह पंजाब और हरियाणा जैसे जल-कमी वाले क्षेत्रों में अधिक जल-कुशल फसल बन जाती है।
- उच्च उत्पादकता: किसान समय पर गेहूं की बुवाई या अन्य फसलों के लिए खेतों को पहले ही साफ कर सकते हैं, जिससे कृषि चक्र को कुशलतापूर्वक बनाए रखा जा सकता है।
- स्थिरता: पूर्णा-2090 प्रदूषण, जल उपयोग और फसल चक्रण से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करके पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है।

न्यूट्रिनो फॉग

संदर्भ:

- LUX-ZEPLIN (LZ) प्रयोग, वैश्विक स्तर पर कार्ड डार्क मैटर का पता लगाने के प्रयासों में से एक है, जिसने हाल ही में अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट की, जिसने डार्क मैटर कणों की संभावित पहचान पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं।

न्यूट्रिनो फॉग के बारे में:

- "न्यूट्रिनो फॉग" डार्क मैटर का पता लगाने में न्यूट्रिनो - सूर्य और ब्रह्मांडीय घटनाओं द्वारा उत्पादित भूतिया कणों - के कारण होने वाले हरस्तक्षेप को संदर्भित करता है। चूंकि न्यूट्रिनो शायद ही कभी पदार्थ के साथ बातचीत करते हैं, इसलिए वे डार्क मैटर डिटेक्टरों सहित लगभग हर चीज से गुजरते हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है:

- LUX-ZEPLIN जैसे डार्क मैटर डिटेक्शन प्रयोग तेजी से संवेदनशील होते जा रहे हैं, लेकिन वे न्यूट्रिनो का भी पता लगाते हैं। इससे "धुंध" या पृथक्भूमि शोर पैदा होता है, जिससे न्यूट्रिनो और डार्क मैटर सिनल के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है।

महत्व:

- पता लगाने में चुनौती: न्यूट्रिनो डार्क मैटर से अपेक्षित कमज़ोर सिनल की नकल करते हैं, जिससे परिणाम असित करने वाले होते हैं।
- संवेदनशीलता की सीमाएँ: न्यूट्रिनो फॉग भविष्य के डार्क मैटर प्रयोगों की संवेदनशीलता की सीमा तय करता है।
- वैज्ञानिक निहितार्थ: डार्क मैटर से न्यूट्रिनो सिनल को अलग करने के तरीके विकसित करना अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

ब्रह्मोस एयरोस्पेस

संदर्भ:

It's about quality

- सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करने वाले भारत-रूस के संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने तकनीकी, प्रशासनिक और सुरक्षा भूमिकाओं में पूर्व अनिवार्यों के लिए कम से कम 15% रिट्रियों के आरक्षण की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु:

- ब्रह्मोस एयरोस्पेस पहल: तकनीकी और प्रशासनिक भूमिकाओं में 15% रिट्रियों और प्रशासनिक और सुरक्षा भूमिकाओं में 50% अनिवार्यों के लिए आरक्षित।
- उद्योग भागीदारों को प्रोत्साहित करना: ब्रह्मोस 200 से अधिक उद्योग भागीदारों को अपने कार्यबल का 15% अनिवार्यों के लिए आरक्षित करने के लिए प्रेरित कर रहा है।
- अग्रिमपथ योजना: जून 2022 में युवाओं को चार साल के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती करने के लिए शुरू की गई, जिसमें 25% को 15 और वर्षों के लिए बनाए रखा जाएगा।

UPSC पान्यक्रम में प्रासंगिकता:

- जीएस2: शासन - कौशल विकास पहल, सरकारी नीतियाँ - अग्रिमपथ योजना, और सार्वजनिक सेवा - पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर।
- जीएस3: रक्षा और सुरक्षा - रक्षा उद्योगों की भूमिका और पूर्व सैनिकों का कार्यबल में एकीकरण, धरेल रक्षा विनिर्माण के लिए औद्योगिक नीति समर्थन।

उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन

संदर्भ:

- भारत की उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तैयार है, जिसका वितरण इस वित्तीय वर्ष से शुरू होगा। इस पहल का उद्देश्य भारत के कपड़ा निर्यात में ठहराव को दूर करना, प्रतिरप्थकता को बढ़ाना और इस क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

सारांश:

- वस्त्रों के लिए पीएलआई: इस वर्ष मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) और तकनीकी वस्त्रों के लिए योजना के तहत लगभग एक दर्जन कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- निर्यात में ठहराव: भारत का कपड़ा निर्यात 35 बिलियन डॉलर पर रिश्ता है, जबकि विद्युतनाम और बांलादेश जैसे प्रतिरप्थी व्यापार समझौतों के माध्यम से बाजार छिर्खेदारी ठासित कर रहे हैं।
- रोजगार सृजन लक्ष्य: सरकार का लक्ष्य 2030 तक कपड़ा क्षेत्र में 4.5 से 6 करोड़ रोजगार सृजित करना है, जबकि इस क्षेत्र के बाजार का आकार 350 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है।

पीएलआई योजना के बारे में:

- उत्पत्ति: घेरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ाने के लिए 2021 में लॉन्च किया गया।
- यह कैसे काम करता है: घेरेलू रूप से निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री के आधार पर प्रदर्शन-संबंधी प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- कवर किए गए क्षेत्र: इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे 13 क्षेत्र शामिल हैं।
- बजट: 1.97 लाख करोड़ रुपये (\$28 बिलियन)।

DRDO डीप टेक्नोलॉजी पहल


संदर्भ:

- अंतिम बजट में घोषित परिवर्तनकारी संभावित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ के कोष से समर्थित, डीआरडीओ अपनी तरह की पहली पहल शुरू करने के लिए तैयार है जो सैन्य उपयोग के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों की दिशा में अपने अनुसंधान कार्यक्रम को नया रूप देगी।
- महत्व: डीआरडीओ पाँच उच्च-मूल्य वाली डीप टेक परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहा है, जिसमें प्रति परियोजना ₹50 करोड़ तक आवंटित किए गए हैं, जो स्वदेशीकरण और आयात पर निर्भरता को कम करने पर केंद्रित है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य वर्वांटम, ब्लॉकचेन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देना है, जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर दीर्घकालिक प्रभाव होगा।
- वैश्विक प्रेरणा: यह कार्यक्रम यू.एस. DARPA जैसी वैश्विक पहलों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भविष्य की और विद्युतकारी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से रक्षा क्षमताओं में क्रांति लाना है।
- परियोजना वित्तपोषण और सहयोग: प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF) सैन्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अनुसंधान और विकास के लिए MSMEs और स्टार्ट-अप को शामिल करता है। वित्तपोषण पाँच किस्तों में दिया जाएगा, जिसमें पहली किस्त 20% तक सीमित होगी, जो एक एकीकृत विशेषज्ञ टीम द्वारा परियोजना मूल्यांकन पर आधारित होगी।

गैडे

संदर्भ:

- विश्व गैंडा दिवस 2024 पर, दुनिया की पाँच गैंडे प्रजातियों की स्थिति मिशित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
- अफ्रीका में, काले और सफेद दोनों गैंडों वाली गैंडों की आबादी, लगातार शिकार के बावजूद, 2023 के अंत तक लगभग 23,885 तक बढ़ गई।
- हालांकि, गंभीर रूप से लुप्तप्राय काले गैंडों की आबादी में 1% की मामूली गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में अवैध शिकार है।
- एशिया में, स्थिति और भी भयावह है। शिकारियों द्वारा प्रजनन करने वाले नर गैंडों को निशाना बनाने के बाद जातन गैंडों की आबादी में 33% की गिरावट आई, और केवल 76 व्यक्ति ही बचे।
- सुमात्रा गैंडों की आबादी बहुत कम बनी हुई है, जहाँ केवल 34-47 व्यक्ति ही बचे हैं।



बायो-राइड योजना

संदर्भ:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड) योजना को मंजूरी दी, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग की दो मौजूदा योजनाओं का विलय किया गया।
- बायो-राइड का उद्देश्य नवाचार, जैव-उद्यमिता और टिकाऊ जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

बायो-राइड के मुख्य घटक:

- जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) – सिंथेटिक जीव विज्ञान और जैव ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान का समर्थन करता है।
- औद्योगिक और उद्यमिता विकास (आईएंडईडी) – वित्त पोषण, उष्मायन और सलाह के माध्यम से जैव-उद्यमिता को बढ़ावा देता है।
- बायोमैन्युफैचरिंग और बायोफार्मी – रक्वास्थ शेवा, कृषि और जलवायु चुनौतियों का समाधान करने के लिए टिकाऊ प्रथाओं और परिपत्र जैव अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह योजना उद्योग-अकादमिक सहयोग को प्रोत्साहित करती है, अनुसंधान के लिए बाधा तित पोषण का समर्थन करती है, और इसका उद्देश्य भारत को जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनाना है, जो 2030 तक 300 बिलियन डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में योगदान देता है।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन

संदर्भ:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विस्तारित गगनयान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएस-1) के विकास को मंजूरी दी है, जो भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है।

CABINET APPROVED

Bio-RIDE Scheme

Budget:
Rs 9197 crore
(2021-22 to 2025-26)

Purpose: Support advanced biotech R&D

COMPONENTS

- Biotechnology Research and Development (R&D)
- Industrial & Entrepreneurship Development (I&ED)
- Biomanufacturing and Biofoundry

Objectives: Promote bio-entrepreneurship, innovation, industry-academia collaboration, sustainable biomanufacturing, research funding, and human resource development

Source: GoI



- इस योजना में डिसंबर 2028 तक आठ मिशन पूरे करने की बात है, जिसमें मानव रहित मिशन भी शामिल हैं, जबकि BAS-1 के 2035 तक चालू होने की उम्मीद है।
- इसके अतिरिक्त, यह निर्णय 2040 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन के लिए आधार तैयार करता है।

गुरुव्य बातें:

- गणनयान कार्यक्रम में अब आठ मिशन शामिल हैं।
- BAS-1 माइक्रोबैटिटी-आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में अवसर पैदा होंगे।
- इससे लंबी अवधि के मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के साथ सहयोग करते हुए प्रयासों का जेतृत्व करेगा।
- कैबिनेट ने चंद्रयान-4 मिशन और वीनस ऑर्बिटर मिशन को भी मंजूरी दी।

सारांगढ़ी की लड़ाई

संदर्भ:

- 12 सितंबर को मनाया जाने वाला सारांगढ़ी दिवस, 1897 की सारांगढ़ी की लड़ाई की याद में मनाया जाता है, जो सैन्य इतिहास में सबसे उल्लेखनीय अंतिम लड़ाइयों में से एक है।
- सारांगढ़ी उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (अब पाकिस्तान में) में फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण संचार चौकी थी।


सारांगढ़ी की लड़ाई के बारे में:

- इस दिन, छवलदार ईश्वर सिंह के नेतृत्व में 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सैनिकों ने सात घंटे तक 8,000 से अधिक अफरीदी और ओरकर्जई आदिवासी आतंकवादियों के खिलाफ किले का बचाव किया।
- सैनिकों की बहादुरी को मरणोपरांत सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसमें रानी विकटोरिया द्वारा दिया जाने वाला इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट भी शामिल है।
- 2017 में, पंजाब सरकार ने सारांगढ़ी दिवस को अवकाश घोषित किया।
- तब से इस लड़ाई को विभिन्न तरीकों से अमर किया गया है, जिसमें स्मारक, एक फिल्म (केसरी) और भारत और पाकिस्तान दोनों में रमरण कार्यक्रम शामिल हैं।

मिनी-मून

संदर्भ:

- पृथ्वी 2024 PT5 नामक एक छोटे क्षुद्रग्रह को अस्थायी रूप से पकड़ लेगी, जो अंतरिक्ष में वापस जाने से पहले दो महीने तक रहेगा।
- यह घटना, जिसे "मिनी-मून" के रूप में जाना जाता है, तब होती है जब क्षुद्रग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंस जाते हैं और थोड़े समय के लिए ग्रह की परिक्रमा करते हैं।
- हालांकि दुर्लभ, ऐसी घटनाएँ वैज्ञानिकों को पृथ्वी के निकट की वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करती हैं।
- नासा के क्षुद्रग्रह स्थलीय-प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली (ATLAS) द्वारा खोजा गया 2024 PT5 लगभग 33 फीट लंबा है और अर्जुन क्षुद्रग्रह बैल्ट से आया है।
- हालांकि, यह पूरी तरह से मिनी-मून के रूप में योन्या नहीं हो सकता है क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा पूरी नहीं करेगा, बल्कि एक घोड़े की नाल के आकार के पथ का अनुसरण करेगा।
- यह घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 PT5 जैसे क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने से शोधकर्ताओं को पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले क्षुद्रग्रहों की प्रकृति को समझने में मदद मिलती है, जो संभावित रूप से भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण और संसाधन निष्कर्षण प्रयासों को सूचित करता है।



भास्कर

संदर्भ:

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) भारकर (भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री) लॉन्च करने जा रहा है, जो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन और बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत, भास्कर संसाधनों को केंद्रीकृत करेगा और स्टार्टअप, निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं और स्रकारी निकायों के बीच सहयोग को सुव्यवस्थित करेगा।

- प्रमुख विशेषताओं में हितधारकों के लिए व्यक्तिगत आईडी, नेटवर्किंग और सहयोग के अवसर, संसाधनों तक केंद्रीकृत पहुँच और अवसरों की बेहतर खोज शामिल हैं।
- प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देकर और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करके भारत को नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- भारकर से नवाचार, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक उद्यमिता में एक नेता के रूप में भारत की प्रतिष्ठा मजबूत होगी।

एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस

संदर्भ:

- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के लिए "एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस" लॉन्च किया है, जो समुद्री ऊर्जा संसाधनों की विशाल क्षमता को उजागर करता है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अनावरण किया गया, एटलस सौर, पवर, लहरें, ज्वार, महासागर धाराओं और तापीय धाल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से समृद्ध क्षेत्रों की पहचान करता है।
- यह वेबजीआईएस इंटरफ़ेस के माध्यम से वार्षिक, मासिक और दैनिक ऊर्जा अनुमान प्रदान करता है।

PM ई-ड्राइव योजना

संदर्भ:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनोवेटिव ब्लीकल एन्डांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति को मंजूरी दे दी है।
- यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- भारी उद्योग मंत्रालय इस योजना को लागू करेगा, खरीदारों और निर्माताओं दोनों को एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से सबिस्डी प्रदान करेगा।
- सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों को 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान की जाएगी, जिसमें नौ प्रमुख शहरों में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) द्वारा मांग एकत्रीकरण का प्रबंधन किया जाएगा।
- इस योजना में फास्ट चार्जर, इलेक्ट्रिक ट्रक और EV परीक्षण एजेंसियों के आधुनिकीकरण के लिए निधि भी शामिल है।

Cabinet Decision: 11th September, 2024

PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE)

Cabinet approves PM E-DRIVE Scheme' for promotion of electric mobility in the country with outlay of Rs 10,900 crore for 2 years

Components of the scheme:

- Subsidies/Demand incentives worth Rs.3,679 crore to incentivize e-2Ws, e-3Ws, e-ambulances, e-trucks and other emerging EVs
- E-vouchers for EV buyers to avail demand incentives under the scheme
- Allocation of Rs.500 crore for the deployment of e-ambulances
- Provision of Rs.4,391 crore for procurement of 14,028 e-buses by STUs/public transport agencies

मिशन मौसम

संदर्भ:

- मिशन मौसम, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत ₹2,000 करोड़ की पहल का उद्देश्य 2026 तक भारत की मौसम और जलवायु पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाना है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) की अनुवाई में, मिशन भारत को "मौसम के लिए तैयार" और "जलवायु स्मार्ट" बनाने का प्रयास करता है, जिससे जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं के खिलाफ लचीतापन बेहतर होता है।


मिशन मौसम के बारे में:

- मुख्य उद्देश्यों में उन्नत मौसम निगरानी तकनीक विकसित करना, वायुमंडलीय अवलोकन में सुधार करना और उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर और AI/ML विधियों का उपयोग करके भविष्यवाणी क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है।
- मिशन 50 डॉपलर मौसम रडार, अतिरिक्त अवलोकन स्टेशन और अनुसंधान सुविधाओं का एक नेटवर्क स्थापित करेगा।
- यह नागरिकों और क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने के लिए अंतिम-मील डेटा प्रसार और क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
- MoES के तहत तीन संस्थान- IMD, NCMRWF और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान- अन्य MoES निकायों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से समर्थन के साथ मिशन का नेतृत्व करेंगे।
- यह पहल मौसम पूर्वानुमान और वायु गुणवत्ता डेटा में महत्वपूर्ण प्रगति का वादा करती है, जिससे अधिक सटीक और समय पर योगाएँ सुनिश्चित होती हैं।

भारत ग्राफीन इंजीनियरिंग और नवाचार केंद्र (IGEIC) का शुभारंभ

संदर्भ:

- इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने ग्राफीन ऑरोया प्रोग्राम (GAP) के तहत इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर (IGEIC) लॉन्च किया, जिसे 2023 में ग्राफीन प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
- केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित, IGEIC एक गैर-लाभकारी संस्था है जिसका उद्देश्य R&D और व्यावसायीकरण के बीच की खाई को पाटना है, स्टार्टअप और उद्योग को सहायता प्रदान करना है। यह केरल में भारत के पहले ग्राफीन केंद्र, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन (IICG) के लॉन्च के बाद है।



विवाद समाधान योजना (e-DRS)

संदर्भ:

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मुकदमेबाजी को कम करने और पात्र करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए ई-विवाद समाधान योजना (e-DRS) 2022 शुरू की है।
- इस योजना के तहत, करदाता 18 केंद्रीय अधिकार क्षेत्रों में विवाद समाधान समितियों (DRC) के साथ विवाद समाधान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन दाखिल कर सकते हैं।
- पात्रता: करदाता ई-डीआरएस का उपयोग उन निर्दिष्ट आदेशों से जुड़े विवादों के लिए कर सकते हैं, जहाँ कुल भिन्नताएँ ₹10 लाख से कम हैं और रिटर्न की गई आय ₹50 लाख से कम है, जिसमें खोजों या कुछ समझौतों पर आधारित मामले शामिल नहीं हैं।
- डीआरसी प्रक्रियाएँ: डीआरसी आदेशों को संशोधित कर सकते हैं, दंड को कम या माफ कर सकते हैं, और आवेदन स्वीकार किए जाने वाले महीने के अंत से छह महीने के भीतर निर्णय जारी करना चाहिए।
- दाखिल करने की प्रक्रिया: आवेदन फॉर्म नंबर 34BC का उपयोग करके आयकर विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाने हैं।

प्रोजेक्ट नमन


संदर्भ:

- भारतीय सेना ने स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली के इर्द-गिर्द केंद्रित रक्षा पेंशनभोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया।
- इस परियोजना का उद्देश्य पेंशन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और पूरे भारत में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आवश्यक सेवाएँ प्रदान करना है।
- एचडीएफसी बैंक द्वारा समर्थित और दिग्गजों या उनके परिवारों द्वारा प्रबंधित ये केंद्र स्पर्श-सक्षम पेंशन सेवाएं, ई-गवर्नेंस और बैंकिंग समाधान प्रदान करते हैं, जो दिग्गज कल्याण और सामुदायिक सशक्तीकरण के लिए सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।



केंद्रीय बजट 2024-25


केंद्रीय बजट 2024-25 कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के विकास और वृद्धि के लिए एक व्यापक शोडगेंपै तैयार करता है, जिसमें आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी गई है। बजट चार प्रमुख समूहों पर केंद्रित है: गरीब, महिलाएं, युवा और अननदाता। केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के आर्थिक विकास के लिए एक आशाजनक मार्ग तैयार करता है, जिसमें विनिर्माण, सेवाओं और डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर जोर दिया गया है।



बजट 2024-25 की मैग्नो-इकोनॉमिक हाइलाइट्स क्या हैं?

- वर्ष 2024-25 के लिए उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाजार उधार क्रमशः 14.01 लाख करोड़ रुपये और 11.63 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। दोनों 2023-24 में इससे कम होंगे।
- शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।


Receipts




- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय- कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- राजकोषीय धाटा- राजकोषीय धाटा सकल धेरेतू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। मुद्रासंकीति लक्ष्य- भारत की मुद्रासंकीति कम, स्थिर बनी हुई है और 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। मुख्य मुद्रासंकीति (गैर-खाद्य, गैर-ईंधन) वर्तमान में 3.1 प्रतिशत है।
- भारत की वृद्धि मजबूत पथ पर भारत की आर्थिक वृद्धि एक शानदार अपवाह बनी हुई है और आने वाले वर्षों में भी ऐसा ही रहेगा।

Expenditure

Revenue Expenditure



Effective Capital Expenditure



- बजट 2024-25 में विकसित भारत की प्राप्ति के लिए 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्र और संबंधित नीति घोषणाएँ क्या हैं?

प्राथमिकता 1: कृषि में उत्पादकता और लचीलापन

- कृषि अनुसंधान का रूपांतरण- उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किसी के विकास पर ध्यान केंद्रित करना। निजी क्षेत्र सहित चुनौती मोड में कृषि अनुसंधान के लिए वित्त पोषण का प्रावधान।
- नई किसी का विमोचन- किसानों द्वारा खेती के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु अनुकूल किसी का विमोचन।
- प्राकृतिक खेती- अगले दो वर्षों में प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती में देश भर के 1 करोड़ किसानों की शुरुआत।
- दलहन और तिलहन के लिए मिशन- सरसों, मूँगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने के लिए एक मिशन का शुभारंभ।
- कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)- 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि के कवरेज के लिए कृषि में DPI का उपयोग 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीनों का ब्योरा किसान और जमीन रजिस्ट्री में लाया जाएगा। 5 राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में सक्षम बनाना।
- झींगा उत्पादन और निर्यात- झींगा ब्रूडस्टॉक्स के लिए न्यूट्रिलियस ब्रीडिंग सेंटरों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता। नाबार्ड के माध्यम से झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वित्त की सुविधा।
- राष्ट्रीय सहयोग नीति- सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करना।

प्राथमिकता 2- योजनाएँ और कौशल

- योजनाएँ से जुड़ा प्रोत्साहन- प्रधानमंत्री पैकेज के छिस्ये के रूप में 'योजनाएँ शुरू की जाएंगी।
 - योजना a: पहली बार काम करने वाले- यह योजना सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को एक महीने का वेतन प्रदान करने के लिए शुरू की जानी है 15,000। पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी। इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
 - योजना b: विनिर्माण क्षेत्र में योजनार सूजन- योजनार के पहले 4 वर्षों में उनके ईपीएफओ अंशदान के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे निर्टिष्ठ पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना से योजनार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
 - योजना c: नियोक्ताओं को सहायता- यह नियोक्ता-केंद्रित योजना सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त योजनार को कवर करेगी। 1 लाख रुपये प्रति माह के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त योजनार निजे जाएंगे। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ अंशदान

के लिए नियोन्काओं को 2 साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की उम्मीद है।

- b. कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी- उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना और क्रेच की स्थापना के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी की सुविधा।
- c. कौशल कार्यक्रम- 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की जाएगी। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को छब्बी और रुपोक व्यवस्था में परिणामोन्मुखता के साथ उन्नत किया जाएगा।
- d. कौशल ऋण- मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा ताकि सरकार द्वारा प्रवर्तित कोष से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा दी जा सकें। इस उपाय से छात्रों को मढ़द मिलने की उम्मीद है।
- e. शिक्षा ऋण - घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता। इस उद्देश्य के लिए ₹-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे दिए जाएंगे, जिससे ऋण राशि के 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट मिलेगी।

प्राथमिकता 3: समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

- a. संतृप्ति ट्रिटिकोण- विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी पात्र लोगों को कवर करने के लिए संतृप्ति ट्रिटिकोण अपनाया जाएगा।
- b. पूर्वोदय- बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय नामक एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों के सृजन को शामिल किया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का इंजन बनाया जा सके।
- c. बिहार से संबंधित घोषणाएं- नया मैं औद्योगिक नोड, कनेक्टिविटी परियोजनाएं, जैसे (1) पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, (2) बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, (3) बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा स्पर्स, और (4) बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2-लोन पुल, कुल 26,000 करोड़ रुपये की लागत।
- d. आंध्र प्रदेश से संबंधित घोषणाएं- आंध्र प्रदेश पुनर्जन अधिनियम के प्रावधानों के प्रति ठड़ प्रतिबद्धता की पुनरावृत्ति। चालू वित वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी, अधिष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि दी जाएगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना का वितपोषण और श्रीम पूरा होना और गयलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान।
- e. पीएम आवास योजना- देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त घर।
- f. महिला-नेतृत्व विकास- महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं और महिला-नेतृत्व विकास को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन।
- g. प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान- इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज अपनाकर आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इसमें 63,000 गांवों को शामिल किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा।
- h. पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक शाखाएं- बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोर्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।

प्राथमिकता 4: विनिर्माण और सेवाएं

- a. एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सहायता- बजट के छिस्से के रूप में निम्नलिखित पहलों की घोषणा की गई है- विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए बिना किसी संपार्श्वक या तीसरे पक्ष की गारंटी के ऋण गारंटी योजना।
- b. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एमएसएमई को ऋण के लिए अपने इन-ड्राइस ऋण मूल्यांकन मॉडल का निर्माण करेंगे।
- c. सरकार द्वारा प्रवर्तित निधि से गारंटी के माध्यम से तनाव अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता।
- d. तरण श्रेणी के तहत ऋण चुकाने वाले एमएसएमई उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया।
- e. टीआरडीएस प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए खरीदारों की टर्नओवर सीमा को 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये किया गया।
- f. एमएसएमई तलरुटरों में सिडबी शाखाओं की स्थापना।
- g. खाद्य विकिरण, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए 50 एमएसएमई इकाइयों की स्थापना।
- h. शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप- 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना। 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कंपनियां अपने सीईसआर फंड से प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत का 10 प्रतिशत वहन करेंगी।
- i. औद्योगिक पार्क- 100 शहरों में या उसके आसपास पूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश के लिए तैयार ‘प्लन एंड प्लॉ’ औद्योगिक पार्कों का विकास। गतियारा विकास कार्यक्रम के तहत बारह औद्योगिक पार्कों को मंजूरी।
- j. किराये के आवास- औद्योगिक शमिकों के लिए छात्रावास प्रकार के आवास के साथ किराये के आवास को वीजीएफ समर्थन और प्रमुख उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ पीपीपी मोड में सुगम बनाया जाएगा।
- k. महत्वपूर्ण खनिज मिशन- घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्वर्कण और महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन का शुभारंभ।

- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग- उत्पादकता लाभ, व्यावसायिक अवसरों और निजी क्षेत्र द्वारा नवाचार के लिए जनसंख्या रुटर पर डीपीआई अनुप्रयोगों का उपयोग। इनकी योजना क्रेडिट, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और न्याय, तॉजिस्टिक्स, एमएसएमई, सेवा वितरण और शहरी शासन में बनाई गई है।
- ऋण वसूली और IBC- ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में सुधार और उन्हें मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अतिरिक्त न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे। उनमें से कुछ को विशेष रूप से कंपनी अधिनियम के तहत मामलों का फैसला करने के लिए अधिसूचित किया जाएगा।
- एलएलपी का खैरिटिक समापन- एलएलपी के खैरिटिक समापन के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेटेड कॉरपोरेट एंजिट (सी-पीएसीई) की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। ताकि समापन समय कम हो सके।

प्राथमिकता 5- शहरी विकास

- विकास केन्द्र के रूप में शहर और शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास- इन दोनों पहलों की प्राप्ति के लिए नीतियाँ बनाई जाएँगी।
- पारगमन उन्मुख विकास- 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए पारगमन उन्मुख विकास योजनाएं बनाई जाएँगी।
- शहरी आवास- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत ₹ 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में ₹ 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- जल आपूर्ति और खवचता- राज्य सरकारों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ साझेदारी में बैंक योज्य परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देना।
- स्ट्रीट मार्केट- चुनिंदा शहरों में 100 सासाहिक 'हाट' या स्ट्रीट फूड हब का विकास।
- स्टांप ड्यूटी- राज्यों को महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क को और कम करने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्राथमिकता 6- ऊर्जा सुरक्षा

- परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र के सहयोग से पहल की शुरूआत- भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना और भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर का अनुसंधान एवं विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई तकनीकें।
- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, ताकि छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा सकें, ताकि 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके।
- पंप स्टोरेज नीति- बिजली भंडारण के लिए पंप स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नीति लाई जाएगी।
- एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट- एनटीपीसी और बीएर्वाइएल के बीच एक संयुक्त उद्यम, एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट (एयूएससी) तकनीक का उपयोग करके 800 मेगावाट का पूर्ण पैमाने का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करेगा।
- 'कठिन कमी' वाले उद्योगों के लिए रोडमैप- इन उद्योगों को वर्तमान 'प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार' मोड से 'भारतीय कार्बन बाजार' मोड में बदलने के लिए उचित नियम लागू किए जाएंगे।
- पारंपरिक सूक्ष्म और लघु उद्योगों को समर्थन- पीतल और सिरेमिक साइट 60 वलस्टरों में पारंपरिक सूक्ष्म और लघु उद्योगों का निवेश-ब्रेड ऊर्जा ऑडिट किया जाएगा। अगले चरण में इस योजना को अन्य 100 वलस्टरों में ढोहराया जाएगा।

प्राथमिकता 7- बुनियादी ढांचा

- बुनियादी ढांचा प्रावधान- पूँजीगत व्यय के लिए बुनियादी ढांचे (जीडीपी का 3.4%) के लिए ₹11,11,111 करोड़ का प्रावधान संसाधन आवंटन का समर्थन करने के लिए राज्यों को ठीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹1.5 लाख करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क क योजना (PMGSY)- 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए PMGSY का चरण IV शुरू किया जाएगा, जो उनकी जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए पात्र हो गए हैं।
- सिंचाई और बाढ़ शमन- कोसी-मेती अंतर-राज्यीय लिंक और 20 अन्य चल रही और नई योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए ₹11,500 करोड़ का वित्तीय समर्थन।
- पर्यटन- सफल काशी विष्णवानथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपुर मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के व्यापक विकास के लिए समर्थन।

प्राथमिकता 8- नवाचार, अनुसंधान और विकास

- अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान निधि- बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान निधि का संचालन।

- b. निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान- ₹। लाख करोड़ के वित्तीय पूल के साथ वाणिज्यिक पैमाने पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार।
- c. अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था- अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ₹1,000 करोड़ का उदाम पूँजी कोष स्थापित किया जाएगा।

प्राथमिकता 9- अगली पीढ़ी के सुधार

- a. आर्थिक नीति ढांचा- उत्पादन के कारकों की उत्पादकता में सुधार के लिए एक आर्थिक नीति ढांचा तैयार करना। बाजारों और क्षेत्रों को और अधिक कुशल बनाने में महत्व करना।
- b. ग्रामीण और शहरी भूमि संबंधी कार्य- ग्रामीण और शहरी भूमि मानवित्रण के लिए प्रयास किए जाएंगे, जैसे
- सभी भूमि के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संरच्छा या भू-आधार का असाइनमेंट, शहरी भूमि के कैडस्ट्रॉल मानचित्रों और जीआईएस मानवित्रण का डिजिटलीकरण, भूमि रजिस्ट्री की स्थापना और किसानों की रजिस्ट्री से लिंकेज।
- c. एनपीएस वात्सल्य- यह नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान के लिए एक निवेश योजना है। वयस्क होने पर, योजना को सहजता से सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है।
- d. व्यापार करने में आसानी- 'व्यापार करने में आसानी' को बढ़ाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 का मसौदा तैयार करना। राज्यों को उनके व्यापार सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- e. जलवायु वित के लिए कर्णीकरण- जलवायु अनुकूलन और शमन संबंधी निवेशों के लिए पूँजी की उपलब्धता में वृद्धि।
- f. नई पैशान योजना (NPS)- आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए नई पैशान योजना (NPS) में प्रासंगिक मुद्रों को छूट करने के लिए एक समाधान विकसित किया जाना है।

बजट 2024-25 में कर संबंधी न्या घोषणाएँ की गई हैं?

अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

- a. जीएसटी कर ढांचे का युक्तिकरण- जीएसटी के लाभों को कई गुना बढ़ाने के लिए जीएसटी कर ढांचे को और सरल और युक्तिसंगत बनाया जाएगा।
- b. क्षेत्र विशेष सीमा शुल्क प्रस्ताव- व्यापार में आसानी, शुल्क व्युत्क्रमण को छाने और विवादों को कम करने के लिए सीमा शुल्क दर संरचना की व्यापक समीक्षा की जाएगी।

करस्टम ड्यूटी में बदलाव	लाभार्थी/लाभ
कैंसर की 3 और दवाओं को करस्टम ड्यूटी से पूरी छूट	सरकारी दवाइयाँ
मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और चार्जर पर बेसिक करस्टम ड्यूटी (बीसीडी) घटाकर 15% किया गया	मोबाइल उद्योग
सोने और चांदी पर करस्टम ड्यूटी घटाकर 6% और प्लॉटिनम पर 6.4% किया गया	घरेलू मूल्य संवर्धन
झींगा और मछली के चारे पर बीसीडी घटाकर 5% किया गया	समुद्री निर्यात
सौर सेल और पैनल के निर्माण के लिए और अधिक पूँजीगत वस्तुओं को छूट	ऊर्जा संक्रमण
25 महत्वपूर्ण खनिजों पर करस्टम ड्यूटी से पूरी छूट	रणनीतिक क्षेत्रों को बढ़ावा

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

- a. आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा- दान, टीडीएस का सरलीकरण। इससे अनुपालन बोझ कम होगा, उदामशीलता की भावना को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को कर राहत मिलेगी।
- b. पूँजी कर का युक्तिकरण-

 - a. अल्पावधि पूँजी लाभ कर- वित्तीय परिसंपत्तियों के अल्पावधि लाभ पर 20% कर दर लगेगी।
 - b. दीर्घावधि पूँजी लाभ कर- सभी वित्तीय और-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घावधि लाभ पर 12.5% कर दर लगेगी।
 - c. छूट सीमा में वृद्धि- वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूँजी लाभ में छूट सीमा बढ़ाकर ₹1.25 लाख प्रति वर्ष की गई।

- एंजेल टैक्स का उन्मूलन- सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स समाप्त किया गया।
- विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कमी- विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% की गई।

व्यक्तिगत आयकर

- a. वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कर्टौटी ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 की गई।
- b. पैशानभोगियों के लिए पारिवारिक पैशान पर कर्टौटी ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 की गई।

नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में संशोधन

0-3 लाख रुपए	शून्य
3-7 लाख रुपए	5 प्रतिशत
7-10 लाख रुपए	10 प्रतिशत
10-12 लाख रुपए	15 प्रतिशत
12-15 लाख रुपए	20 प्रतिशत
15 लाख रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

बजट 2024-25 के सकारात्मक पहलू क्या हैं?

- युवाओं की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करना- पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इसके अलावा ₹2,000 करोड़ के परिव्यय के साथ इंटर्नशिप को प्रोत्साहित किया गया है और राज्य सरकार के सहयोग से कौशल विकास पर जोर दिया गया है (मॉडल कौशल ऋण योजना)। बजट 2024-25 में उठाए गए ये कदम युवाओं की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करते हैं, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 द्वारा अनुशंसित किया गया है।
- MSME के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए ठोस प्रयास- बजट 2024-25 में उठाए गए कदम जैसे क्रेडिट गारंटी योजना, नया मूल्यांकन मॉडल, तनाव अवधि के दौरान क्रेडिट सहायता, एमएसएमई के सामने आने वाली वित्तीय और कार्यशील पूँजी चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास हैं।
- वेतनभोगी वर्ग के लिए कर राहत- बजट 2024-25 में मानक कटौती बढ़ा दी गई है और कर रत्नैक को उनकी प्रासंगिक कर दरों के साथ संशोधित किया गया है। इससे वेतनभोगी वर्ग के छातीं में करों के बाट थोड़ा और पैसा बचेगा। पेशनभोगियों को पारिवारिक पेशन पर दी जाने वाली कटौती में ₹10,000 की मामूली वृद्धि का भी लाभ मिलेगा।
- राजकोषीय समेकन योजना पर कायम रहना- 2024-25 का बजट सरकार के राजकोषीय समेकन पथ पर कायम है, जिसमें राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.9% तक कम करने का प्रस्ताव है। इससे घरेलू बॉन्ड की सॉर्वेन रेटिंग में सुधार की संभावना बढ़ जाती है, जो वैश्विक बॉन्ड सूत्रकांकों में शामिल होने की पहली यात्रा पर निकल पड़े हैं। बजट में राजकोषीय स्थिरता और सतत विकास आवेदनों की विरंतरता पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित किया गया है।
- अन्नदाता (किसानों) को समर्थन- दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, कृषि अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना (जलवायु परिवर्तन की वार्ताविकताओं को ध्यान में रखते हुए), सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर वलस्टर, और किसानों और उनकी भूमि के कवरेज के लिए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), ये सभी अन्नदाता (यानी किसान) को समर्थन देने के संभावित उपाय हैं। एक संपन्न कृषि क्षेत्र सरकार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत खाद्यान्न के अपने वाटे को पूरा करने की अनुमति देगा, जिसे अब पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
- सभी के लिए आवास की ओर कदम- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)- शहरी और ग्रामीण के लिए परिव्यय में क्रमशः 37% और 70% की भारी उछाल देखी गई है। बजट ने पुष्टि की है कि सभी के लिए आवास सरकार की प्रमुख पहचान बनी हुई है।
- आत्मनिर्भर भारत के लिए पीएतआई योजना को बढ़ावा- वित वर्ष 2025 के बजट में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएतआई) पर परिव्यय में 75% की वृद्धि की गई क्षेत्रीय सीमा शुल्क में बदलाव के साथ यह वृद्धि घरेलू विनिर्माण को समर्थन देने और स्थानीय मूल्य संवर्धन को गहरा करने का एक प्रयास है।

बजट 2024-25 को लेकर क्या चिंताएँ हैं?

- सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में कटौती- बजट में सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के परिव्यय में कटौती की गई है जिसमें रक्तूल और उच्च शिक्षा शामिल हैं। ग्रामीण योजनाएँ गारंटी योजना- मनरेगा के लिए परिव्यय कुल परिव्यय का 1.78% है जो नौ साल के निचले स्तर पर है।
- अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं में कमी- बजट में मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजनाओं के बजट में 2024-25 में ₹10 करोड़ से ₹2 करोड़ की कटौती की गई है।
- इंडेक्सेशन को हटाना- दीर्घकालिक परिसंपत्ति (रियल एस्टेट) के मूल्य की गणना के लिए इंडेक्सेशन को हटाने को रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलरों के लिए अतिरिक्त कर बोझ के रूप में देखा जा रहा है।
- भारतीय रेलवे पर कोई घोषणा नहीं- देश का सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेलवे विता मंत्री के बजट भाषण में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित था। रेलवे क्षेत्र पर कोई घोषणा नहीं की गई जो कम माल और यात्री क्षमता, कम कर्मचारियों और जनशक्ति और सुरक्षा मुद्दों से जूँड़ा रहा है।
- एमएसएमई की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के बारे में कोई घोषणा नहीं- बजट जीएसटी व्यवस्था के सरलीकरण और युक्तिकरण के लिए एमएसएमई की मांगों को संबोधित करने में विफल रहा है।
- राजकोषीय समेकन के प्रति जुनून- कुछ आलोचकों का मानना है कि राजकोषीय समेकन के प्रति सरकार का जुनून, जो अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे को 5.1% से घटाकर 2024-25 में जीडीपी के 4.9% पर लाने के उसके प्रयास में दिखाई देता है, सरकारी खर्च को बढ़ावा देने की ओर नियोक्ता नियोगी नियांत्रण में मंटी और इसके परिणामस्वरूप नौकरियों के संकट से निपटने के लिए स्पष्ट आर्थिक रणनीति और विजय का अभाव है। योगित किए गए उपाय, जैसे कि योजनाएँ से जुड़े प्रोत्साहन, सार्वकाम विनियोग और वित्तीय सुधारों के लिए बहुत छोटे लगते हैं।

1- ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति

- 2024-25 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,80,233 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से 1,77,566 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास विभाग के लिए हैं, जो 2023-24 के संशोधित अनुमानों से 4% की वृद्धि दर्शाता है।
- भूमि संसाधन विभाग को 2,667 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 41% की वृद्धि है।
- 2021 तक, भारत की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिसमें 47% कृषि पर निर्भर है।
- 2023-24 में, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मुद्रास्फीति का अनुभव हुआ, जो मुख्य रूप से खाद्य कीमतों से प्रेरित था। जुलाई 2023 में, ग्रामीण मुद्रास्फीति 7.63% थी, जबकि शहरी मुद्रास्फीति 7.2% थी। अप्रैल 2024 तक, ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी क्षेत्रों में 4.11% की तुलना में 5.42% पर अधिक रही।
- बढ़ी हुई मुद्रास्फीति के कारण वार्षिक ग्रामीण मज़दूरी में नकारात्मक वृद्धि हुई, और 2013-14 और 2023-24 के बीच, कृषि क्षेत्र में 4% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई, जो समग्र अर्थव्यवस्था के 6% से कम है।
- 2017-18 से 2022-23 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) 25% से बढ़कर 42% हो गई, जो मुख्य रूप से स्व-रोज़गार द्वारा संचालित है।
- 2022-23 तक, ग्रामीण कामकाजी महिलाओं में से 71% स्व-रोज़गार में थीं, जिनमें से 43% पारिवारिक उद्यमों में अवैतनिक सहायक के रूप में काम कर रही थीं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर 2017-18 में 4% से घटकर 2022-23 में 2% हो गई, जबकि पुरुषों के लिए यह 6% से घटकर 3% हो गई। इन सुधारों के बावजूद, श्रम बल भागीदारी और आय में एक मध्यपूर्ण लिंग अंतर बना हुआ है, खासकर स्व-नियोजित ग्रामीण श्रमिकों के बीच।
- ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार, आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कार्यक्रम चलाता है।
- विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार नारंटी योजना (MGNREGS), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) शामिल हैं।
- 2014-15 से 2024-25 तक, इसका बजट 9% की वार्षिक औसत दर से बढ़ा महामारी (2020-21 से 2022-23) के दौरान, विशेष रूप से मनरेगा और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि की गई।
- विभाग को कुल आवंटन, मनरेगा (48%) और पीएमएवाई-जी (31%) मिलकर बजटीय आवंटन का लगभग 80% हिस्सा है।
- इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (8%) और पीएमजीएसवाई (7%), और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी, 5%) का स्थान आता है।

Figure 1: Rural and urban CPI inflation rate between March 2023 and April 2024




Figure 2: Growth in agriculture relative to overall economic growth (growth rate year-on-year)





Figure 5: Top expenditure heads (as a % of total allocation)



2- ग्रामीण विकास के लिए योजनाएँ

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य असंबद्ध ग्रामीण बसितयों को सभी मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करना है।

प्रत्यक्ष मानदंड:

- मैदानी क्षेत्रों में 500+ और उत्तर-पूर्वी, हिमालयी, रेगिस्तानी और जनजातीय क्षेत्रों में 250+ की आबादी वाली बसितयाँ (2001 की जनगणना के अनुसार)।
- “बिना संपर्क वाली बसितयाँ” किसी भी गाँव को संदर्भित करती हैं जो सभी मौसम वाली सड़क से कम से कम 500 मीटर (या पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 किमी) की दूरी पर स्थित है।
- कोर नेटवर्क: कम से कम एक सभी मौसम वाली सड़क के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सड़कों का एक परिभाषित समूह।
- वित्त पोषण पैटर्न: केंद्र सरकार उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए परियोजना लागत का 90% और अन्य राज्यों के लिए 60% वित्त पोषित करती है, जिसमें स्वीकृत परियोजना मूल्यों के आधार पर आवंटन निर्धारित किया जाता है।
- निर्माण मानक: पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है, जो 1934 में स्थापित राजमार्ग इंजीनियरों का एक प्रमुख निकाय है।

PMGSY चरण:

- चरण I (2000): एक पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना जिसका लक्ष्य 1,35,436 बसितयों को सड़क से जोड़ना और खेत से बाजार तक बेहतर संपर्क के लिए 3.68 लाख किलोमीटर मौजूदा ग्रामीण सड़कों को उन्नत करना है।
- चरण II (2013): दक्षता में सुधार के लिए ग्रामीण सड़क नेटवर्क के 50,000 किलोमीटर को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। लागत केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच साझा की गई।
- वामपंथी उत्तराधि प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWEA) भी इन क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 2016 में शुरू की गई थी।
- चरण III (2019): जुलाई 2019 में स्वीकृत, यह चरण ग्रामीण कृषि बाजारों (GrAMs), उत्तराधि माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों के आसपास बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देता है। इसका लक्ष्य 2019-20 से 2024-25 तक 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को समेकित करना है।
- भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी): 1934 में स्थापित, आईआरसी भारत में सड़क निर्माण के लिए मानक निर्धारित करता है, राष्ट्रीय सड़क नीतियों को प्रभावित करता है और सतत सड़क विकास की वकालत करता है। यह देश के सड़क बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए सरकारी निकायों, निजी हितधारकों और शिक्षाविदों के साथ जुड़ता है।
- योजना की प्रगति: अब तक, स्वीकृत 8.25 लाख किलोमीटर में से 7 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें पूरी हो चुकी हैं, जिसमें कुल 2,70,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। 1,61,561 बसितयों को सभी मौसम की कठोरिटिविटी प्रदान की गई है।
- चरण IV (2024-25): केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित चरण IV में 19,000 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ 25,000 अतिरिक्त गांवों को जोड़ा जाएगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना (एमजीएनआईजीएस)


- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना (MGNREGS) के लिए 2024-25 के लिए बजट आवंटन 86,000 करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित बना हुआ है, जो 2023 में भी था।
- विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मौजूदा खर्च के रुचान को देखते हुए अक्टूबर 2024 तक आवंटित धनराशि समाप्त हो सकती है।
- 23 जुलाई, 2024 तक MGNREGS पर वास्तविक व्यय 37,761 करोड़ रुपये बताया गया है, जिसमें लंबित बकाया राशि को मिलाकर कुल व्यय 41,519 करोड़ रुपये हो गया है।
- वित्तीय वर्ष के कुछ महीनों के भीतर ही बजट का लगभग 44% हिस्सा खर्च हो चुका है।

राज्य उपयोग:

- देश के 1% से भी कम गरीबों के साथ तमिलनाडु में कुल MGNREGS निधि का लगभग 15% हिस्सा है।
- केरल, जहाँ गरीब आबादी का केवल 0.1% हिस्सा है, ने लगभग 4% निधियों का उपयोग किया।
- उत्तर प्रदेश और बिहार, जहाँ गरीब आबादी का 45% हिस्सा है, ने केवल 11% निधियों का उपयोग किया।
- सहसंबंध गुणांक: बहुआयामी गरीबी सूचकांक और MGNREGS के माध्यम से उत्पन्न व्यक्ति-दिनों के बीच सहसंबंध गुणांक केवल 0.3 है, जो गरीबी के स्तर और योजनार मृजन के बीच कमज़ोर सेरेखण का सुझाव देता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):

- PMAY-G का उद्देश्य: वंचितों को किफायती आवास प्रदान करना, 2016 में इसके शुभारंभ के बाद से 2.95 करोड़ ग्रामीण घरों के निर्माण का लक्ष्य है। जुलाई 2024 तक, लगभग 2.94 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है।
- इकाई लागत में वृद्धि: 2024-25 से, PMAY-G के तहत इकाई लागत मैटानी क्षेत्रों में 1.2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये और पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्रों और एकीकृत कार्य योजना (IAP) जितों में 1.3 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.2 लाख रुपये कर दी जाएगी।
- लक्ष्य और आवंटन: इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त 3 करोड़ घर बनाना है, जिनमें से 2 करोड़ PMAY-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत गांवों में बनाए जाएंगे और इसके लिए 54,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।



जल जीवन मिशन (JJM) - ग्रामीण:

उद्देश्य:

- सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और रखचंडा में सुधार करना।
- आवंटन: 69,926.65 करोड़ रुपये।
- जेजेएम के बारे में: 2019 में शुरू किए गए इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक छर ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराना है।
- उपलब्धियां: 2024 तक, जेजेएम ने 15 करोड़ ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन दिए हैं, जो 2019 में 3 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ हो गया है। आठ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% कवरेज हासिल कर लिया है, जिसमें बिहार, उत्तराखण्ड, लाहाल और नागालैंड जैसे राज्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।



ग्रामीण भूमि सुधार:

- उद्देश्य: भूमि प्रबंधन में सुधार करके और विभिन्न सुधारों के माध्यम से ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाकर कृषि उत्पादकता को बढ़ाना।

सुधार:

It's about quality

- अंटिलोय भूमि पार्सल पहचान संख्या (भू-आधार) की शुरूआत।
- कैडस्ट्रॉल मानचित्रों का डिजिटलीकरण।
- वर्तमान स्वामित्व के आधार पर मानचित्र उपतिभागों का सर्वेक्षण।
- भूमि रजिस्ट्री का निर्माण।
- भूमि अभिलेखों को किसानों की रजिस्ट्री से जोड़ना।

3- जनजातीय विकास के लिए योजनाएँ


- केंद्रीय बजट 2024 में जनजातीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलों की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर, शिक्षा और आर्थिक अवसरों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएम जुगा) का शुभारंभ:

- 63,000 गांवों में जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से एक नई योजना, जो जनजातीय-बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी जितों में संतुलित कवरेज पर ध्यान केंद्रित करती है।
- इस योजना से आवश्यक सेवाओं और सामाजिक-आर्थिक अवसरों तक पहुँच बढ़ाकर लगभग 5 करोड़ जनजातीय व्यक्तियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

जनजातीय योजनाओं के लिए बजट आवंटन:

- एकत्रित आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): आवंटन: 6,399 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2023-24 से 456 करोड़ रुपये की वृद्धि।
- उद्देश्य: अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, जवाहर नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों के बराबर स्कूल बनाए जाएंगे। पाठ्यक्रम स्थानीय कला, संस्कृति, खेल और कौशल विकास पर भी केंद्रित हैं।



एसटी छात्रों के लिए मैट्रिकोर छात्रवृत्ति:

- आवंटन: 2,432.68 करोड़ रुपये, 1,970.77 करोड़ रुपये से वृद्धि।
- उद्देश्य: एसटी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन करना।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम):

- आदिवासी उद्यमिता, आजीविका के अवसरों और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाली इस पहल के बजट में 136.17 करोड़ रुपये की कटौती की गई है।

पीएम दक्ष योजना:

- आवंटन: 92.47 करोड़ रुपये से बढ़कर 130 करोड़ रुपये किया गया।
- उद्देश्य: बेहतर आजीविका के अवसरों के लिए एससी और एसटी समुदायों के व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

एससी छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना:

- आवंटन: 50 करोड़ रुपये से बढ़कर 95 करोड़ रुपये।
- उद्देश्य: विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले एससी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाना।

नमस्ते योजना:

- आवंटन: 116.94 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 23 में 97.41 करोड़ रुपये से बढ़कर।
- उद्देश्य: 2022 में शुरू की गई यह योजना मैनुअल स्कैपेंजर्स के पुनर्वास के लिए रखरोजगार योजना (SRMS) की जगह लेती है और शहरी क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और मशीनीकृत सफाई पर ध्यान केंद्रित करती है।

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन):

- वित्त वर्ष 2024 में 25 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ जारी रहेगा।
- उद्देश्य: विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को आवास, स्वच्छ जल, स्वच्छता और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना।

4- बजट 2024-25 में महिला विकास के लिए योजनाएँ

- केंद्रीय बजट 2024-25 ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के प्रति भारतीय सरकार की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है।
- महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन के साथ, बजट का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना है।

बजट आवंटन में वृद्धि

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का बजट वित्त वर्ष 23-24 में 25,449 करोड़ रुपये से 3% बढ़कर वित्त वर्ष 24-25 में 26,092 करोड़ रुपये हो गया है।
- यह वृद्धि देश के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति सरकार की मान्यता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के बजट में 32% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 9,853 करोड़ रुपये से बढ़कर 13,000 करोड़ रुपये हो गया है। ये आवंटन विभिन्न महिला-केंद्रित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं।

मिशन शक्ति: एक प्रमुख पहल

- मिशन शक्ति महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक व्यापक पहल है, जिसमें दो प्रमुख घटक शामिल हैं: संबल और सामर्थ्य।
- संबल: यह घटक महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा पर केंद्रित है। संबल के लिए बजट आवंटन वित वर्ष 23-24 में 462 करोड़ रुपये से बढ़कर वित वर्ष 24-25 में 629 करोड़ रुपये हो गया है। बढ़ी हुई फंडिंग महिलाओं को हिंसा से बचाने और सार्वजनिक और निजी ठोनों जगहों पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को बढ़ावा देगी।
- सामर्थ्य: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित इस घटक के लिए आवंटन 1,864 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,517 करोड़ रुपये हो गया है। बढ़ी हुई फंडिंग शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक अवसरों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की जाने वाली पहलों का समर्थन करेगी, जिससे कार्यबल में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।



कामकाजी महिला छात्रावास और क्रेच

- कामकाजी महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। ये छात्रावास सुरक्षित और सुविधाजनक रहने की व्यवस्था प्रदान करेंगे, जिससे महिलाएं अपनी सुरक्षा से समझौता किए बिना अपने करियर को आगे बढ़ा सकेंगी।
- इसके अतिरिक्त, क्रेच के निर्माण का उद्देश्य विश्वसनीय चाइल्डकैरियर सेवाएँ प्रदान करके कामकाजी माताओं का समर्थन करना है। यह पहल कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उद्योग और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना आसान हो जाएगा।

कौशल कार्यक्रम और बाजार तक पहुंच

- सरकार महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी करने की योजना बना रही है। ये कार्यक्रम महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में सफल होने और उनके उद्यमशीलता उपकरणों का समर्थन करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- साथ ही, बजट में महिलाओं के नेतृत्व वाले खर्चों सहायता समूह (SHG) उदामों के लिए बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाया है। महिलाओं को व्यवसाय में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन प्रदान करके, सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

नमो ड्रोन दीवी:

- किसानों को कियाये की सेवाएँ देने के लिए 15,000 खर्चों सहायता समूहों (SHG) को ड्रोन प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
- स्टाम्प ड्यूटी सुधार: महिलाओं द्वारा खारीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी शुल्क कम करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसे शहरी विकास योजनाओं में एकीकृत किया जाएगा।
- निर्भया फंड: महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के लिए निर्भया फंड के लिए बजटीय आवंटन 100 करोड़ रुपये से दोगुना होकर 200 करोड़ रुपये हो गया। महिला सुरक्षा योजनाओं के लिए कुल आवंटन 1,105 करोड़ रुपये हैं।

व्यापक सामाजिक न्याय दृष्टिकोण

- सामाजिक न्याय को व्यापक रूप से प्राप्त करने के लिए, सरकार एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी पात्र व्यक्ति विभिन्न कार्यक्रमों, विशेष रूप से शिक्षा और खास व्यवस्था पर केंद्रित कार्यक्रमों के अंतर्गत आते हैं। इस रणनीति का उद्देश्य हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाना, उनकी क्षमताओं में सुधार करना और उन्हें सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करना है।

उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति

- बजट में हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए छात्रवृत्ति के प्रावधान भी शामिल हैं, जैसे अनुसूचित जातियों के लिए युवा अवृत्तर्स योजना के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति। ये पहल वंचित समुदायों को शैक्षिक अवसर और सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिससे उन्हें गरीबी के चक्र को तोड़ने में मदद मिलती है।

GEOIAS

SCHOLARSHIP CUM ADMISSION TEST
FOR UPSC ASPIRANTS

UP TO
100% SCHOLARSHIPS

ONLINE & OFFLINE

For Upcoming Batches

REGISTER NOW

*Limited Seats Available

Visit: www.geoias.com



GEOIAS App



SCAN ME